राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ७१वां दिवस [संख्या ४१

सोमवार, २७ अप्रेल, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर १२ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १२०९

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह।

राजपत्रित अधिकारियों की उनके जिले के अन्दर नियुक्ति

१२१०. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसा आदेश दिया है कि जिले के अन्दर उसी जिले के राजपत्रित अधिकारी नहीं रखे जावेंगे ?

(२) यदि हां, तो इस समय भरतपुर जिले में कितने राजपत्रित अधिकारी किस किस स्थान पर नियुक्त हैं और क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि उप जिलाधीश धौलपुर निवासी हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से उनको रखा गया है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी हां।

(२) भरतपुर जिले में इसी जिले के निवासी राजपत्रित अधिकारी ६ हैं। इनकी सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(३) जी हां। ऐसे अधिकारियों को धीरे धीरे अपने जिलों से बाहर स्थानान्तर किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

डॉ० बहादुरसिंह : सूची नहीं मिली है अब तक।

Page No.2

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऑफिस से लेनी चाहिये थी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार।

जिला गंगानगर में बेदखली के मुकदमें

१२११. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर-सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला गंगानगर में तहसील वाइज़ किसानों पर बेदखली के मुकद्दमें कितने चल रहे हैं ?

(२) उक्त मुकद्दमें टिनेन्सी एक्ट की किस धारा के अन्तर्गत चल रहे हैं ?

(३) कितने मुकद्दमें एडीशनल कमिश्नर, बीकानेर की अदालत में भूमिहीन किसानों के खिलाफ १६५७–५८ में हुए ?

उपमंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) टिनेन्सी एक्ट की धारा १८०, १८३, १८६ व १८८ से अन्तर्गत।

(३) केवल ५ अपीलें पेश हुई थी जो भी जांच द्वारा भूमिहीन किसान साबित न होने के कारण नामंजूर हो गई।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री धर्मपाल पंवार : एडीशनल कमिश्नर की अदालत में कितने मुकद्दमें चल रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : उनके यहां ४२० मुकद्दमें दायर हुए, ३७८ का फैसला हो गया, ४२ शेष हैं।

श्री धर्मपाल पंवार : जब सरकार की यह नीति है कि किसानों को बेदखल नहीं किया जाय तो फिर इतने मुकद्दमें बेदखली के कैसे हुए ?

श्री सम्पतराम : भूमिहीनों को भूमि देने की सरकार की नीति है पर किसी ने ट्रेस पास किया या नहीं यह सब आर्डीनरी कार्यवाही तो की ही जाती है।

श्री धर्मपाल पंवार : क्या सरकार की बेदखली को रोकने की जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री सम्पतराम : इस सम्बन्ध में तो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाये है, फिर भी जो भूमिहीन नहीं हो और उसने अपने को भूमिहीन बता कर भूमि में ट्रेस पास किया हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही की ही जानी चाहिये।

श्री धर्मपाल पंवार : कितने केसेज़ है ?

श्री सम्पतराम : ५ केसेज़ वे भूमिहीन नहीं होने का फैसला उनके खिलाफ किये गये है।

श्री धर्मपाल पंवार : बीकानेर एडीशनल कमिश्नर की अदालत में जो मुकद्दमें चल रहे हैं क्या उनको रुकवाने के लिये सरकार कदम उठायेगी ?

श्री सम्पतराम : उनको अपील का हक है, अपील कर सकते हैं।

श्री धर्मपाल पंवार : उनके बेदखल हो जाने पर सरकार क्या करेगी ?

Page No.3

श्री सम्पतराम : सरकार के करने का प्रश्न नहीं, भूमिहीन साबित नहीं होने पर केंन्सल किये जाते हैं।

प्रश्न संख्या १२१२

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

ग्राम राजोली, तहसील लालसोट में गैर मुमकिन मेंड का अलॉटमेंट

१२१३. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि तहसील लालसोट, ग्राम राजौली में सन् १९५८ में गैर मुमकिन मेंड (डोली) बिना लगान के जिनके नम्बर क्रमश: ३७२।१, ३७४।१, ३७६।३, ३७७।१ हैं, के अलॉटमेंट के लिये श्री सिद्दीक मोहम्मद ने दरख्वास्त दी और उनके नाम अलॉटमेंट कर दिया गया ?

(ख) क्या मेंड भी जिसमें काश्त किसी भी हालत में संभव नहीं हो सकती, अलॉटमेंट किया जा सकता है ?

(ग) क्या यह सही है कि उस मेंड़ में खजूर के कुछ पेड़ व आम के ८ पेड़ थे ?

(घ) क्या उपरोक्त पेड़ फलदार व इमारती लकड़ी के थे जिन्हें तहसीलदार ने ३००) रु० में तकमीना किया जब कि उन पेड़ों के लिये १५००) रु० तक के लिये दरख्वास्तें लग चुकी थीं ? क्या सरकार इनकी जांच करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां। यह रकबा गैर मुमकिन नहीं, इस पर लगान कायम है।

(ख) यह रकबा गैर मुमकिन नहीं काश्त के काबिल है।

(ग) इस पर सात पेड़ आम के और एक पेड़ खजूर इस भूमि में स्थित है।

(घ) खातेदार ने इमारती लकड़ी के लिये दरख्वास्त की थी, उनका १५०० रुपया तक कीमत लगाने की कोई बात नहीं। इसकी जांच के लिये एस० डी० ओ० को तैनात किया गया है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : १५००) रु० तक की दरख्वास्त लग चुकी थी।

श्री सम्पतराम : मैंने अर्ज किया कि ऐसी दरख्वास्त नहीं आई।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : दरख्वास्त थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य सूचना दें कि कैसी दरख्वास्त थी तो कार्यवाही अच्छी तरह से की जा सकती है।

प्रश्न संख्या १२१४

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री बेनाराम गलहोत।

Page No.4

हरे दरख्तों की कटाई

१२१५. श्री बेनाराम गलहोत (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बाली तहसील में गत तीन साल में हरे दरख्त तहसील की इज़ाज़त से काटे गये और कितने दरख्त इजाज़त बिना काटे गये ?

(ख) बिना इजाज़त दरख़्त काटे जाने के कितने मामले तहसील में जेर तजवीज़ हैं, कितने के फैसले हो चुके हैं, कितना जुर्माना हुआ है तथा कितने दरख्त जब्त हुए।

उपमंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) ४०३६ वृक्ष तहसील की इजाजत से और १२०० वृक्ष बिना इजाजत के काटे गये।

(ख) ८२ केसेज़ में फैसला हुआ ५६ जेर तजवीज़ हैं। जुर्माना १३८) रु० हुआ।

श्री बेनाराम गहलोत : कितने दरख्त जब्त हुए ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या ये वृक्ष खातेदारी जमीन में थे ?

श्री सम्पतराम : यह मुझे पता नहीं। जो सूचना आपने मांगी वह मैंने आपको दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट का प्रकाशन

१२१६. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान में अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट अंतिम बार विभिन्न निरीक्षक कार्यालयों से कब कब प्रकाशित की गई है ? कृपया दिनांक की सूची सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

उपमंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है। मई के दूसरे सप्ताह में दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

प्रश्न संख्या १२१७

श्री लक्ष्मी चन्द।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

हाई स्कूल चाकसू में सिलाई का विषय

१२१८. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाई स्कूल, चाकसू में टेलरिंग विषय वैकल्पिक रूप में चल रहा है ? यदि हां, तो किन किन कक्षाओं में ?

(ख) क्या सिलाई के लिये कक्षा ९ व १० के पाठ्यक्रम के अनुसार वहां सामग्री है ?

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार १ मई सन् १९५९ से सिलाई विषय कक्षा ९ व १० में आरम्भ करने का विचार रखती है ? अगर नहीं तो क्यों ?

उपमंत्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई (क) जी हां कक्षा ५ से ८ तक।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं, इस विषय की मान्यता प्राप्त करने का कोई प्रार्थना पत्र हाई स्कूल से प्राप्त नहीं हुआ और बिना राजस्थान माध्यमिक बोर्ड के मान्यता प्रदान किये यह विषय चालू नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

निदाद में चरागाह भूमि का नीलाम

१२१९ श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Revenue Minister be pleased to state:-(1) Is it correct that in the 1st week of December, 1958 a notice was displaced in village Nidad, Tehsil Amber, that the grazing grounds on the hill slopes at Nidad will be auctioned on 16.12.58 ?

(2) Is it correct that no auction was held on 16.12.58 but on 17.12.58 auction was held by the Girdawar and the Patwari at the residence of the Patwari Shri Banwari Lal and the sale was closed in favour of the highest bidder Shri Kalyan s/o Ram pratap Rana of Nidad who gave the bid of Rs. 321/-for the grazing rights ?

(3) Is it correct that the Patel Shrinarayan deposited only Rs. 100/- on 2.2.59 in the treasury at Amber towards the sale proceeds of the grazing land in question ? If so, what has happened to the remaining of Rs. 221/- which was obtained from the highest bidder at the time of the auction ?

उपमंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (1) Yes.

(2) Yes. It has however been alleged that the bid was for Rs. 321/- and the allegation is under enquiry.

(3) Yes. Rs. 100/- were deposited by Shri Narain. The remaining amount was not deposited. The sale was cancelled and it is now under consideration of Government to put the land under the Charge of the Forest Department.

श्री पी. के. चौधरी : When the notice was for holding the auction on 16th and as it was held on 17th how the Government considers that auction to be valid ?

श्री सम्पतराम : Yes That is right. First the 16th was fixed as auction date but sufficient people were not present and therefore another date 17th was fixed.

श्री पी. के. चौधरी : But how did

Page No.6

(श्री पी० के० चौधरी)

you give notice to the people that the auction will be...

श्री सम्पतराम : On that particular date 16th people were not present and so it was adjourned...

श्री पी. के. चौधरी : How the people were informed that the auction will be held on the next date ?

श्री सम्पतराम : Patwari and the Inspectors were present there and it was absolutely meant for that village and it was made clear that it will be done tomorrow.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जैसा कि माननीय डिप्टी मिनिस्टर ने कहा आदमी सफिशियेन्ट क्वान्टिटी में मौजूद नहीं थे, इसलिए दूसरे दिन रखा ।

Will the Hon'ble Minister let the House know as how much persons constitute the sufficient quantity and how much insufficient ?

श्री सम्पतराम : On the basis of the report, of the S. D. O., I came to the conclusion that it was not sufficientl. I mean the people were not sufficiently present and it was thought proper by the auctioning authority to postpone it for the next date.

श्री पी० के० चौधरी : ता० १६ को कितने मौजूद थे और ता० १७ को कितने मौजूद थे ।

श्री सम्पतराम : I cannot give the exact number.

श्री पी० के० चौधरी : कितने आदमी १६ तारीख को मौजूद थे और १७ को कितने मौजूद थे ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर): किस को सूचना दी गई । जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको दी गई या दूसरे लोगों को दी गई ।

श्री संपतराम : जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको इत्तला दे दी गई और दूसरों को पटवारी के द्वारा इत्तला करा दी गई कि कल नीलाम होगा ।

श्री चन्दनमल : क्या यह सही है कि १६ तारीख को लोग वहां नहीं आये थे इसलिये १७ तारीख को नीलाम रखा गया ?

श्री संपतराम : इसकी इन्क्वायरी की गई और एस. डी. ओ. ने जाकर इन्क्वायरी की थी और सेल को केन्सल किया ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि १॥ महीने बाद भी उसने पूरे पैसे जमा नहीं कराये जितने जमा कराने चाहिये ? what action has been taken against the particular officer for it ?

श्री संपतराम : The S. D. O. himself has conducted the enquiry. Prima-facie case has been made out against the Patwari and the Girdawar.

श्री पी० के० चौधरी : It has been established that the auction bid was

Page No.7

(श्री पी० के० चौधरी)

for Rs. 320/- while only an amount of Rs. 100/- was desposited. So what action has been taken against the person who deposited the money ?

श्री संपतराम : It is quite clear. On the one hand the sale was cancelled and on the other hand against the person responsible for it, enquiry has been instituted and they have already been charge-sheeted.

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १२२०

श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

कुमारी शन्नो देवी ।

तिलोकराम चौधरी का बकाया पिचोतरा

१२२१. कुमारी शन्नो देवी (सुजानगढ) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि श्री तिलोकराम चौधरी सुजानगढ़ का सम्वत् १९९७, २००२ और २००३ का पिचोतरा अभी तक नहीं मिला है ?

(ख) इनके पिचोतरा सम्बन्धी फाइलें किस अधिकारी के पास हैं ?

(ग) क्या भविष्य में यह पिचोतरा मिलने की आशा की जा सकती है ?

उप-मन्त्री राजस्व (श्री सम्पतराम): (क) तिलोकराम चौधरी को १९९७ का पिचोतरा चुकाया जा चुका है तथा २००२ व २००३ के चुकारे की कार्यवाही विचाराधीन है ।

(ख) इसकी जांच के लिए एस. डी. ओ. रतनगढ़ को अब नियुक्त किया गया है ।

(ग) इसकी जांच की जा रही है यदि वाजिब होगा तो चुकारे की कार्यवाही की जावेगी ।

कुमारी शन्नो देवी : अभी तक क्यों नहीं मिला ?

श्री सम्पतराम : मैंने बताया कि १९९७ का पिचोतरा मिल गया है और उसके बाद उन्होंने रिप्रेजेन्ट किया कि २००२ और २००३ के मिलने चाहिये, उसके लिए एस०डी०ओ० को कहा गया है और वह उसकी जांच कर रहा है । जांच के बाद वाजिब होगा तो चुकारे की कार्यवाही की जावेगी ।

प्रश्न संख्या १२२२

श्री उपाध्यक्ष : मेजर फतेसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीबाबा चौधरी ।

बाली, देसूरी व खारची तहसीलों में भूमि का अलॉटमेंट

१२२३. श्री मोतीबाबा चौधरी(बाली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.8

(श्री मोतीबाबा चौधरी)

(क) बाली, देसूरी व खारची तहसील में लैण्ड अलॉटमेंट कमेटी की अब तक कितनी बैठकें कब कब बुलाई गई ? अब तक कितनी जमीन किन किन को वितरित की गई व कितनी दर्ख्वास्तें पेन्डिंग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) गत दो वर्षों में बिना इजाजत कितनी जमीन पर काश्तकारों ने काश्त की तथा कितना लगान किस किस तहसील से मय पैनल्टी वसूल हुआ ? कितनी मिसल जेर तजवीज हैं ?

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री संपतराम) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) बाली तहसील में गत दो वर्षों में बिना इजाजत ११३० बीघा में काश्त की गई लगान वसूली व पैनल्टी लगान ६ गुना २०८५) रु० हुए जिसमें से पैनल्टी ४० रु० १२ न० पैसे वसूल होकर जमा हो चुके हैं । १२ मुकदमे जेर तजवीज हैं ।

(२) देसूरी तहसील में गत २ वर्षों में बिन इजाजत १६८५० में काश्त की गई ८५३ रु० १२ न० पै० पेनल्टी के वसूल हुए हैं १०४६ मुकदमे जेर तजवीज हैं ।

(३) खारची तहसील में गत दो वर्षों में बिना इजाजत किसी ने भी काश्त नहीं की । किसी पर जुर्माना नहीं हुआ न लगान वसूल हुआ । ८ मुकदमें जेर तजवीज हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

फिदूसर की खानों का अलॉटमेंट

१२२४. **श्री सूरजमल** (फलौदी-सु०) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जोधपुर फिदूसर पत्थर की खानों पर मलवा हटाने के लिए प्रति खान २००) रु० जमा करवाने पर ही खान अलॉट की जाती है ?

(ख) क्या शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर से यह प्रतिबन्ध हटाने का सरकार का विचार है ?

मुख्य एवं खनिज मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

एक माननीय सदस्य : इन लोगों को छूट नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हर जगह छूट देने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनावें तो कोऑपरेटिव को दिया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिए अलग से रूल्स बने हुए हैं ।

एक माननीय सदस्य: क्या २००) रु० जमा नहीं कराने पर खान अलॉट नहीं की जाती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : पहले कोऑपरेटिव के पास खान होनी चाहिये या पहले कोऑपरेटिव बने उसके बाद उनको खानें अलॉट की जावेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनावे उससे ही किसी को खान अलॉट कर दी जावे यह उचित नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : In view of the Prime Ministers' statement that small industries and querries ould be co-opratively worked, will the Hon'ble Minister explain whether this policy will be adopted in Rajasthan also

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है। कि दूसर में २००) ५० दिये जाने का अलग प्रश्न है ।

प्रश्न संख्या १२२५

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाल मुकुन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री रावतराम ।

चूरू जिले में शिक्षण संस्थाएं

१२२६. श्री **रावतराम** (चूरू–सु०) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चूरू जिले में शिक्षा विभाग की ओर से व अन्य स्वायत्त शासन संस्थाओं से चालू प्राइमरी, मिडिल, हाईस्कूल व हायर सेकेन्ड्री स्कूल कितने व कहां कहां हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि देहाती प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापक स्कूलों में बहुत कम उपस्थित रहते हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई में अव्यवस्था उत्पन्न होती है ? यदि हां, तो सरकार इस अव्यवस्था को रोकने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

(ग) चूरू जिले में सन् १९५९-६० में कितने मिडिल व हायर सेकेन्ड्री विद्यालय खोलने की योजना है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) चूरू जिले में कुल ४ हायर सेकेन्ड्री, ११ हाई स्कूल, २८ मिडिल स्कूल और ३८२ प्राथमिक शालायें शिक्षा विभाग व अन्य संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसकी सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(ख) यह सत्य नहीं है कि प्राथमिक शालाओं के अध्यापक बहुत कम उपस्थित रहते हैं, इस सत्र में इस जिले में केवल ६ ऐसे मामले सामने आये हैं और सम्बन्धित अध्यापकों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा रही है, यह सच है कि अध्यापकों की अनुपस्थिति में पढ़ाई में अव्यवस्था उत्पन्न होती है और उसको रोकने हेतु निम्न कार्यवाही की जा रही है :

(१) ग्राम पंचायतों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं कि अध्यापकों के रहने का प्रबन्ध करें और भविष्य में स्कूल स्थापित करते समय ही इस पर विशेष ध्यान दिया जायगा ।

(२) दो सहायक उप-निरिक्षक इसलिये

Page No.10

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

और ज्यादा दिये गये हैं, जिससे शालाओं का निरीक्षण शीघ्र हो सकेगा ।

(ख) अध्यापकों को (द्वारा) अवकाश की लम्बे स्वीकृति तथा रवानगी व वापसी की सूचना देने के आदेश दिये गये हैं और उसके लम्बे अवकाश काल में एवज़ी का प्रबन्ध किया जाता है ।

(ग) यह विषय अभी विचाराधीन है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

एक माननीय सदस्य : यह ६ मामले कहां कहां के हैं ।

श्री पूनमचंद विश्नोई : यह सूचना अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न संख्या १२२७ व १२२८

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२२६

श्री रामचन्द्र ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १२३०

श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मनरूपराम परिहार ।

बूसी के जागीरदार द्वारा भूमि पर नाजायज कब्जा

१२३१. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची-सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बूसी के जागीरदार जसवन्तसिंह के खिलाफ़ ४७५ बीघा ज़मीन जो सरकारी है उस पर से नाजायज़ कब्जा हटाने की कार्यवाही लम्बे समय से चल रही है ?

(२) क्या यह सही है कि तहसीलदार देसूरी के द्वारा उक्त जमीन बाबत जांच की जाकर नं० ३६६ ता० ६. १०. ५८ को डिप्टी क्लेक्टर पाली के पास रिपोर्ट भेज दी है ? यदि हां तो डिप्टी क्लेक्टर जागीर ने उस रिपोर्ट को कमिश्नर जागीर राजस्थान को आज तक क्यों नहीं भेजी ?

(३) क्या यह सही है कि डिप्टी क्लेक्टर जागीर कार्यालय में उक्त जांच रिपोर्ट गायब की जा चुकी है ?

उप-मंत्री राजस्व विभाग (श्री संपतराम) (१) जी हां । सितम्बर १९५८ से चल रही है ।

(२) जी हां । तहसीलदार देसूरी ने उक्त ज़मीन के विषय में अपनी रिपोर्ट डिप्टी क्लेक्टर जागीर को भेज दी और उन्होंने तहसील की रिपोर्ट को जागीर कमिश्नर कार्यालय में दिनांक ३, २, ५६ को उचित कार्यवाही हेतु भेज दी है, जिसमें कि अब सुनवाई की

(श्री सम्पतराम)

तारीख ११. ३. ५६ नियत की जा चुकी है ;

(३) जी नहीं।

प्रश्न संख्या १२३२

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १२३३

श्री रामधन।

नेक्स्ट : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

गंगापुर के तहसीलदार द्वारा हरिजनों के घर तुड़वाये जाना

१२०६. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर मु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि गंगापुर (जिला सवाई माधोपुर) के तहसीलदार द्वारा हरिजनों (चमारों) के घर तुड़वाये जा रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो किस कारण से ? कितने परिवार इन घरों में रहते आ रहे हैं और कितने अर्से से ?

(ग) अब इन परिवारों को यहां से उजाड़ कर सरकार इस जगह किनको बसाना चाहती है, तथा क्यों ?

(घ) अब इन हरिजनों को यहां ही आबाद रखे जाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

उप-मन्त्री राजस्व विभाग (श्री संपतराम): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट टर्न पर दे दिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : It is postponed.

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात कहां पैदा होती है। I have already given my decision.

नेक्स्ट।

राष्ट्रीयकृत पुस्तकों को दीमक खाजाने के संबन्ध में

१२१२. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान शिक्षा विभाग के बीकानेर क्षेत्रीय इन्स्पैक्टॉरेट के अन्तर्गत लगभग चार हज़ार रुपयों की राष्ट्रीयकृत पुस्तकें दीमक खा गई है ?

(२) क्या यह सही है कि देहाती प्रारम्भिक शालाओं के बच्चों के लिए भेजी गई पुस्तकों के अनेक पृष्ठ दीमकों के खाये हुए हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा विभाग : (श्री पूनमचन्द विश्नोई) :

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

Page No.12

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री भीमसेन ।

इस प्रश्न का उत्तर ले लिया जावे ।

राजकीय प्रवास भवन में बिजली की व्यवस्था

[१२१४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजकीय प्रवास भवन में सन् १९५८-५९ में बिजली फिटिंग में कितना खर्च हुआ ।

(२) क्या यह सही है कि बिजली की घंटियां काम नहीं करती हैं ?]

मुख्य मंत्री : (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

(१) बिजली के फिटिंग में ४१७.५१ रुपये खर्च हुए ।

(२) दो कमरों को छोड़ कर जिसमें ताले रहते हैं सभी जगह बत्तियां काम करती हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सही है कि सदस्यों द्वारा घंटियों का उपयोग करने पर भी उसका उपयोग नहीं होता है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपके प्रश्न को नहीं समझा ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : क्या यह सच है कि जिस समय घंटी बजाई जाती है, उस समय बजती है मगर कहां से बजती है यह पता नहीं लगता क्योंकि अभी तक बोर्ड नहीं है, इसलिये उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना तो संतोष हुआ कि घंटियें बजती हैं । आपने, जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने बताया कि बोर्ड नहीं है, यह बात ठीक है अभी तक बोर्ड नहीं लगा है । बोर्ड के लिये आॅर्डर प्लेस किये गये हैं, अब लग जावेगा और घंटियें बजनी शुरू हो जावेंगी ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री फतेहसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री बालमुकुन्द ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १२२७, १२२८

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय : उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिये जावें ।

ढेर के बालाजी के नाम से प्राप्त होने वाली राशी का भुगतान

१२२७. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर, श्री दयाकृष्ण विजय द्वारा पूछा गया) : क्या मन्त्री देवस्थान विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भूतपूर्व खेतड़ी ठिकाने से ढ़ेर के बालाजी के नाम से प्राप्त होने वाली राशि किस व्यक्ति को दी जाती थी ?

(२) क्या यह सही है कि विलय के पश्चात् देवस्थान विभाग के कर्मचारियों ने पहिले एक नाम से बिल बनाया तथा बाद में दूसरे के नाम से यदि हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) :

(१) भूतपूर्व खेतड़ी ठिकाने से ढेर के बालाजी जो कि एक मन्दिर है, के नाम से कोई राशि किसी को नहीं दी जाती थी।

(२) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

बी. ए. पास अध्यापकों के ग्रेड

१२२८. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर, श्री दयाकृष्ण विजय द्वारा पूछा गया): क्या मन्त्री शिक्षा विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ऐसे कितने बी.ए. पास अध्यापक हैं जो बी.ए. की ग्रेड नहीं पा रहे हैं ?

(२) सन् ५७ से पूर्व के कितने अध्यापक अब भी बी.ए. की ग्रेड में नहीं हैं ?

(३) सन् ५७ एवं ५८ में कितने नये अध्यापकों को बी.ए. की ग्रेड पर नियुक्त किया गया है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनम चन्द विश्नोई) : उपाध्यक्ष महोदय इस प्रश्न का जवाब मई के दूसरे सप्ताह में दिया जायगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : शिक्षा विभाग के आज दो प्रश्न थे, दोनों का ही जवाब नहीं आया इतनी क्या दिक्कत है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सब ज़िलों से सूचना कलेक्ट करनी थी जो नहीं हो पाई। असेम्बली सेक्रेटेरियट को यह सूचना दे दी थी कि इतने अल्प समय में यह सूचना प्राप्त नहीं हो सकती, अत: इसका जवाब मई के दूसरे सप्ताह में दिया जायेगा।

खानपुर और झालावाड़ विकास खंड

१२२६. **श्री रामचन्द्र** (डग-सु.— श्री भैरवलाल 'कालाबादल' द्वारा पूछा गया): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) झालावाड़ जिले में खानपुर विकास खंड और झालरापाटन विकास खंड कब खोले गये ?

(ख) इन विकास खंडों में उद्योग विकास अधिकारी की नियुक्ति कब की गई ?

(ग) इनमें किन किन लघु उद्योगों का विकास किया जा रहा है ?

Page No.14

(श्री रामचन्द्र)

(ख) यह लघु उद्योग कहां कहां चल रहे हैं और इनको कितने कितने धन की सहायता दी गई है ?

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) क्रमशः अक्टूबर १९५६ व अक्टूबर १९५५ में।

(ख) क्रमशः सितम्बर, १९५८ व अप्रेल सन् १९५८ में।

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ठ ५ देखिए)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्लास्टिक ट्रेनिंग सेन्टर, जयपुर

१२३२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर-डॉ० चन्द्रकला द्वारा पूछा गया) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आमेर रोड़ स्थित प्लास्टिक की ट्रेनिंग कौन दे रहे हैं और कितने छात्र ट्रेनिंग ले रहे हैं ?

(ख) इन ट्रेनिंग देने वालों की क्या क्या योग्यताएं हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि अभी तक इस ट्रेनिंग का कोई विशेष लाभ नहीं हो सका है ? यदि नहीं तो कृपया यह बतायें कि अब तक कितने छात्र इस ट्रेनिंग से निकले और उनका इस क्षेत्र में क्या काम हुआ है ?

(घ) क्या यह सही है कि ट्रेनिंग देने वालों में एक व्यक्ति फिजीकली डिस-एबल्ड हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) एक सुपरवाइजर, एक इन्स्ट्रक्टर, २ स्किल्ड वर्कर ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग में ११ छात्र ट्रेनिंग ले रहे हैं।

(ख) ट्रेनिंग देने वालों की निम्न लिखित क्वालिफिकेशन है :

१. **सुपरवाइजर** (श्री गोवर्धनदास जैन)-मैट्रिक। इनको स्वान प्लास्टिक, दिल्ली, ऊषा प्लास्टिक, दिल्ली, पाइनियर ट्रेडर्स, दिल्ली में काम करने का करीब ४ साल का अनुभव है। इन्होंने ऊषा प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज में सुपरवाइजर का भी काम किया है। ये राजस्थान जनसेवा आयोग द्वारा चुने गये हैं।

२. **इन्स्ट्रक्टर** (श्री अमीचन्द)-मिडिल पास व प्लास्टिक के कार्य का करीब ५ साल का अनुभव है।

३. **स्किल्ड वर्कर**(श्री इन्द्रकुमार जैन)-मैट्रिक व प्लास्टिक कार्य का एक वर्ष का सहगल प्लास्टिक इन्ड्रस्ट्रीज, देहली का अनुभव है।

४. **स्किल्ड वर्कर**(श्री नरपतमल जैन) : एडल्ट ब्लाइन्ड ट्रेनिंग सेन्टर देहरादून से लिखने पढ़ने का ज्ञान व प्लास्टिक के काम की ट्रेनिंग प्राप्त की है।

Page No.15

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(ग) हां। यह ट्रेनिंग सेन्टर जुलाई १६५७ में प्रारम्भ हुआ था और अभी तक २ वर्षों में २६ छात्र ट्रेनिंग पा चुके हैं क्योंकि पृथक पृथक कार्य चलाना कठिन है और क्योंकि जयपुर में कोई प्लास्टिक फैक्ट्री नहीं है जहां इनको काम मिल सके। इस कारण इनकी सहकारी समिति बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि सहकारी रूप से कार्य कर सके।

(घ) जी एक व्यक्ति अन्धे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : जो डिसएबल्ड हैं वे क्या अच्छी तरह काम कर लेते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इनको ट्रेनिंग दी गई है खास तौर से इस काम की। देहरादून में इस प्रकार की इन्स्टिट्यूशन है जहां डिसएबल्ड पर्सन्स को शिक्षित किया जाता है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर सु०): अब तक इस पर कितना खर्च हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह अलग से प्रश्न है।

डॉ० चन्द्रकला : सहकारी समिति जिनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है उनके बनने में कितना समय लगेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि वे सहकारी समिति बनाने को तैयार होते भी या नहीं सरकार तो प्रयत्न कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुये।

स्थगित प्रश्न

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, १२१७ का जवाब दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : No. We cannot go back.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : कुछ स्थगित प्रश्न थे, उनको आज लेने का था।

श्री उपाध्यक्ष : सिर्फ एक प्रश्न है वह श्री नाथीसिंह के नाम का है, Nobody called for it.

श्री श्रीभानसिंह : It was on my name and the Hon'ble Minister had said the other day that he will reply it on the next date.

पेन्शन की मंजूरी

११६६. **श्री नाथीसिंह** (कामा) : Will the Chief Minister be pleased to state:—(1) Is the Government aware that during the communal riots of 1947 certain Muslim employees of the then Bharatpur State had to flee from the State for their lives and that later on they were dismissed from service.

(2) Is the Government also aware that on representation from certain

(श्री नाथीसिंह)

such muslim employees for grant of pensions the Matsya Government vide their Order No. 3694 dated 14th/15May, 1949 had issued some directive principles to examine the cases of such employees ?

(3) Is the Government also aware that after examination Sarva Shri Saddiq Ali, Driver, State Garage, Bharatpur (2) Akhtar Zaman, Clerk, Session Judge's Court, Bharatpur and (3) Afzal Hussain, Mec an c Power House, Bharatpur have been granted pension ?

(4) Is the Government also aware that Shri Mohammad Saddiq Ali an employee of the Dewan Daftar Bharatpur (Old Records of the State kept in the Accounts Office) who was dismissed under similar circumstances and satisfied the conditions laid down in the aforesaid order of the Matsya Government. also applied for pension but was refused vide letter No. D. I. 8596/F. 25 (8) Apptts. (B) 55 dated 13.7.55 from the Registrar, Government Secretariat to the Commissioner, Jaipur ?

(5) Will the Government be pleased to state the reasons why Shri Mohd. Saddiq has not been granted pension so far inspite of his repeated representations and the lapse of such a long time and how much more time will it take now to dicide his case ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मंत्री की ओर से) : (1) Yes

(2) Yes.

(3) Shri SaddiqAli was granted pension. As regards other two, the facts are being verified.

(4) His application was refused by the Government.

(5) The case of Shri Saddiq Ali is different from that of Shri Mohd. Sadiq in as much as the orders of the Matsya Government dismissing Muslim employees who left service were modified in cases of Shri SaddiqAli. There are on such Orders in the case of Shri Mohd. Saddig.

The case is in its final stage and it will be finally decided shortly.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जो डाइरेक्टिव मत्स्य गवर्नमेंट ने बनाये थे, इन व्यक्तियों के लिये जो कि भरतपुर छोड़ कर चले गये थे, उनका डिसमिसल न किया जाय इन पर भी उन प्रिन्सिपल्स को लागू क्यों नहीं किया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स मत्स्य गवर्नमेन्ट ने क्या क्या बनाये यह जानकारी मुझे नहीं है श्री सादिकअली के केस में मत्स्य गवर्नमेंट का यह निर्णय था कि उनको पेन्शन दे दी जाय । बाकी दो एम्प्लोइज़ अख्तर ज़मान और अफ़जल हुसेन इनके लिये जानकारी की जा रही है, उसने संबन्धित फाइल बरामद नहीं हुई है कि मत्स्य गवर्नमेन्ट ने उनके बारे में क्या फैसला

Page No.17

(श्री दामोदरलाल व्यास)

किया। मोहम्मद सादिक का जब सवाल सरकार के सामने आया, सरकार ने उसको ए० जी० को रेफर किया ए० जी० की ओपीनियन यह है कि सादिकअली का केस डिफ्रेन्ट केस है, उस पर सरकार जल्दी ही निर्णय करने वाली है।

श्री पी० के० चौधरी : इनका केस किस प्रकार से डिफ्रेन्ट है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मत्स्य गवर्नमेन्ट ने इन सादिक अली के लिये फैसला कर दिया था और दूसरे केसेज़ के अन्दर फैसला नहीं किया।

श्री श्रीभानसिंह : जो फैसला नहीं किया इसका कारण यह था कि जो डाये-रेक्टिव प्रिन्सिपल्स मत्स्य गवर्नमेन्ट ने तय किये थे, उस पर मत्स्य गवर्नमेन्ट डिसीज़न नहीं ले सकी क्योंकि उस समय राजस्थान बन चुका था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया मत्स्य गवर्नमेन्ट के डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स क्या थे इसकी जानकारी मुझे नहीं है उनकी जानकारी करने की कोशिश करूंगा। जहां तक मुझे सूचना मिली है इस प्रकार के कोई डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स नहीं बने थे।

श्री पी. के. चौधरी : माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के इसके बारे में गाइडिंग प्रिन्सिपल थे उनके माफ़िक रायट के समय में जो लोग इधर उधर हो गये थे वे क्लेम करते हैं तो उनको दिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने कुछ गाइडिंग प्रिन्सिपल्स डिसाइड किये थे उनके अनुसार इस सादिक अली के केस पर विचार किया उसके बाद वह मामला ए० जी० की ओपीनियन के लिये भेजा गया। ए० जी० ने अपनी ओपीनियन दी है, उस पर सरकार अब फैसला करेगी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के गाइडिंग प्रिन्सिपल्स को ध्यान में रखते हुए।

श्री श्रीभानसिंह : राजस्थान गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया डिसमिसल का मैं यह जानना चाहता हूं कि इनका डिसमिसल किस किस ऑर्डर्स के तहत हुआ था जब कि वे राइट के समय भरतपुर से भागकर जयपुर आगये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट ने इन केसेज को रिजेक्ट कर दिया था किन्तु मैं अर्ज कर चुका दुबारा इस पर विचार कर रही है। और जल्दी ही इस पर निर्णय करने वाली है। क्या फैसला करेगी यह एन्टीसिपेट करना मेरे लिये मुश्किल है जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स आपने बतलाये वे अवश्य ध्यान में रखे जावेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : मत्स्य गवर्नमेंट के डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स कोई परटीक्युलर केस के लिये नहीं थे बल्कि एक जनरल निर्णय था अगर वह माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाया जाय तो क्या आप इस केस को पेन्शन की तौर पर कन्सीडर करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो डायरे-क्टिव प्रिन्सिपल्स गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के थे उनको भी ध्यान में रखा जायगा मत्स्य

Page No.18

(श्री दामोदरलाल व्यास)

गवर्नमेन्ट की मुझे जानकारी नहीं उस संबन्ध में जानकारी हासिल करके अगर कोई होंगे तो उनका भी ध्यान रखा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : One question Sir.

श्री उपाध्यक्ष : No more question please.

८.४० म०पू०

जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के नामजद उम्मीदवार

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति सन् ५६-६० के चुनाव के हेतु निम्नलिखित नामज़द उम्मीदवारों के नाम प्राप्त हुए हैं :

जनलेखा समिति-

(१) श्री लच्छूराम
(२) श्री हरिदेव जोशी
(३) श्री भवानी शंकर नन्दवाना
(४) श्री भीमसेन
(५) श्रीमती सुमित्रा देवी
(६) श्री श्रीमानसिंह
(७) श्री भैरोंसिंह
(८) श्री विशम्भरनाथ जोशी
(९) श्री रामप्रसाद लड्ढा
(१०) श्री परसराम मदेरना
(११) श्री होतीलाल
(१२) श्री सोहनलाल भटनागर
(१३) श्री तनसिंह

प्राक्कलन समिति

(१) श्री रामकरणसिंह।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य अपने नाम विथड्रॉ करना चाहते हैं, इसलिए अनाउन्स करने से पहले दो मिनिट इन्तजार कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : There are two options for it. हाउस में खड़े होकर भी नाम वापिस ले सकते हैं।

(२) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
(३) श्री जगदीशप्रसाद माथुर
(४) श्री रामदेवसिंह
(५) श्री गुलाबसिंह
(६) श्रीमती प्रभा मिश्रा
(७) श्री भंवरलाल शर्मा
(८) श्री गनपतिलाल वर्मा
(९) श्री लालूराम
(१०) श्री पी. के. चौधरी
(११) श्री धर्मपाल पंवार
(१२) श्री वली मोहम्मद
(१३) श्री भोलानाथ
(१४) श्री गोपाललाल पुरोहित
(१५) श्री किशनलाल शर्मा
(१६) श्री सुगनचन्द जैन

(श्री उपाध्यक्ष)

(१७) श्री लक्ष्मीचन्द

(१८) श्री रघुवीरसिंह

(१६) श्री शंकरलाल

(२०) श्री मोघजी भाई

(२१) श्री गिरधारीलाल

और जो सदस्य अपने नाम वापिस लेना चाहें तो वे वक्तव्य देकर वापिस ले सकते है। केवल इसी तथ्य को वक्तव्य में व्यक्त करना चाहिये और जिन्होंने नाम अपने वापिस लिये हैं उन माननीय सदस्य की सूची प्रस्तुत करता हूं : I filed my nomination paper to the election of Public Accounts Committee to be held on 28th April, 1959. I give this notice to withdraw my nomination from the said election. Kindly accept this withdrawal.

Sd. R. P. Laddha

D. No. 140.

किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : मैं अपना नाम एस्टीमेट कमेटी से वापिस लेता हूं।

श्री मोघजीभाई (बांसवाड़ा) : एस्टीमेट कमेटी के उम्मीदवारी से अपना नाम मैं वापिस लेता हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I want to withdraw my name from the P. A. C-

श्री सुगनचन्द जैन (बेगूं) : एस्टीमेट कमेटी में सुगनचन्द के नाम से जो नोमीनेशन पेपर दिया था, वह वापिस लेता हूँ।

श्री वली मोहम्मद (चोहटन) : मैंने जो एस्टीमेट कमेटी में अपना नाम दिया है, वह विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : एडजोर्नमेन्ट मोशन था मेरा एक।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव याचिका समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : पहले उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन....

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा एक एडजोर्नमेन्ट मोशन है उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : That is under consideration of the Hon'ble Speaker.

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि विथड्रावल का टाइम दोनों कमेटी के लिये यदि आप उपयुक्त समझें और सदन भी सहमत हो थोड़ा बढ़ाया जाना ठीक होगा। सब विथड्रॉअल हो गये हैं। संख्या से अधिक थे वे सब हो गये हैं। और पी. ए. सी. का एक नाम वापिस लेना रह गया है। वह सदस्य अभी तक यहां पहुँच नहीं सके हैं इसलिये अगर आप सहमत हों और सदन की राय हो तो जब हम एडजोर्न हों आज तो उस समय तक के लिये विथड्रॉअल का समय बढ़ा दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि एडजोर्न जब आज हम हों तो

Page No.20

(श्री उपाध्यक्ष)

उसके पहिले इस प्रश्न को पुनः ले लिया जाय।

(स्वीकृत)

नाम वापस लेने के निमित्त समय बढ़ाया गया।

८. ४३ म० पू०

याचिका समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अमृतलाल पायक (प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, याचिका समिति का सदस्य, समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १६५८ से सम्बन्धित श्री लक्ष्मीचन्द, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक ६ दिसम्बर, १६५८ को प्रस्तुत याचिका पर समिति का यह प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : On a point of order Sir. यह इसमें ब्रजमोहनलाल शर्मा, सभापति याचिका समिति, समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १६५८ से सम्बन्धित श्री लक्ष्मीचन्द सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक ६ दिसम्बर, १६५८ को प्रस्तुत याचिका पर समिति का यह प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। जो प्राधिकृत किये गये हैं प्रस्तुत करने के लिये वह माननीय सदस्य तो शायद नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : You are objecting to his submitting the petition...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes Sir.

श्री उपाध्यक्ष : मेरी यह व्यवस्था है कि यदि चैयरमैन नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में दूसरे सदस्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

८.४४ म० पू०

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, ५६
(पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६५६ को पुरस्थापित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

८.४५ म० पू०

राजस्थान अनुशासिक कार्यवाही (साक्षी बुलाया जाना तथा दस्तावेज प्रस्तुत कराया जाना) विधेयक, १६५६.

(विचार विमर्श एवं पारण)

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान डिसिप्लिनेरी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रोसीडिंग्स (समनिंग ऑफ विटनेसेज एण्ड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेन्ट्स) विधेयक, १९५९ को विचारार्थ लिया जावे ।

श्री पी० के० चौधरी : I have got the motion for Select Committee. उपाध्यक्ष महोदय, I move the motion I move that this Bill be referred to the Select Committee who should submit its report within one month.उपाध्यक्ष महोदय, डिसिप्लिनेरी एक्शन के लिये जो एग्ज़िस्टिंग सर्विस रूल्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स हैं उनमें सरकार को काफी अधिकार हैं कि वह अपने एम्प्लॉई पर डिसिप्लिनेरी एक्शन ले सकती है। अब उसमें धारा ३०९ या ३१३ के मुताबिक रूल बनाने का सरकार को अधिकार है । लेकिन साथ साथ ३११ में एम्प्लॉयीज़ को रीज़नेबल ओपोरचुनिटी मिलने का भी अधिकार है। वहां पर इसका प्रोविज़ो जो है, वहां यह भी अधिकार सरकार को दिया गया है कि सफिशियेन्ट with a sufficient notice, they can terminate their services. इस प्रोविज़ो के पैराग्राफ की ओर से ध्यान आकर्षित करता हूँ । ३११ कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्लॉज़ है उसमें एम्प्लॉइज़ को सर्टन सेफ़ गार्ड्स भी प्रोवाइड किये गये हैं । They should before dismissal or removal, give them a sufficient opportunity for reasonable evidence. उनके ऊपर डिसिप्लिनेरी एक्शन लेने या पेनल्टी इम्पोज़ करने से पहले उसको सफिशियेन्ट रीज़नेबल ओपोरचुनिटी पर डिफ़ेन्स करने का मौका देना चाहिये और इसका जो प्रोविज़ो है वहां लिखा है :

Provided that this clause shall not apply. यानि उसको अपने सेल्फ़ डिफ़ेन्स के लिये रीज़नेबल ओपरचुनिटी दी जानी चाहिये ।

(a) That shall not apply where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge;

(b) Where an authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason, to be recorded by that authority in writing, it is not reasonably practicable to give to that person an opportunity of showing cause; or

(c) Where the President or Governor, as the case may be, is satisfied that in the interest of the security of the State it is not expedient to give to that person such an opportunity.

यानि उनको बगैर अपोरचुनिटी दिये डिसमिस करने का या रिमूव करने का सरकार को अधिकार है । इसके बाद वह समझती है कि स्टेच्यूटरी पॉवर दिये जावें और उस पॉवर के मातहत गवर्नमेन्ट किसी भी एक अफसर को जांच के लिये अपॉइन्ट करेगी, उसमें यह मेन्शन नहीं है कि वह अफ़सर एग्ज़ीक्यूटिव होगा या जुडीशियरी का होगा। इसका कोई ज़िक्र नहीं है। कोई भी गज़ेटेड अफ़सर, अपने एग्ज़ीक्यूटिव रूप से, कोई भी सबोर्डिनेट अफ़सर, नॉन गज़ेटेड सबोर्डिनेट अफ़सर किसी को भी

(श्री पी० के० चौधरी)

अपॉइन्ट किया जा सकता है । इसमें यह नहीं कहा गया कि जुडिशियल ऑफिशियल को ऑथोरिटी होगी या वह जांच करेगा । He may be a person belonging to that department. अब जिन्होंने एम्प्लॉइज़ के अगेन्स्ट में कोई चार्जेज लेवी किये हैं। Prosecutor himself will be in place of a Judge. अब जहां तक विटनेस समनिंग का सवाल है, आम तौर पर गवर्नमेंट का कन्सर्न्ड डिपार्टमेंट है उसके पास से विटनेस समन करना है। इसके लिये कोर्ट के जैसा पॉवर लेना जरूरी नहीं है । आज कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉइ के खिलाफ एन्क्वायरी होती है और डवेलपमेंट या होम डिपार्टमेंट से कोई मेटर चाहिये तो डिपार्टमेंट फौरन अवेलेबल होता है। उसको रिफ्यूज़ नहीं करते और ऐसे समन करने के लिए उनको ऑथोरिटी होनी भी नहीं चाहिए। यह ऑथोरिटी इसलिए ले रहे हैं कि बाहर के जो लोग हैं, जो पब्लिकमैन हैं याने बाहर की एजेन्सीज़ हैं उनकी विटनेसेज़ Like the Court they can summon it. और समन करके गवर्नमेंट एम्पलाईज़ के खिलाफ़ उसको पेश कर सकेंगे। इसके लिए यह बिल लाया जा रहा है। अब मैं समझता हूं कि बिल को अगर आप पास कर देंगे तो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की सिक्योरिटी ऑफ सर्विस कम से कम मेन्टली They will feel it insecure. आज इस बात को सब लोग जानते हैं कि even in minor thnigs सैकड़ों लैटर्स किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के खिलाफ आते हैं। Hundred types of complaints are made for the Government Servants.

इस तरह का रास्ता अगर आप खोल देंगे तो बाहर के आदमी को इस तरह आप समन करके बुलायेंगे तो This is meant clearly for summoning evidences from outside याने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास या दूसरे डिपार्टमेंट्स के पास जो एवीडेन्सेज़ या डॉकुमेंट्स हैं उनको समन करने के लिए इस बिल की ज़रूरत नहीं है । इस बिल को इसलिए लाया जा रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट को पेनेलाइज़ करना है और उसके ऊपर एक्शन लेना हैं तो जो नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक डॉकुमेंट्स कॉल करके उसके ऊपर एक्शन ले सकेंगे, उसके लिए यह बिल लाया जा रहा है । तो मैं समझता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद में मेरी जहां तक जानकारी है, सही है या गलत है, There is not a single Goverment employee. जो कि पब्लिक के टच में नहीं आता हो। Those Government employees who come in touch with the public... ऐसे एम्प्लॉइज़ मुश्किल से मिलेंगे जिनके खिलाफ़ शिकायत न हो । इन शिकायतों में से हो सकता है कि १० पर्सेन्ट, २० पर्सेन्ट या २५ पर्सेन्ट राइट हों लेकिन मैजॉरिटी ऑफ कम्पलैंट्स राइट नहीं होती हैं। ज्यादातर शिकायतें एनोनीमस होती हैं। प्रोपर चीज़ तो यह है कि अगर किसी के खिलाफ शिकायतें आती हैं तो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो एवेलेबल डॉकुमेन्ट्स हैं या अवेलेबल इन्फ़ॉरमेशन है उसके आधार पर ही उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए । आखिर किसी भी गवर्नमेन्ट एम्पलॉई ने कोई भी काम किया है उसकी सारी की सारी इन्फ़र्मेशन या उसका सारा का सारा मैटीरियल आपकी फ़ाइल पर मौजूद

(श्री पी० के० चौधरी)

रहता है। लेकिन आप चाहते हैं कि जो इन्फरमेशन गवर्नमेन्ट फ़ाइल पर हैं उन्हीं के ऊपर एक्शन नहीं लें बल्कि पब्लिक मैन से या रास्ते चलते आदमी से किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी गवर्नमेन्ट एम्पलॉईज़ के खिलाफ मिल गई या किसी ने रास्ते चलते किसी के खिलाफ़ शिकायत कर दी तो उसको आप समन करेंगे और उसकी एवीडेन्सेज़ लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस बिल को हम पास कर देंगे तो हो सकता है कि माननीय मंत्री महोदय ऐसा समझते होंगे कि इस बिल के पास करने से गवर्नमेन्ट एम्पलॉईज़ को यह अधिकार होंगे कि वह बाहर से बुलाकर अपनी एवीडेन्सेज़ करा दे। लेकिन मैं जानता हूं ऐसा नहीं होगा और इसका उपयोग उल्टा होगा। इस तरह की चीज़ अगर आप ओपिन कर देंगे तो You don't know where it is going to lead you. अगर एक ऑफिसर को आप नियुक्त करते हैं जो कि नान जुडिशियल ऑफिसर है, मान लीजिए की आपका रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट है अब इस पर मैं मानता हूं कि मुमानियत नहीं है कि आप नायब तहसीलदार को भी इन्क्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर सकते हैं और उसको आप कोर्ट के जैसे अधिकार दे देंगे। इस तरह से बी. डी. ओ. के यहां आप सोशल वैलफेयर ऑफिसर को कोर्ट की जैसी ऑथोरिटी दे सकते हैं। इस तरह से आप उसको जुडिशियल ऑफिसर की तरह पॉवर्स दे देंगे। He shall have the powers. सब-क्लॉज़ (४) में आप कहते हैं :

"An enquiring authority shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908) while trying a suit, for summoning witnesses and enforcing their attendance and for compelling the production of documents.

दूसरी बात आप ऑथोरिटी कैसे अपॉइन्ट करेंगे :

"Inquiring Authority" means an officer or authority appointed by the State Government or by an officer or authority subordinate to the State Government to hold a departmental inquiry into the conduct of a person and includes any officer or authority otherwise entitled as such to hold the inquiry." याने यह नहीं है कि जो ऑफिसर नोर्मेली डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कनडक्ट करने के लिए एन्टाइटल्ड हैं उसी को यह इन्क्वायरी करने की पॉवर्स देंगे बल्कि किसी भी ऑफिसर को जो कि उस ऑफिसर के इक्वल स्टेटस का होगा उसको यह पॉवर्स दे देंगे। किसी भी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट के राइवल ऑफिसर हैं तो उसको भी आप अपॉइन्ट कर सकते हैं। जब कि ऐसे रूल्स हैं कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्पलॉई के खिलाफ में जो नोर्मल डिपार्टमेन्टल रूल्स हैं तो हमेशा उससे सुपीरियर स्टेटस के आदमी को इन्क्वायरी कन्डक्ट करने के पॉवर्स देते हैं। लेकिन इस बिल में तो आपने इसको भी रिमुव कर दिया। आप कहते कि "to hold a departmental inquiry into the conduct of a person and includes any officer or authority otherwise entitled as such to hold the inquiry." तो मैं समझता हूं कि इस बिल को पास करके आपकी जो मन्शा है वह मंशा पूरी नहीं होगी। हम चाहते हैं और इस बात को मानते हैं कि हमारा एडमि-

Page No.24

(श्री पी० के० चौधरी)

निस्ट्रेशन टिपटाप होना चाहिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन नहीं होना चाहिए, इनएफिशियेन्सी नहीं होनी चाहिए लेकिन उसको रोकने का तरीका यह नहीं है। इसमे आप किसी तरह से भी अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेन्ट में इनएफिशियेन्सी है या उसमें करप्शन है उसको रोक सकेंगे, अगर इनको रोकना है तो डिपार्टमेन्टल फाइल पर जो इन्फोर्मेशन होती है वह That is most sufficient than anything else. आप बाहर से जो एवीडेन्सेज़ लायेंगे वह या तो किसी की शिकायतें होंगी किसी का स्टेटमेन्ट होगा या किसी के देखने का बहीखाता होगा। जिसमें एवीडेन्स टेम्पर की जा सकती है। उस शिकायत में यह होगा कि फलां व्यक्ति ने फलां ऑफिसर को पांच हजार रुपये ब्राइब दिये हैं। अब उसकी इन्क्वायरी में क्या करेंगे। उसका आप बहीखाता देखेंगे। उसके बही-खाते में वह चीज़ मिल जायेगी, उसके नाम पर पांच हजार रुपया क्योंकि वह शिकायत तो उसी की होगी और जब उसके बहीखाते में होगा तो It becomes a fact. आप जब उस डॉकुमेन्ट को कॉल करते हैं तो If you call the document, or the accounts book of a firm, and when you call that document, you take it अब उसमें एन्ट्री मिल जायेगी पांच हजार के नाम की तो You are supposed to take action again t the man. लोन बताया लेकिन Lone canbe interpreted अगर कोई लोन है तो कोई डीड है उनके पास। On that evidence you can prosecute. Whether that document is not liable for tempcring... वह टेम्पर हो सकता है। तो मेरा यह निवेदन है कि आप इस तरह का प्रोसीजर अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें आपके जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेन्ट सर्वेन्टस् हैं, उनकी लाइफ को हैल कर देगा और जो पर्पज़ आप चाहते हैं वह नहीं होगा। बल्कि यह होगा कि जो व्यवसायी लोग होते हैं वह अपना काम निकालने के लिए रिश्वत देने के लिए या अनड्यू कन्सीडरेशन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।

६ म० पू०

मान लीजिये कि किसी जगह पर जाकर किसी ऑनेस्ट ऑफिसर को रख दिया तो उसके सामने षडयन्त्र किया जायगा। आज भी पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, कई पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि कोई पुलिस इन्सपेक्टर या सबइन्सपेक्टर जो कि रिश्वत नहीं लेते है उसके लिए किसी विशेष स्थान पर जाकर रहना मुश्किल हो जाता है।

Because he becomes firm who are accustomed of taking bribe. इस प्रोसीज़र से किसी ज़िले में या कहीं जाकर एक स्ट्रेटफारवर्ड ऑफिसर को या ऑनेस्ट ऑफिसर को रख दिया जाय तो उसके खिलाफ एक वातावरण खराब वहां के व्यवसायिक लोग कर सकते हैं, बिजनेस में इन्ट्रेस्टेड लोग कर सकते हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि इस तरह से बाहर से एवीडेन्स लाकर एन्क्वायरी कन्डक्ट करना और उसके लिए इस तरह का प्रोविज़न करने की जरुरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि अगर आपको जो डिपार्टमेंटल करप्शन को रोकना है, डिपार्टमेंट की एफिशियेन्सी इम्प्रूव करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बना दें, लेकिन बाहर के एवीडेन्सेज़ के बजाय बाहर के डॉक्युमेन्ट्स के बजाय evidence and the document on which

Page No.25

(श्री पी० के० चौधरी)

you rely must be with Government. बाहर के लोगों को और डॉक्युमेन्ट्स को पेश करके, विटनेसेज़ कॉल करके करना चाहते हैं, मैं उसको बिल्कुल कन्क्लूज़िव एवीडेन्स उस ऑफिसर के खिलाफ नहीं मानता हूं जिसके सम्बन्ध में सस्पीशन आप करते हैं। There can be sufficient evidence evidence available in the Government records- उसका कन्डक्ट शो करेगा This officer is not honest. उसके डीलिंग्स यह इन्डीकेट करते हैं कि He is not very honest. उसके डीलिंग्स से अल्टीरियर मोटिव मालूम होता है। किसी ऑफिसर का डीलिंग स्ट्रेटफॉरवर्ड मालूम नहीं होता है, उसका कोई एक्शन जस्टीफायेबल मालूम नहीं होता है तो उसके लिए एन्क्वायरी की जरूरत नही है।

You have got an authority under the Constitution. Give him one months' notice and send him home.

और मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एन्क्वायरी कमेटी बैठाई थी, रेलवे एन्क्वायरी कमेटी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सारे हिन्दुस्तान के रेलवे एम्प्लॉइज़ की एन्क्वायरी की और अपनी यह ओपीनियन दी कि नोर्मली यह देखा गया है कि जिस ऑफिसर की रेप्यूटेशन खराब होती है कि वह ब्राइब लेता है तो यह पाया गया है They have been found in almost 99 pereent, the officer who has got a bad reputation...वह खराब ही होता है, उसके सामने एवीडेन्सेज़ चाहे न भी मिले। अच्छा ऑफिसर होता है तो हमेशा उस लोकेलिटी में उसका रेप्यूटेशन रहता है कि यह अच्छा कलेक्टर है, अच्छा तहसीलदार है या अच्छा एस. डी. ओ. है जो कि पैसा नहीं खाता है। पब्लिक डीलिंग ऐसी चीज़ है कि कोई भी ऑफिसर जाता है एक दफा भी उसने डिस्क्रीमिनेट कर लिया चाहे पैसे से कर लेता है चाहे लागबाग में आकर करता है तो उसका रेप्युटेशन बिगड़ जाता है उस लोकेलिटी में। उस कमेटी ने सिफरिश की थी कि इस बात की जरूरत नहीं है कि कन्क्लूज़िवली आपको प्रूव करना चाहिए की He has taken bribe and you have caught him redhanded. जैसा कि आजकल कोर्ट में करते हैं उसकी जरूरत नहीं है। जनरल रेप्यूटेशन खराब है। एक जगह रेप्युटेशन खराब हुआ तो दूसरी जगह भेजकर देखें। अगर वहां भी खराब होता है तो then you must come to the conclusion that the officer is corrupt.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : Mr Speaker, sir this Bill relates to the Procedure and not to the action...

श्री उपाध्यक्ष : Yes. It covers the subject.

श्री दामोदरलाल व्यास : I will clarify it.

श्री पी० के० चौधरी : I am just finishing.

कोई ऑफिसर इनएफिशियन्ट है, करप्ट है, तो आप कह सकते है कि जब तक एन्क्वायरी नहीं करायेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि वह करप्ट था, इनएफिशियन्ट था। यह हो सकता है कि आप यह दलील देवें कि जिस लोकेलिटी में रखा है, उस लोकेलिटी के

(श्री पी० के० चौधरी)

लोग जो हैं उसके खिलाफ थे इसलिए ऐसा किया। आप दूसरी जगह रख कर यह देखें You put him at some other place. Even on that place, if people make complaints against him, then सारी की सारी पब्लिक खराब नहीं हो सकती है The natural conclusion is that the officer is corrupt. यह साबित हो जाता है। चाहे ऑफिसर पर्मानेन्ट सर्वेन्ट हो, चाहे टेम्प्रोरी सर्वेन्ट हो with one months notice, you can send him home. उसके जो ड्यूज हों, जैसे कि इंश्योरेन्स के या प्रोवीडेण्ड फण्ड के वह देदें, You give him that money and that is much better way of dealing with a Governmet Officer. कोई डिपार्टमेंट जो है उसको एफिशियन्टली रन करने के लिए, करप्शन को दूर करने के लिए वह ज्यादा अच्छा तरीका है। यह जो तरीका गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के खिलाफ एन्क्वायरी करवाने का है and evidence will be fabricated against him and you will find yourself into trouble. इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि वह कम्प्लीटली आविरहाल कर दें जिससे इस बात की कोई स्थिति पैदा नहीं हो।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एमेंडमेंट माननीय सदस्य ने पेश किया है उसका और खास तौर से उन्होंने जो अपना भाषण दिया उसको सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। वे शायद इस बिल के मायने या मकसद को सही तरीके से समझ नहीं पाये हैं। इस बिल के अन्दर केवल एक बात है कि जो ऑफिसर डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी के लिए मुकर्रर हो उसको इस बात का अधिकार हो कि गवाहान और दस्तावेज़ात को तलब कर सके। जब तक कानूनी अधिकार किसी ऑफिसर को नहीं होता है कि गवाहान को हाज़िर होने के लिए मजबूर कर सके, किसी दस्तावेज़ को पेश करने के लिए मजबूर कर सके तब तक डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए यह जरूरत पेश हुई कि गवाहान को तलब किया जाय, दस्तावेज़ात को पेश कराया जाय और पेश करने के लिए और हाज़िर होने के लिए उसे अधिकार होना चाहिए कानूनी तरीके से। उस मकसद को लेकर यह बिल पेश किया गया है। एन्क्वायरी ऑफिसर कौन होगा, कौन नहीं होगा इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। एन्क्वायरी ऑफिसर को डिफाइन करने की मन्शा यह है कि जो एन्क्वायरी ऑफिसर नियुक्त होगा वह वही होगा जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स रूल्स के अन्दर एन्क्वायरी ऑफिसर हो सकता है। उसको यह पॉवर्स मिलने चाहिए। मैं समझ नहीं सका कि उन्होंने इतनी बात बतलाई। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की एन्क्वायरी जो होनी चाहिए इस प्राविधान के बगैर एक एन्क्वायरी सही तरीके से कम्पलीट नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट सर्वेन्ट को डिफेन्स करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। यह प्रोविज़न नहीं है कि गवाहान आपनी ताईद के अन्दर सबूत बाहर से अगर वह पेश करना चाहता है तो पेश नहीं कर सकता है। यह कहना कि किसी करप्शन के केश के अन्दर फाइल को देखकर यह कयास कर लिया जायगा कि यह करप्शन साबित हैं। मैं बड़े अदब के सात अर्ज करूंगा कि इसके लिए किसी भी तरह से किसी का कन्क्लूजन नहीं निकला जा सकता है, इन

Page No.27

(श्री दामोदरलाल व्यास)

फरेन्स नहीं निकाला जा सकता है, कयास नहीं किया जा सकता है कि उसने यह जुर्म किया है। दूसरी यह मिसाल भी हो सकती है कि कोई कर्मचारी रिश्वत मांगता है या रिश्वत लेने की कोशिश करता है वह जुर्म है। इसके अलावा कुछ विटनेसेज़ भी डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी में होते हैं और डिपार्टमेंट से तलब कराये जा सकते हैं और कुछ बाहर से भी तलब कराये जा सकते हैं। तो बाहर से तलब कराने के लिए कानून की सेन्क्शन होनी चाहिए। महज़ इस बात के लिए यह बिल पेश किया गया है। उसके अन्दर एन्क्वायरी ऑफिसर कौन होगा वह जुडीशियल होगा या नानजुडीशियल होगा इस बात का कोई उससे सम्बन्ध नहीं है। सर्वेन्ट्स रूल्स के अन्दर सब बातों का प्रोविज़न है कि एन्क्वायरी किस तरह से कन्डक्ट की जायगी, एन्क्वायरी ऑफिसर कौन मुकर्रर होगा। गजेटेड के लिए कौन होगा और नानगजेटेड के लिए कौन होगा। वे तमाम बातें उसके अन्दर है। उसको एमेंड करने का सवाल नहीं है। यहां यह एन्क्वायरी ऑफिसर को पॉवर देने की जरूरत है कि वह दस्तावेज़ात को तलब कर सकता है। गवाहान को सम्मन कर सकता है। इसके अलावा कोई बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिन कारणों से माननीय सदस्य ने चाहा कि सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय वह कारण एग्जिस्ट नहीं करते हैं, न उनका इससे कोई सम्बन्ध है, और इस प्रोविज़न का होना, सेन्क्शन किसी कानून की होना कि दस्तावेजात तलब कर सके, बहुत आवश्यक है। उसके बगैर डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कम्प्लीट नहीं हो सकती और न फार या अगेन्स्ट में दोनों तरफ से सही गवाहान या दस्तावेज़ात ही हाज़िर हो सकते हैं। एक वस्तु तलब करता है। तलब करने पर कोई हाज़िर नहीं होता, कोई दस्तावेज़ पेश नहीं करता इस चीज़ को कानून में लाया जा रहा है। इन्क्वायरिंग ऑफिसर को इस बात का अधिकार नहीं मिला इसलिए प्रावधान रखा जा रहा है। यह बात समझ कर जो प्रस्ताव पेश किया है सलेक्ट कमेटी को पेश करने का, उसे माननीय सदस्य वापिस ले लें।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I may be permitted to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने पेश किया है, उसे वापिस लेने की इजाज़त दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान डिसीप्लनरी प्रोसीडिंग्स, (समनिंग ऑफ विटनेसेज़ एन्ड प्रोडक्शन ऑफ डॉकुमेंट्स) बिल, १६५६ को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूँ। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव पेश किया कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। अपने उस प्रस्ताव के पक्ष में उन्होंने जो भी तर्क दिये, उसके सम्बन्ध में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने कुछ बातें सदन के सामने रखी और उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि इस विधेयक के अन्दर जहां तक इन्क्वारीज़ का ताल्लुक है, इन्क्वायरिंग ऑफिसर का ताल्लुक है, वहां इसमें कोई प्रावधान नहीं है और उसके लिए किसी प्रकार विचार प्रगट करना उचित नहीं है। मैं यह समझता हूं कि आखिर इस प्रकार का विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों हुई। जो कुछ इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिया हुआ कि :

"Departmental proceedings are some times delayed because at present the Enquiring Officer has no authority to compel the attendance of any witnesses, and it happens frequently that witnesses are unwilling to appeal in such proceedings. It is, therefore, considered desirable that the power for compeling the attendance of witnesses and the production of document in disciplinary proceedings against Government servants be given law to the Enquiring Officer on lines similar to the provision in section 8 of the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (NO. XXXVII of 1850). Such legislation already exists in Uttar Pradesh. The present Bill is modelled more or less on the same lines"

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट ऑफ अब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में लिखा है कि एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होती है और उसमें इस कारण से डिले होती है क्योंकि इन्क्वायरिंग ऑफिसर को इस बात की पॉवर्स नहीं है कि वह किसी गवाह को तलब करना चाहता है, कोई तहरीरी सबूत पेश करवाना चाहता है तो उसको पेश करवा सके। मैं समझता हूँ कि इसके कारण कुछ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में मुसीबत आ सकती है। लेकिन अधिकांशतः जितनी डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी चलती है, सवाल आये पुलिस का, पुलिस में डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी चल रही हैं, एस. पी. साहब डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कर रहे है। माननीय राजस्व मन्त्री को जब, मैंने पुलिस विभाग का नाम लिया, कुछ संतोष हुआ कि रेवेन्यू से हट कर मैं पुलिस पर चला गया। मैं केवल उदाहरण के रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि एस. पी. साहब डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कर रहे हैं हैड कॉन्स्टेबिल की। वे चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति विटनेस की तरह आना चाहिए, अमुक डॉकमेंट एक डॉकुमेंट्री एवीडेन्स के रूप में आना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज राजस्थान की जो अवस्था है और जिस प्रकार का एक एटमोसफियर है, उस सारे एटमोसफिअर में, मैं नहीं समझता कि एस.पी. साहब को दिक्कत होगी, कोई मुसीबत खड़ी होगी कि अमुक विटनेस उनके सामने एवीडेन्स देने के लिए आवें या न आवें। मैं समझता हूँ एस. पी. साहब का अगर नोटिस जाता है तो वह एवीडेन्स और वह विटनेस स्वतः उनके सामने पेश हो जाता है। इसी प्रकार अन्य विभागों के बारे में बात सही है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में। एक तरफ तो आप यह प्रोविज़न रखना चाहते हैं कि उनको सिवल कोर्ट्स की पॉवर दे दी जाय, जो सिवल प्रोसीज़र कोड में जो विटनेस के बारे में पॉवर्स

Page No.29

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं, वे पॉवर्स एन्क्वायरिंग ऑफिसर को देवें। तो सरकार को यह तय करना चाहिए और माननीय राजस्व मन्त्री को सदन को यह एश्योरेन्स देना होगा कि जो भी एन्क्वायरीज़ कराई जायगी, उसके लिए जो एन्क्वायरिंग ऑफिसर मुकर्रर किया जायगा, जिसकी डेफीनेशन क्लॉज़ ३ के सब क्लॉज़ (बी) में दी है, उसके लिए यह बताना होगा कि इस प्रकार के ऑफिसर का स्टेटस, क्लास वही होगी, जो डिस्ट्रिक्ट जज का होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें प्रोविज़न कर दिया है कि कोई ऑफिसर विटनेस तलब करना चाहे, कोई तहरी सबूत तलब करना चाहे, तो उसको नोटिस किस तरह सर्व करना चाहिए वह नोटिस डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू कर सकेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट जज़ का अदालत के जुरिस्डिक्शन में वह गवाह रहता है, वह तहरीरी सबूत मौजूद है, जिस व्यक्ति के पास मौजूद है, उसको तलब करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट को नोटिस भेजा जा सकता है। अब प्रश्न यह आता है कि एन्क्वायरी कर रहा है, एस.डी.ओ. एन्क्वायरिंग ऑफिसर तहसीलदार को मुकर्रर कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि तहसीलदार को मुकर्रर करना चाहते हैं। राजस्व मन्त्री महोदय, तो ऐसी हालत में उस तहसीलदार ने एन्क्वायरी शुरू की और उसने सोचा कि एक तहरीरी सबूत आना चाहिए, एक अमुक विटनेस को बुलाना है, वह विटनेस आना नहीं चाहता, यह बात नहीं है, यह हो सकता है कि उस विटनेस की रेलेवेन्सी है या नहीं, आवश्यकता है या नहीं, उस सबूत का महत्व है या नहीं। मैं समझता हूं कि सिविल प्रोसीज़र कोड में एक प्रोसीज़र दिया गया है, वह है विटनेस के बारे में, कि किसी पार्टी की एप्लीकेशन आने पर गवाह को तलब कर सकेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर सिविल कोर्ट की पॉवर्स एन्क्वायरी ऑफिसर को देना चाहते हैं तो सोचना यह पड़ेगा कि जिस एन्क्वारिंग ऑफिसर को राजस्थान सरकार मुकर्रर करती है, उसका स्टेन्डर्ड क्या है, उसका कलेवर क्या है, उसका स्टेटस क्या है, किस आधार पर है, किस तबके का है, किस स्टेन्डर्ड का व्यक्ति है। मैं समझता हूं कि एस.डी.ओ. को मुकर्रर कर दिया, वह विटनेस को तलब करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नोटिस भेजे और उसमें देर हो जाती है। अगर सिविल प्रोसीज़र कोड के प्रोसीज़र को फोलो किया जाय कि अगर समन की तामील होने में देर लग जाय, कोई बाधा उत्पन्न हो जाय, तो मैं समझता हूं कि जो एन्क्वायरी कोर्ट होता है, वह रिमाइन्डर भेजता है कि तामील होने में देर क्यों लगी है। आप अन्दाज लगाइये कि डिस्ट्रिक्ट जज़ को हाई कोर्ट लिख कर भेजे तो बात समझ में आ सकती है लेकिन एक एस.डी. ओ. डिस्ट्रिक्ट जज को लिख कर भेजता है कि एक समन तामील करने के लिए भेजा था, कि फलां गवाह पेश होना चाहिए, वह नहीं हुआ, क्या कारण है, किस कारण से देरी हुई। इस प्रकार का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मांगना और डिस्ट्रिक्ट जज़ को समन भेजना शुरू कर दिया तो मैं समझता हूं कि आज तक तो पुलिस का इन्टरफियरेंक्स जुडिसियरी में था, आज यह प्रोवीजन कर रहे हैं कि एक हाइएस्ट और प्योरेस्ट जुडिसियल ऑफिसर के काम में एक एस. डी. ओ. हस्तक्षेप करेगा। आप सिविल प्रोसीज़र कोड के आधार पर प्रोविज़न देना चाहते हैं, समझता हूं इस आधार पर

Page No.30

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एक बात विशेष रूप से सोची जाती है, जिसके बारे में सदन में कई दफा चर्चा हुई है कि जुडिशयरी का सेपरेशन करना चाहिए, उसके पीछे एक बात है, वह यह है कि जो सिविल कोर्टस की जो पॉवर्स हैं वे हाई कोर्ट के अन्डर में है, इसलिए वे इन्डीपिन्डेन्ट हैं, किसी के प्रभाव में नहीं आ सकते, उनका माइन्ड जुडिशियल माइन्ड है। ऐसी हालत में जो पॉवर देना चाहते हैं, एक ऑफिसर को यह पॉवर देना चाहते हैं तो साथ में यह विचार करना होगा कि जो पॉवर सिविल कोर्ट की हैं, वह किसी ऑफिसर को देते हैं तो उस ऑफिसर को किस स्टेन्डर्ड के ऑफिसर से मुकर्रर करेंगे। मैं आश्वासन चाहूंगा कि कम से कम इन्क्वायरी के मामले में जिन लोगों को अधिकार दिया जायगा, जो पॉवर्स एक्सरसाइज करेंगे, वे पॉवर्स एक्सरसाइज करने वाले अधिकारी होंगे, इन्क्वायरी ऑफिसर होंगे, वे होंगे, जिनका स्टेन्डर्ड सिविल कोर्ट के मुन्सिफ से कम नहीं होगा, जो किसी प्रकार जुडिसियल माइन्ड के अलावा दूसरे माइन्ड के नहीं होंगे। अगर इस प्रकार के लोग होंगे, तो मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इन धाराओं का उपयोग होगा। परन्तु विटनेस किसी इन्क्वायरी ऑफिसर को तलब करनी होगी, हरेस करना होगा, परेशान करना होगा, भले ही उसकी एवीडेन्स रेलेवेन्सी रखती हो या नहीं, तहरीरी सबूत है या नहीं, इस प्रकार की परिस्थितियों में इस प्रकार का विचार किये बिना बुलाया जायगा, इन्क्वायरी में बुलाया जायगा। यह भी हो सकता है कि किसी आदमी को हेरेस करने के लिए वारन्ट इश्यू कर दिया जाय जो नॉन बेलेबल हो, ऐसा वारन्ट इश्यू कर दिया जाय तो यह सवाल पैदा हो सकता है, एक अहमियत का सवाल है कि जो पॉवर सिविल कोर्ट्स एक्सरसाइज़ करती हैं, वे इन्क्वायरिंग ऑफिसर की पॉवर्स होंगी, तो आपको सदन को आश्वासन देना होगा कि जो इन्क्वायरिंग ऑफिसर होगा, वह उस स्टेटस से कम नहीं होगा जो सिविल कोर्ट के जज का होता है, मुन्सिफ का होता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जुडिसियल माइन्डेड ऑफिसर को अधिकार दिया तो इसका सदुपयोग होगा। अगर इस प्रकार का स्टेटस नहीं रहा, और केवल कृपा पात्र को इन्क्वायरिंग ऑफिसर मुकर्रर करना शुरू कर दिया, जैसा कि होता है, डिपाटमेंटल इन्क्वायरी के बारे में हमें मालूम है, इस सदन में कई प्रश्न लाये जाते हैं कि लोगों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। उसका मंत्रीजी जवाब देते हैं कि डिपाटमेंटल इन्क्वायरी कर रहे हैं, कि किस तरह से होती है, डिपाटमेंटल इन्क्वायरी में किस तरह देर हो जाती है, मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में डिले नहीं होती क्योंकि विटनेस नहीं आते, इस कारण से डिले नहीं होती कि कोई तहरीरी सबूत नहीं आता....

डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी में देर इस कारण नहीं होती कि शहादत नहीं होती है या सबूत नहीं होते हैं, डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी में देर होने के और कारण होते हैं, इस कारण देर होती है कि देर करना चाहते हैं हमारी मंशाएं साफ नहीं हैं, हम चाहते नहीं कि डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी जल्दी से हो। साल दो साल, तीन तीन साल गुज़र जाते हैं पर राजस्थान सरकार जानना नहीं चाहती कि डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी का क्या हुआ। आज राजस्थान में बड़ी अजीब हालत है, राजस्थान में जो एन्क्वायरी कराई जाती हैं,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कम्प्लेनेन्ट के खिलाफ एन्क्वायरी कराई जाती है जो कि कम्प्लेनेन्ट है । एक आदमी ने कम्प्लेन्ट की कि अमुक आदमी के खिलाफ मुझे शिकायत है, इसके खिलाफ एन्क्वायरी की जानी चाहिये तो एक्यूज्ड के खिलाफ एन्क्वायरी नहीं की जाती उल्टे शिकायत करने वाले के खिलाफ एन्क्वायरी की जाती है । मन्त्री महोदय कहेंगे कि ऐसा एक भी उदाहरण रखें । इस सम्बन्ध में मैं एक घटना रखूंगा । मैंने कुछ दिनों पहले सदन में शिक्षा विभाग के बारे में विचार व्यक्त किये थे और मैंने जाली रसीदें पेश की थी कि स्कूलों के अन्दर किस प्रकार लोगों को हेरेस किया जाता है . .

श्री उपाध्यक्ष : I think we are going beyond the scope of the Bill and the issue itself.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जरा सा इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble member will confine to the question itself.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में यह उदाहरण इस लिये रखना चाहता हूं कि डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कराने के बारे में राजस्थान सरकार ने अधिकार अपने हाथ में रखे हैं, उन अधिकारों का किस प्रकार दुरुपयोग होता है । जो शिकायत राजस्थान सरकार के पास कोई करता है उस शिकायत करने वाले के के खिलाफ ही एन्क्वायरी की जाती ....

श्री उपाध्यक्ष : This is altogether a different subject and the question does not cover it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सब्जेक्ट इसलिये कवर करता है कि डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कौन करेगा, जो करेगा तो ऐसा नहीं है कि बन्दर के हाथ में हथियार दे दिया . .

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें यह नहीं लिखा है कि कौन करेगा । कौन करेगा यह तो सर्विस रूल्स में दिया हुआ है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस तरह से मुकर्रर करना चाहते हैं तो हमें विचार करना होगा कि जिनको आप मुकर्रर करते हैं एन्क्वायरी करने के लिये, उन्हें इस प्रकार के अधिकार दें कि नहीं, जो जुडिशियल पॉवर्स हैं वे हम आपको कैसे दे सकते हैं, आप लॉ ग्रेज्युएट हैं नहीं फिर किसी को तलब करने और शहादत रेकॉर्ड करने का अधिकार कैसे दे दें । बन्दूक चलाना आता नहीं पर यह कह कर कि माननीय सदस्य ने शेरनी की शिकार की है । यदि मैं करूंगा तो कहीं खुद ही बन्दूक की गोली खा लूंगा । शिवचरणदास जी ने शेरनी को मारा है तो आप कहें कि मैं भी शेरनी से लड़ूंगा तो शेरनी के झपट्टे में आ जायेंगे और बन्दूक शेरनी पर नहीं चलेगी, उल्टे आप पर चलेगी । तो आपको इस प्रकार के अधिकार दिये जायं या नहीं इस बात पर विचार करना होगा । कहना आसान है कि एन्क्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर देंगे पर डिपार्टमेंटल एन्क्वायरीज़ में होता क्या है ? डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी होनी चाहिये थी उस हैड मिस्ट्रेस के खिलाफ . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा खयाल है कि मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है और उसको माननीय सदस्य ने ध्यान से सुना है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि प्रश्न से परे नहीं जायेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, आपकी व्यवस्था तो सर आंखों पर है . .

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : लेकिन मानूंगा नहीं ।

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर इन्स्टेन्स के रूप में मन्त्रीजी के सामने नहीं रखूंगा कोई उदाहरणनहीं रखूंगा तो मन्त्री महोदय कहेंगे कि, ऐसा कहीं नहीं हुआ । एक भी उदाहरण इस प्रकार का बता दें . .

उपाध्यक्ष : But this question has been oftenrepeated.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, आपने व्यवस्था दी है, सदन की यह परम्परा रही है कि चेयर की व्यवस्था माननी चाहिये, इसके सम्बन्ध में ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा पर मैं एक दूसरी बात रखना चाहता हूं कि एक पुलिस कॉन्स्टेबिल ने दूसरे पुलिस कॉन्स्टेबिल के खिलाफ शिकायत की . .

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक विषय का प्रश्न है, इससे परे नहीं जायें . . Instances of this type which the Hon'ble member is citing are not covered by the question itself.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न तो इसलिये रिलेवेन्ट है कि जिनको पॉवर्स देते हैं वे उन पॉवर्स को जुडिशियली एक्सरसाइज़ करने के लिये कम्पेटेन्ट हैं कि नहीं, यह हमें अवश्य देखना होगा । डी. आई. जी. के स्टेन्डर्ड का आदमी लिख देता है कि डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कर ली और ५रु०जुर्माना कर दिया, श्री एन.सी. दत्त डी. आई. जी. ने होम मिनिस्टर को लिख दिया । होम मिनिस्टर से कहा गया कि डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी हुई कि नहीं । जांच के बाद मालूम हुआ कि कोई डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी नहीं हुई और जुर्माना कर दिया । तो आपके डी. आई. जी. के स्टेन्डर्ड के लोग धोखा देते हैं, जिनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी नहीं हो, वहां कह देते हैं कि डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी हो गई । कोई डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी उसके खिलाफ नहीं हुई, जुर्माना उसके खिलाफ नहीं हुआ आप चाहें तो वह ओरिजिनल लैटर की कापी मेरे से ले सकते हैं, कापी मेरे पास है, आप कहें तो मैं ला कर दिखा सकता हूं । तो इस प्रकार के अधिकारियों को इस प्रकार के अधिकार देना, उनको खुली छूट देना चाहते हैं यह उचित नहीं । जो एक्युज्ड है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसके खिलाफ एन्क्वायरी नहीं की जाय और जो घोटाले को सामने लाना चाहता है, जो एक्यूज्ड को सजा दिलवाना चाहता है, उस कम्प्लेनेन्ट के खिलाफ एन्क्वायरी की जाय, जो अपराधी को और अपराध को सामने रखना चाहता है उसके खिलाफ एन्क्वायरी करना चाहते हैं औरफिर पूछते हैं कि विटनेस का नाम बताओ, वह किसी एम.एल. ए. का नाम ले लें, उन सारे लोगों से एम. एल. एज. के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नाम लिखवाना चाहेंगे तो इस सारी टसल में डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी की गई तो सब बातें पूछेंगे, किसने इस बात को कहा, क्या सबूत है, उन ऑफिसर्स के खिलाफ डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी की जायगी तो उनसे विटनेसेज़ की लिस्ट ली जायगी । यह हमारे दुर्भाग्य की बात है कि आप इस तरह की कोशिश करेंगे, पुलिस के सारे अधिकारियों से पूछेंगे कि किन को गवाह पेश कराना चाहते हैं, फिर उनको गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है तो सरकार यदि चाहे तो यह बात मुश्किल नहीं है कि उस लिस्ट में उन लोगों के नाम पेश कराने की सरकार कोशिश करेगी कि जो विरोधी दल के सदस्य होंगे, जो विरोधी दल के सदस्य सरकार के मिसमेनेजमेंट की एम्बेजलमेंट की और दूसरी गड़बड़ियों के बारे में बातें रखते हैं, उनके नाम विटनेस लिस्ट में पेश कराये जा सकते हैं तो फिर कोई इन्कार नहीं कर सकते कि मैं विटनेस के रूप में नहीं जाऊंगा, फिर इस तरह से हरेसमेंट होगा । मैं यह नहीं कहता कि इस प्रकार के अधिकार नहीं देने चाहिये, इस प्रकार की एन्क्वायरी नहीं होनी चाहिये, इस प्रकार के अधिकार दिये जायं एन्क्वायरी होनी चाहिये पर जुडिशियल एन्क्वायरी होनी चाहिये । पर आपको जो अधिकार दिये जायं उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये, आप उन अधिकारों का दुरुपयोग न करें । एन्क्वायरी ऑफिसर्स का क्लॉज ३, सब-क्लॉज़ बी. ये है कि सरकार किसी को इन्क्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर देगी, तहसीलदार को या नायब तहसीलदार को मुकर्रर कर देगी या किसी को कर देगी, कोई रोकने वाला नहीं है आपको । तो आप सदन में इस बात का आश्वासन दीजिये कि सीविल कोर्टस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनसे कम स्टेन्डर्ड के लोगों को रखा जायगा, उन लोगों को अधिकार देने में हमें कोई आपत्ति नहीं । पर यह चीज़ एश्योरेंस के रूप में सदन में देना होगा कि जूडिशियल ऑफिसर्स के स्टेन्डर्ड के लोगों को एन्क्वायरी ऑफिसर्स मुकर्रर करेंगे । इन बातों का जवाब माननीय राजस्व मंत्रीजी देने को तैयार हों तो इस विधेयक को सदन में विचारार्थ लिया जा सकता है, नहीं तो मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को विचारार्थ नहीं लिया जाय ।

श्री दामोदरलालव्यास (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष, जो माननीय सदस्य फुलेरा से आये हुए हैं, उन्होंने अपने विचार इस बिल के सम्बन्ध में प्रकट किये थे तो मैंने उसका जवाब दे दिया था । जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने उन्हीं बातों को दोहराया है. जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष, आपने भी उनका ध्यान आकर्षित किया है कि उनकी बातें बिल से रिलेवेन्ट नहीं है । उन्होंने कुछ किसी गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के बारे में और उनकी कुछ ग्रिवेन्सेज के बारे में बातें थीं उनको यहां रखा, पर वे इस बिल से ताल्लुक रखने वाली बातें नहीं थी ।

साधारण सी बात है कि गवाह का नाम पेश कर दे, इसका अधिकार उनको होना चाहिये. उनके बयान ले लें, इस अधिकार से गवाहों को तलब कर बयान ले सकें इस लिये ये अधिकार रखे हैं । अब सवाल यह रहा जैसा कि उन्होंने कहा कि तहसीलदार को अपोइन्ट कर दिया, तो टिनेन्सी एक्ट में तो आज भी तहसीलदार को सीविल कोर्टस के

Page No.34

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पॉवर हैं, किसी दस्तावेज़ को तलब करने के बयान लेने के अधिकार ऑलरेडी हैं, तो यह कहना कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार को अधिकार दे दिये जायेंगे और हेरेसमेंट होगा यह ठीक नहीं। ये सर्विस रूल्स में ऑलरेडी पॉवर्स हैं। तो इसमें तो सिर्फ लीगल बात रखनी थी कि गवाह को तलब कर सकते हैं, इसलिये इसमें यह बात रखी है। इन्क्वाय-रिंग ऑफिसर्स के सामने जाने में गवाह लोग गुरेज करते थे, अब जाने में गुरेज न करें इसलिये यह रखा है।

इसलिए मैं बहुत नम्रता के साथ मान-नीय सदस्य से असहमत हूं और यह निवेदन करूंगा कि जो विचार उन्होंने प्रकट किये हैं, वे इस बिल से ताल्लुक नहीं रखते।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज-स्थान डिसिप्लिनरी प्रोसिडिंग्स (समनिंग ऑफ विटनेसेज़ एन्ड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्युमेंट्स) बिल, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस (दी राजस्थान डिसिप्लिनरी प्रोसी-डिंग्स (समनिंग ऑफ विटनेसेज़ एण्ड प्रोड-क्शन ऑफ डॉक्यूमेन्ट्स) बिल, १६५६) बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

६.३१ म० पू०

राजस्थान हिन्दु सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १६५८ (विचार-विमर्श)

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I have got a motion for Select Committee.

श्री दामोदरलाल व्यास : I want to state only the reasons and objects of this Bill in brief. जैसा कि इस बिल के स्टेट-मेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स से मालूम है कि यह बिल पहले भी विधान सभा में लाया गया था और पास हो गया था। उस समय इस पर बहुत सारे अमेंडमेंट्स आये थे जिनमें से बहुत सारे अडोप्ट किये गये थे और उसको पास किया था। पर अजमेर के विलीनीकरण के वक्त में यह बिल लैप्स हो गया और इसको दुबारा लाने की आवश्यकता हुई। राजस्थान में कई रियासतें थीं, उनमें जो धार्मिक प्रन्यास हैं उन पर कन्ट्रोल करने, सुपरवाइज़ करने और उनके फंड्स को कन्ट्रोल करने और रेग्युलेट करने के लिये अलग अलग कानून थे, पर ज्यादा रियासतों में कानून नहीं थे, उन राजाओं की आज्ञाओं से, सर्कूलर्स से इन प्रन्यासों पर कन्ट्रोल होता था पर राजस्थान बनने के बाद और भारत का विधान अमल में आने के बाद में कुछ न कुछ कमी महसूस हुई और एक यूनिफाइड लॉ बनाने की आव-श्यकता हो गई। हज़ारों पब्लिक ट्रस्ट हैं जिनमें लाखों ही नहीं एक आध में तो करोड़ों की

Page No.35

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सम्पत्ति हैं, लाखों हज़ारों का उनका सालाना बजट है। पर कानून के अभाव में उनका कन्ट्रोल नहीं हो सकता, उनमें मिसमेनेजमेंट होता है, उनका प्रोपर अकॉउन्ट मेंटेन नहीं किया जाता और कई तरह से इनके फन्ड्स के पैसे का दुरुपयोग होता है। ये तमाम खामियां तभी पूरी हो सकती हैं, जब कि यूनिफाइड लॉ बनायें। इसी बात को खास ध्यान में रखते हुए यह कानून पेश किया गया है। इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि ट्रस्टीज़ को कम से कम असुविधा हो, इन फन्ड्स के बाकायदा हिसाब रखे जायं, उनका बाकायदा ऑडिट हो, कोई आदमी इन फन्ड्स को मिसएप्रोप्रियेट न कर सके, उन उन धर्मों के मानने वाले लोगों का उन ट्रस्ट्स में प्रोपर रिप्रेज़ेन्टेशन हो। देवस्थान बोर्ड का प्रोविज़न है जो सारे राजस्थान के लिये होगा जिसमें, जैनीज़, शैव्स, सनातनिस्ट्स सबको प्रोपर रिप्रेजेन्टेशन दिया जाय। रीजनल एड्वाइज़री बोडीज़ और कमिश्नर्स में डिफरेन्सेज नहीं हो तो ठीक, अगर डिफरेन्सेज़ हों तो फाइनली बोर्ड की राय को फोलो करेंगे। इसमें गवर्नमेंट का दखल कम से कम रखा है, केवल इस बात को एन्श्योर करने के लिये कि कोई फन्ड्स का नाजायज़ फायदा नहीं उठाये, ठीक तरह से खर्च हो, जिस पर्पज को ले कर ट्रस्ट कायम किया गया है उस ट्रस्ट के करने वाले की इच्छा की पूर्ति अच्छी तरह कार्य रूप में की जाय।

इस बात का खास तौर से ध्यान रखा गया है कि अलग अलग धर्म वालों का प्रोपर रिप्रेज़ेन्टेशन हो और धर्मादे का जो प्रोविज़न रखा है। पहले उस पर काफी बहस हुई थी और उचित समझा गया था कि धर्मादा राजस्थान में जगह जगह होता है। चैरिटेबल काम में लगाया जाय, उसके बारे में कन्ट्रोल रखा जाय।

एक माननीय सदस्य : इसका नाम हिन्दू ट्रस्ट बिल क्यों रखा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिये रखा कि ऑलरेडी मुस्लिम वक्फ एक्ट है और हमारे यहां कमिश्नर वगैरह सारा स्टाफ है, काम कर रहा है। हिन्दूज के लिये सेपरेट कानून नहीं था इसलिये यूनिफाइड लॉ बनाना आवश्यक हुआ। राजस्थान स्टेट के दो तीन बिल इससे रिपील होंगे।

तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ट्रस्टस के फन्ड्स सेफ रहें, जिस मकसद से हुए हैं उसी मकसद में काम आयें। इस भावना को समझ कर माननीय सदस्य इस पर विचार करें। कोई राजनैतिक भावना धार्मिक बिल में आने की आवश्यकता नहीं और माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इन सारी बातों को सोच कर इस पर विचार करें

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण के लिये दो एक शंकाएं हैं मैं उनका समाधान चाहती हूं। पहली बात तो यह है कि पिटिशन में कहा गया है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति इस लिये नहीं मिली कि धर्मों पर इससे आक्षेप होता है। तो मैं यह जानना चाहूँगी कि वस्तुस्थिति क्या है ?

दूसरी बात यह है कि पिटिशन कमेटी ने

(डॉ० चन्द्रकला)

रिपोर्ट दी है उनमें बताया है कि मद्रास और उड़ीसा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order Sir.

श्री उपाध्यक्ष : इसका क्लेरिफिकेशन आवश्यक नहीं है, पिटिशन को सर्कुलेट किया जा चुका है। Let us hear the point of order raised by the Hon'ble member which is more urgent and important if it is at all a point of order.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Under Rule 200 (2) it is said that "It shall be the duty of the Committee to report to the House on specific complaints made in the petition and referred to it after taking such evidence as it deems fit and to suggest remedical measures either in a concrete form applicable to the case under review or to prevent such cases in future." २०२ है "Presentation of Report of the Committee:- The Report of the Commitee shall be signed and presented to the House by the Chairman of the Committee on behalf of the Committee."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि रूल नं० २०० का सब क्लॉज़ दो है, उसमें फंक्शन्स ऑफ दी कमेटी दिए हुए हैं। उसकी तहत में लिखा है :

"It shall also be the duty of the Committee to report to the House on specific complaints made in the petition and reffered to it after taking such evidence as it deems fit and to suggest remedial measures..."

मैं यह समझता हूं जो पिटिशन्स कमेटी को जो पिटिशन पेश की गई थी उस पिटिशन के बारे में जो कम्प्लेन्ट की गई उन कम्पलेन्टस के बारे में पिटिशन कमेटी ने कोई निर्णय नहीं दिया। पिटिशन के बारे में यह लिखा है "हम यह महसूस करते हैं कि यह बिल लाभप्रद होने की बजाय हानिप्रद सिद्ध होगा और हमारा अनुभव है कि राज्य सरकार की देख रेख में चलने वाले सार्वजनिक ट्रस्टों और मन्दिरों की व्यवस्था बिगड़ती गई है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री केसरियानाथ जी का जैन मन्दिर व श्री नाथद्वारा का मन्दिर है।"

मैं समझता हूं ये इस प्रकार की शिकायत है जो पिटिशन में की गई है उन। शिकायतों के बारे में पिटिशन कमेटी को तय करना चाहिये था। यह शिकायत वाजिब है या नहीं या इसमें कहां तक तथ्य है इसके लिए वे क्या रिमेडी सजेस्ट करते हैं यह चीज इसमें नहीं है। इसमें बेसिक चीज कोनसी है जिसमें पिटिशन कमेटी ने ध्यान आकर्षित किया है। मैं नहीं समझता कि जो कुछ पिटिशन कमेटी ने सदन के सामने अपना निर्णय रखा है क्या उसे निर्णय माना जाय? मैं समझता हूं उसने कोई निर्णय नहीं दिया है। इतना सा लिखा है कि 'उपरोक्त कथन एवं याचिका में उठाये गये मुद्दों पर विचार करने के पश्चात् समिति ने बहुमत से यह निर्णय लिया कि उक्त पूरी याचिका की प्रति सदस्यों को वितरित कर दी जाय" यह जो निर्णय उसने लिया उससे पहले ही हमें वह याचिका की प्रति प्राप्त हो चुकी थी और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जो प्रतिवेदन का उपस्थापन हुआ है वह तो आज सदन में हुआ है किन्तु याचिका की प्रति तो मुझे कल ही प्राप्त हो चुकी थी इसलिए समिति ने निर्णय का सवाल ही खड़ा नहीं होता समिति ने निर्णय दिया कि उक्त पूरी याचिका की प्रति समस्त सदस्यों को वितरित कर दी जाय। इतना कह देना मैं समझता हूं समिति का निर्णय नहीं माना जा सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से रूल नं० २०० के जो फंक्शन्स हैं उसको पिटिशन कमेटी ने पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं किये हैं। जो शिकायत याचिका में की गई, नाथद्वारा मन्दिर और केसरिया नाथजी के मन्दिर के बारे में इसमे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ, गबन हुआ, इन चीजों का फैसला करना था, इस बारे में शहादतें लेनी चाहिये थी। इस संबंध में कमेटी को जानकारी प्राप्त करनी चाहिये थी और उसके बाद जो भी सुझाव होते उन सुझावों के साथ सदन के सामने वह रिपोर्ट आनी चाहिये थी। रूल २०२ है उसके तहत जो पिटिशन करने का प्रावधान रखा गया है वैसे ही पिटिशन बहुत ही कम होती है इसलिए कि पिटिशन्स का प्रोविजन बहुत ही इम्पोर्टेन्ट प्रोविजन है। लोकसभा में भी इसको बहुत ही कम प्रयोग में लिया जाता है। कहीं पर भी न्याय न मिले काफी कोशिश करने के बावजूद सब रास्ते अपनाने पर भी न्याय न मिलता हो तो यह अन्तिम स्टेज है कि पिटिशन के जरिये जहां सारे राजस्थान की हुकूमत वेस्ट करती है, उस विधान सभा के सामने इस प्रकार की याचिका के द्वारा अप्रोच होता है यह जो तरीका रूल्स में दिया हुआ है पार्लियामेंटरी प्रोसीजर में नया तरीका है यहां तो यह बिल्कुल नया है। यहां इसका मैं समझता हूं यह पहला ही उपयोग है और उस पिटिशन कमेटी का यह जो पहला प्रतिवेदन है इसलिए मुझे पिटिशन कमेटी के माननीय सदस्य क्षमा करें यदि मैं यह कहूँ कि यह उनके लिये पहले ही मौका था इसलिये वे इसके फंक्शन्स से अनिभिज्ञ थे। मैं फिर से निवेदन करूंगा इस प्रकार एक इम्पोर्टेन्ट बिल के बारे में पिटिशन करना और उसमें स्पेसिफिक चार्ज लगाया जाना इसके बारे में किसी प्रकार की जांच न करना, मैं समझता हूँ २०२ का जो रूल है उसकी पाबन्दी बराबर नहीं हो पायी है, उसके बारे में रिमेडियल मेजर्स सजेस्ट करने चाहिये थे, वह नहीं किये गये। यह सब हो जाने के बाद ही सदन इस पर विचार करें यही मेरी आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष : I would like to give my own observations about the point of order raised by the Hon'ble member. The intention so for as guaranteed by the procedure as well as the Rules and the observations of the different committees on the subject is just to focus the intention of the House. I, therefore, treat the decision of the Committee as pertaining to the circulation of the petiton as a decision taken by the Commitee and on the other hand because it is appointed by the Hon'ble Speaker and not by the House, the way for focusing the attention of the House is just to circulate. This is the decision taken by the Committee under the procedure and when I submit these my observations are also fortified by various committees on the subject in Lok Sabha and therefore we will now

Page No.38

(श्री उपाध्यक्ष)

proceed on with the debate.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत क्यों कर दिया गया, इसके बारे में क्या स्थिति है ? इसकी जानकारी दे दें तो ज्यादा उचित है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राष्ट्रपति को इस बिल की प्रति जो छपकर जानी चाहिये थी वह समय पर नहीं भेजी जा सकी। उससे पहले अजमेर का मर्जर हो गया। इस कारण उसको अस्वीकृत कर दिया यह कहना गलत बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो पिटिशन कमेटी द्वारा जो कहा गया, क्या पिटिशन कमेटी का डिसीजन होगया ?

श्री उपाध्यक्ष : I may convince the Hon'ble Member. My observation is supported by observations contained in 9th report based upon Committee of Petitions. 1956-57 dated 30th May, 1956. "A petition on a Bill pending before the House or under discussion in the House, is considered by the Committee immediately, under Rule 184. The Committee generally directs the circulation of the petition to the members even before presentation of its report to the House so as to place it in the hands of the Members before the Bill is taken up in the House." So the circulation is just taken as decision of the Committee on the subject.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो समिति द्वारा रिपोर्ट दी गई है वह हाउस में अभी अभी सर्कुलेट हुई है। इसलिये हमें यह जानकारी नहीं हो सकी कि समिति का जो निर्णय सदन के सामने आया है वह किस प्रकार से आया है। आज ही जब सभा की कार्यवाही चालू हो चुकी थी उसी समय यह प्रस्तुत हुआ था। ऐसी परिस्थिति में, इसमें जो कुछ भी निर्णय लिया गया है, उस निर्णय के बारे में उस विधेयक पर वाद विवाद करना न्याय संगत नहीं है। कम से कम एक दिन का समय इसके लिये अवश्य मिलना चाहिये। जो समिति का निर्णय आया है उस पर हम विचार कर सकें और विधेयक पर भी उस निर्णय की लाइट में विचार कर सकें। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर आज विचार स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : चूंकि विधेयक पर विचार किया जा रहा है कि पिटिशन का निर्णय इस संबन्ध में अधिक रिलेवेनसी नहीं रखता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ जो हमेशा के लिये चल सके। पिटिशन कमेटी का निर्णय रिलेवेन्सी कितनी रखता है। यह निर्णय का सवाल नहीं लेकिन जिस दिन निर्णय दे उसी दिन उस पर क्या बहस होनी चाहिये इस संबंध में निर्णय चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : जो भी व्यवस्था आसन से दी जाती है वह हमेशा के लिये दी जाती है। फिर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं। पिटिशन कमेटी की रिपोर्ट वाद विवाद का

(श्री उपाध्याय)

विषय नहीं है। वादविवाद का विषय है विधेयक।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर): इसके सम्बन्ध में मेरा एक संशोधन प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे।

जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में बताया गया है कि यह विधेयक हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक तथा प्रन्यास दोनों का नियमन करने तथा उनके प्रशासनार्थ और उचित व्यवस्था के लिये प्रावधान बनाने के लिये अपेक्षित है। यहां तक तो ठीक है कि सरकार ऐसे धार्मिक प्रन्यासों और पुण्यस्थानों की व्यवस्था करें। लेकिन जब हम इस विधेयक के विस्तार में जाते हैं तब हमको पता लगता है कि इस पर थोड़ा अधिक विचार करने की आवश्यकता है। वैसे माननीय देवस्थान मंत्री महोदय ने बहुत काफी स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है पर इसके बाद भी कुछ बातें ऐसी मालूम पड़ती हैं जिन पर और अधिक विस्तार से विचार करना चाहिये।

सबसे पहले मुझे इस विधेयक के स्वरूप के सम्बन्ध में ही थोड़ी सी शंका होती है। यद्यपि यह हमारे सामने बात आ गई कि यहां पर इसका हिन्दू शब्द क्यों रक्खा है। मेरा यह सुझाव था कि यह सलेक्ट कमेटी में इस के साथ भेजा जाता कि इसको हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक न करके राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास विधेयक के रुप में रखा जाता तो क्या हर्ज था। हम सब जानते हैं कि हिन्दू के साथ साथ राजस्थान में अन्य जातियां भी रहती हैं, अन्य सम्प्रदायें भी हैं। मुसलमानों के लिये एक अलग वक्फ बना हुआ है यहां तक तो ठीक है। पर इसके अलावा ईसाई सम्प्रदाय है उनके भी प्रन्यास हैं, इसी तरह से उनके चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। नागोर में गुसाइयों का स्थान है। इसको लेकर अभी एक झगड़ा था। इसकी भी समस्या सामने आ सकती है। अलवर भरतपुर में मेव बसते हैं, उनके भी धर्मस्थान हैं, चेरिटेबल ट्रस्ट हैं। उनकी बात भी है। तो यह जो विधेयक हम बनाने जा रहे हैं पूरे प्रान्त के लिये तो सब जनता के लिये है, तो हम जब कानून बनाते हैं तो हमें यह ध्यान अवश्य ही रखना पड़ेगा कि हमारा कानून सर्व साधारण जनता को बिना किसी भेद भाव के सबको संरक्षण दे सके। जब हिन्दू शब्द हम इसमें रखते हैं और इसकी धारा २ में प्रन्यास में बताते हैं कि हिन्दू में बौद्ध, जैन सिक्ख मत मानने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हैं तो इतना ही नहीं है। माना कि मुसलमानों के लिये दूसरा प्रन्यास है पर इस के अलावा भी कुछ ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट या कुछ ऐसे प्रन्यास रह जाते दीखते हैं जिनके बारे में भी सोचना पड़ेगा।

इसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो इसमें साफ बताया हुआ है कि यह फलां क्षेत्र में पहले प्रारम्भ होगा। तो जहां क्षेत्र की बात देखते हैं वहां आबू क्षेत्र के अतिरिक्त सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर लागू होगा ऐसा इसमें लिखा है। जब आबू राजस्थान का एक हिस्सा है, अपने प्रान्त में वह सम्मलित है, सब तरह के नियम कायदे कानून राजस्थान के वहां लागू है। तो क्या कारण है कि आप आबू को इसमें से अलग रखते हैं। आबू में जैन मन्दिर हैं, जैन जाति को हमने हिन्दू परिभाषा के अन्तर्गत लिया तो इन प्रन्यासों

(डॉ० चन्द्रकला)

को और दूसरे दूसरे जो वहां मन्दिर हैं तो उनको क्यों छोड़ते हैं। यह भी सोचने की बात है।

इसके आगे चलते हैं। इसमें लिखा है यह किस समय से लागू होगा। इसकी कुछ धाराएं तो किसी वर्ग पर किसी तरह से किस तरह से कब लागू होगी और आगे चलकर ये सारी धाराएं चार टुकड़ों में लागू होने वाली हैं। एक साथ एक समय पर विधेयक लागू होता और एक तरह से होता तो ठीक था। सदन विचार करके निर्णय दे सकता था। पर अलग अलग जगह में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से विधेयक लागू होने वाला है। तो इसलिये और सोचने की बात इसमें पैदा हो जाती है।

इसके साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में बताया गया है इसके द्वारा सरकार देवस्थान आयुक्त, सहायक आयुक्त, निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये प्रबन्धान करेगी और इसके साथ ही साथ राज्य स्थायी सलाहकार बोर्ड की स्थापना करेगी। तो निश्चय ही इस बोर्ड के हाथों में इस तरह के धार्मिक स्थानों और चैरिटेबल ट्रस्टों की जिम्मेदारी जाने वाली है। तो इस तरह से सलाहकार बोर्ड जो बनने वाला है वह कैसा होना चाहिये उसको कितनी शक्ति मिलनी चाहिये उसके किस तरह के अधिकार और कर्त्तव्य होने चाहिये, जिससे कि वह इस काम को अच्छी तरह से कर सके। इसको सोचने की जरुरत है। इसमें बहुत से कर्त्तव्य बताये गये हैं। बहुत सी बातें दी गई हैं तो इसके साथ साथ यह सोचने की आवश्यकता है।

अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ज्योंहि यह बिल हमारे सामने आया कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उनकी रिपोर्ट में यहां तक बताया गया है कि हमारे मन्दिरों के पैसे का दुरुपयोग होने वाला है, और दो एक मन्दिरों और धर्मस्थानों का उदाहरण भी दिया गया है। जो चीज़ सरकार के हाथ में पड़ गई उसकी दुर्व्यवस्था हो गई, आज लोगों की यह धारणा बन गई है। मैं नहीं कह सकती कि सरकार के हाथों में आने से दुर्व्यवस्था हुई या क्या हुई। पर यह सरकार से अपेक्षा और आशा की जाती है कि व्यवस्था सुन्दर से सुन्दर होगी, अच्छी होगी और सार्वजनिक सम्पत्ति का दुर्व्यय नहीं होगा इस दृष्टि से यह विधेयक बनना अच्छा है। पर हमको देखना यह तो जरुर पड़ेगा कि जो धाराएं रक्खी गई हैं, जो प्रावधान रक्खा गया है, वह इस लक्ष्य तक हमें पहुँचाता है या नहीं।

इसके साथ साथ जहां पर हम यह बात करते हैं उसी तरह से इसमें कुछ धाराएं ऐसी रक्खी गई हैं, जिनके बारे में, लगता है कि इसमें सरकार की क्या मंशा हो सकती है। एक जगह विधि तथा कर्त्तव्यों में छूट की बात इसमें भी सद्भावना से की जाने का उल्लेख है। तो यह सद्भावना कोई छोटी बात नहीं है। चैरिटेबल ट्रस्ट या इस तरह की सम्पत्ति बहुत बड़ी है और इसमें जनता की धार्मिक भावनाओं का स्पर्श करने वाली चीजें हैं। वहां पर भी सद्भावना शब्द ऐसा आता है कि सद्भावना के शब्द की छूट कब मिलेगी मैं इसका विरोध नहीं कर सकती अभी। पर यह तो जरूर देखना पड़ेगा कि सद्भावना हमारी कहां तक उस उद्देश्य को पूरी करने में सहायता दे सकती है।

इसी तरह एक धारा मुक्ति के बारे में

(डॉ० चन्द्रकला)

है और इसमें यह बताया गया है कि राज्य सरकार चाहे जिस किसी ट्रस्ट या प्रन्यास को इस विधेयक की किसी भी धारा से मुक्त कर सकते हैं। तो इस तरह का एक डिस्क्रिशन सरकार को देना कहां तक ठीक होगा, कहां तक नहीं होगा। इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं तो सोचती हूँ कि वैसे यह ट्रस्ट बनाना है, और सार्वजनीन सम्पत्ति को संरक्षण देना है सार्वजनिक स्थानों का और सार्वजनिक संपत्ति का सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो, अपव्यय न हो इसको जरुर देखना है। पर यह किस तरह से हो ? जिन धाराओं का इस में प्रावधान आप रख रहे हैं उनसे यह काम अच्छी तरह से होता है या नहीं यह अवश्य विचार करना पड़ेगा। इस दृष्टि से मैंने यह प्रस्ताव रक्खा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे तो इसको अच्छा रुप दे सकते हैं।

यह ठीक है कि इस पर पहले विधान सभा अच्छी तरह विचार कर चुकी है और अन्तिम रुप दिया जा चुका है। पर तब से अब तक इन धार्मिक प्रन्यासों के सम्बन्ध में ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसे बड़े बड़े तथ्य सामने आये हैं, जिनको देखते हुए जनता को विश्वास में लेना और थोड़ा और इन बातों के बारे में सोचना जरूरी सा लगता है। इसी आशय से मैंने यह प्रस्ताव सदन के सामने रक्खा है। आशा करती हूं कि सदन इस पर विचार करेगा और स्वीकार करेगा।

१० म० पू०

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष,....

श्री उपाध्यक्ष : Dr. Bahdur Singh, I am taking the next motion. You will have a chance after the next motion.

श्री जगदीश प्रसाद।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५८ में संशोधन इस प्रकार है :

"राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५८ को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे जो आगामी शीतकाल सेशन में प्रस्तुत करें।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में वह दृश्य दिखाई दे रहा है जो हम पुराने ग्रन्थों में पढ़ते हैं, वैसा ही ऋषि मुनियों की याद दिलाते हैं और हमारे माननीय राजस्व मन्त्री जी उसी पद को ग्रहण करके विराजे बैठे हैं। मनु महाराज ने धर्म ग्रन्थों की रचना की और उसके बाद में त्रेता युग में श्री परशुराम जी की रामायण देखते हैं और समाजकल्याण का उस समय भी सुधार किया....

श्री उपाध्यक्ष : उस समय भी समाज कल्याण विभाग था क्या ?

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : राजस्व मन्त्री परशुराम जी के पद को ग्रहण कर रहे

Page No.42

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास बिल का नाम हिन्दू के नाम पर क्यों रखा जा रहा है, क्या राजस्थान में हिन्दुओं के अलावा और दूसरी जाति के लोग नहीं रह रहे हैं। मगर मैं तो यह समझता हूं कि हमारे मन्त्रियों के चाहे मक्खी लगो या कुछ भी लगो उसमें मीठा शहद मालूम होता है। तो मन्त्री महोदय को हिन्दुओं के देवालय और मन्दिरों में ही धन ज्यादा मालूम होता है। लेकिन मैं आपको इसका स्पष्टीकरण कर देता हूं कि जो हिन्दू या वैष्णाव हैं। उनके ऐसे मन्दिर रेयरली होंगे जिन में धन होगा और अगर थोड़ा बहुत धन है वह जैनियों के मन्दिरों में पाया जाता है। वरना हिन्दुओं के मन्दिरों की और ट्रस्ट की ऐसी हालत हो रही है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी की मैं अर्ज करता हूँ कि अगर मन्दिरों के कोई पुजारी गांवों के अन्दर थालो लेकर भी गांव भर में फिर जायें तो चून भी अगर कोई थोड़ा सा डालेगा तो ठाकुरजी के भोग लगता है नहीं तो नहीं लगता है तो हिन्दुओं के मन्दिर की यह हालत है। तो मुझे मालूम नहीं है कि यह हिन्दुओं के ऊपर ही क्यों होना चाहिए। इस बिल का नाम तो होना चाहिए 'राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक।' अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने विधान के अन्दर धर्म निर्पेक्ष राज्य माना गया है। सब को अपने अपने धर्म का अधिकार है फिर समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार को इस समय इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी। मेरी समझ में नहीं आता हमारी सरकार का यह धर्म के ऊपर आक्षेप कहां तक ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि धर्म निर्पेक्ष राज्य होना चाहिये और धर्म आक्षेप राज्य नहीं होना चाहिये। मैं अर्ज करूंगा कि इसमें जो बोर्ड की नियुक्त की जायगी और कमेटी की नियुक्ति की जायेगी उसमें सदस्य नामज़द होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जहां जहां मेरे देखने में आया है जहां जहां सरकारी अधिकारी होते हैं, वह उनके चैयरमैन होते हैं। और वह सरकार के पिट्ठू हो जाते हैं और अक्सर यह देखने में आया है कि सरकार की ऐसी आदत पड़ गई है कि उनके आदमियों को डीमोरेलाइज़ नहीं करना चाहते हैं सर्विस को डीमोरेलाइज़ नहीं करना चाहते हैं, उनको दबा दबा कर अनुचित काम कराये जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार इनको नामज़द क्यों करती है। क्यों नहीं चुने हुए आदमी इन कमेटियों में रखे जाते। मुझे नाथद्वारा का तो मालूम नहीं है लेकिन मैंने एक क्वेश्चन भी असेम्बली में किया था कि हमारा एक ठाकुरजी का मन्दिर है वहां भी एक कमेटी और ट्रस्ट बना हुआ है उसका चेयरमैन एस०डी०ओ० होगा या कोई और होगा मुझे पूरा मालूम नहीं है; माननीय राजस्व मन्त्री जी जानते होंगे। लेकिन वहां एक कमेटी में हज़ारों रुपये की चान्दी और सोने का नीलाम हुआ उसमें भी अभिन्नता हुई और उसके लिये उसके जितने भी मेम्बर थे वह भी खिलाफ थे लेकिन खिलाफ होते हुए भी जो वहां के चैयरमैन हैं वह नोमिनेटेड हैं और उन्होंने अपनी सत्ता का भी दुरुपयोग किया जिसके कारण वहां के पुजारियों के अन्दर भ्रम फैला हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, अब इसके अन्दर दूसरी बात यह हो रही है कि धर्मादा के ऊपर भी सरकार ने आक्षेप किया है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि 'धर्मादा' कोई वैष्णावो में तो आज निकालने वाला मालूम

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

नहीं होता है। मैं आपको एक अन्य दृष्टांत बताऊं कि अभी विनोबाजी हमारे देवली में आये थे उन्होंने घड़े के अन्दर एक एक मुट्ठी अनाज डालने के लिए सबको प्रेरणा दी थी लेकिन किसी ने धर्मादे की एक मुट्ठी तक नहीं निकाली। इसको हमारे मन्त्री जी जानते हैं कि वहां कुश्तम पछाड़ में सब घड़े फूट गए। धर्मादे का यह नियम है कि आप रोज रोटी खाते हैं तो एक रोटी धर्मादे की निकालो। खलियानों के अन्दर भी किसान लोग सेरों अनाज देते है। हमने गांवों के अन्दर बनियों में देखा है व्यापारियों में देखा है कि एक आदमी इसके लिए मुकर्रर कर देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष :जब धारावाहिक विवाद होगा तो उस समय आपके पास कहने के लिए क्या रह जायेगा। अभी यह तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह हमारे हिन्दुओं के ऊपर आघात हो रहा है। मैं जानता हूं आप इसको पास करेंगे क्योंकि आपकी मैजोरिटी है लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि कोई भी धर्मादा नहीं निकालेगा। आज मर्यादा की वजह से बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं, बड़ी बड़ी धर्मशालायें चल रही हैं, स्कूलें चल रही हैं, इन्सिटीट्यूशन्स चल रहे हैं वह सब बन्द हो जायेंगे। क्योंकि उनको यह भ्रम हो जायेगा कि अगर हम धर्मादा निकालेंगे हम ट्रस्ट बनायेंगे उसमें सरकार के नोमीनेटेड आदमी होंगे और यह जो हमारा इकट्ठा किया हुआ धन है वह सरकार के पास चला जायेगा। तो ऐसा क्या सरकार में घाटा आ गया कि धर्मादा के ऊपर भी सरकार आक्षेप करने लग गई। मैं तो यह कहूँगा कि राजस्व मंत्रीजी से मुझे बड़ा प्रेम है ....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रांगण इसके लिए न रखा जाये।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप इसको पास तो कर देंगे लेकिन आप जनता की राय से पास करें। अगर जनता कहदे कि पास कर दो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसलिए........

श्री दामोदरलाल व्यास : आप भी तो जनता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप भी तो जनता के चुने हुए आये हैं, यह सब जनता है। अगर सरकार का मन इनके ऊपर भी हो गया तो इसलिए उसके ऊपर भी कन्ट्रोल करना चाहती है, मैं तो यही नम्र निवेदन करूंगा कि आप फलोंफूलो और धर्म के हिसाब से

श्री उपाध्यक्ष : आप तो स्वयं ब्राह्मण बन गए।

हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : फलो और फूलो। परन्तु आप कम से कम इस धर्म के ऊपर आक्षेप न करें। मैं तो कहूंगा कि अगर आप यह पास ही करना चाहते हैं तो फर्ज कीजिए कि किसी मन्दिर के सैकड़ों और करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति जैसा कि आपने अभी कहा तो किसी २ मन्दिर में तो झालर टोकरी बजाने

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

के लिए नहीं है उसका भी तो आप प्रावधान रखा ......

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप नहीं रखेंगे। हमारा नासिरदा का मन्दिर है उसमें कोई जाता ही नहीं है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपके इन्सट्रक्शन से भय आता है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इसके लिए विचार कर लें और जनता की राय जान लें। क्योंकि आपने यहां वैष्णव सम्प्रदाय के लोग बहुत हैं और आप देखिये कि यहां पर इसाईयों की चर्च है जहा लाखों रुपये की सम्पत्ति है। जयपुर के अन्दर ईसाईयों की सेंट ज़ेवियर है उसके मुकाबिले में तो बिल्डिंग ही नहीं है। तो इनको आप क्यों एक्सक्लूड करते हैं। कोई मन्दिर है, मठ है इससे आपके राज्य में क्या फायदा हो जायेगा। इसलिए मैं फिर आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, I am to put a motion.

श्री उपाध्यक्ष : You are speaking in support of it.

डॉ० बहादुरसिंह : यह जो हिन्दू ट्रस्ट बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसके सम्बन्ध में कुछ कहूं कि हिन्दु पब्लिक ट्रस्ट बिल को राज्य सरकार को किन परिस्थितियों में पेश करने की आवश्यकता पड़ी और आज इसकी किसलिए आवश्यकता है। सबसे पहले इस बात को सोचना चाहिए। कई ऐसे बिल या कानून लाने के लिये यह आवश्यक होता है कि उसकी परिस्थितियों पर विचार किया जाय। आज हिन्दुओं के मन्दिरों की हालत क्या है, सब से पहले यह देखें। हमारे पूर्वजों ने इन संस्थाओं का इसलिए निर्माण किया था कि यहां पर नैतिक स्तर तथा व्यक्ति का उद्धार होगा, यहां पर आकर सद्मार्ग पर चलने के लिए यानी कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए अग्रसर होंगे, जहां पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधन मिलेंगे वह सब इस स्थान पर होंगे। उस कार्य के लिए यह स्थान निर्मित किये गये थे। आज इनकी परस्थितियां ऐसी आगई हैं कि हम और इनके लिए कुछ न कुछ करें। आज वहां पर वेश्यागमन, जुआ और जुए के साथ साथ आपने गांजा, भंग, चरस या और भी मादक द्रव्यों का और कहीं अधिक सेवन होता है। तो वह हिन्दुओं के उन स्थानों में होता है जिनको मठ या मन्दिरों के नाम से पुकारते हैं...

रावराजा श्री सरदारसिंह (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष, यह जो शब्द इस प्रकार से बोले जाते हैं कि वहां पर वैश्यागमन और शराब का प्रयोग होता है तो यह विचार करके बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : वे सद्भावना से कह रहे हैं। आप (डॉ० बहादुरसिंह) आरम्भ रखें।

डॉ० बहादुरसिंह : इन सब बातों के लिए जहां पर हमारा नैतिक सुधार होना चाहिए था वहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे मठाधीश नैतिक स्तर में काफी नीचे गिर गये

(डॉ० बहादुरसिंह)

है। उनके स्तर के गिरने के कारण यह परिस्थिति आई है कि हिन्दू धर्म रसातल को चला गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप देखें कि आपका यह धर्म किस स्थिति में पहुंच गया है कि जहां हम इस बात के लिए अग्रसर नहीं थे कि हमारे ७ करोड़ हरिजनों को मन्दिरों में जाने से रोका है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान बनने का मुख्य कारण हिन्दू धर्म की कमज़ोरी मानता हूं और आज वह स्थिति नहीं होती। आज हिन्दुस्तान का नक्शा दूसरा ही होता। लेकिन इन सब परिस्थितियों में जब कि हमारा देश स्वतन्त्र है तो इस पर विचार करना चाहिये। जो परिस्थिति हमारे लिए थी उसको बदलना है।

१०. १८ म.पू.

(श्री अनोपसिंह, सभापति, पदासीन)

उनको बदला किस प्रकार से जा सकता है? आज हमारा कानून का राज्य है। जो नागरिक हैं, जो भारतवर्ष के निवासी हैं, राजस्थान के निवासी हैं उनकी भावना को ठेस पहुँचाने के लिए कानून नहीं बनाते हैं, लेकिन यह तो निश्चित है कि अगर कानून बनेगा और जिनके स्वार्थों पर कुठाराघात होगा जिनके ऐशो इशरत के अन्दर खामी पहुँचती है, उनको इस बात से नुकसान होगा और चाहेंगे कि इस प्रकार के कानून नहीं बनने चाहिए। लेकिन जैसी कानून की मन्शा है कि कानून इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं कि राज्य सरकार किसी प्रकार से धर्म के अन्दर या धार्मिक संपत्ति के अन्दर राज्य सरकार का सीधा हस्तक्षेप हो। मैं इन दोनों बातों का विरोधी हूं। राज्य सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं हो, लेकिन इधर इस प्रकार की अनैतिकताएं हैं, जो स्थान नष्ट, भ्रष्ट हो रहे हैं या दूसरी ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनको सुधारा जाय। निश्चित आज लोगों की भावना है कि जिन कार्य के लिए वे लोग पैसा देते हैं उसकी रक्षा की जाय। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो इस बिल में खामी है उस पर विचार करना है।

सबसे बड़ी खामी यह है कि आबू के ट्रस्ट्स को आपने एक्सक्लूड कर दिया है। आबू को छोड़ने का कारण बताया नहीं है। मैं समझता हूं कि इसका कारण यह हो सकता है कि आबू के अन्दर दो बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं हैं जैनियों की और वैष्णवों की, उन धार्मिक संस्थाओं के बारे में विशेष आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जहां आबू जैसा स्थान है जो कि मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के लिए बड़े महत्व का स्थान है। टूरिस्ट का भी वह केन्द्र है। वहां विदेशी भी आते हैं। जो धार्मिक स्थान है। मैं अन्दाजा कर सकता हूँ कि जैन मन्दिरों को मैंने देखा है...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं आपकी इजाज़त से स्पष्टीकरण कर दूं। आबू को इस बिल में एग्जेम्प्ट इसलिए किया है कि आबू में बाम्बे एक्ट को लागू करना चाहते हैं। बाम्बे एक्ट को आबू में एप्लाई करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होने के बाद तो वहां का कोर्पोरेशन जो वहां का ट्रस्ट था जो कि पहले से बना हुआ था वह इसमें जो

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इन्टेग्रेटेड स्टेट्स हुई हैं रीऑर्गेनाइजेशन होने पर तो वे इन्टर स्टेट कॉरपोरेशन के अन्दर शामिल हो गये। जो आबू के ट्रस्ट हैं वह बोम्बे स्टेट के एक्ट से गवर्न होंगे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट के अन्दर इस बात का प्रोविज़न है कि इस तरह के जो कारपोरेशन थे वह एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांस्फर हो जायें तो वह इन्टर स्टेट कारपोरेशन बन जायगा। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है कि हमारी स्टेट से सीधा सम्बन्ध रखना चाहिए कारपोरेशन का तब तक के लिये यह प्रोविज़न रखा गया है वह चीज़ सेन्क्शन होने तक आबू को एग्जेम्प्ट किया है। उसके बाद में एमेंडमेंट लाया जा सकेगा। इसमें गलतफहमी की जरूरत नहीं है कि वहां पर जो जैन टेम्पल्स और वैष्णव टेम्पल्स हैं वे बड़े टेम्पल्स हैं इसलिए उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। वहां पर पहले बम्बई एक्ट एप्लाई होता था। रीऑर्गेनाइजेशन होने की वज़ह से कारपोरेशन बन गया है उस वज़ह से उनको एक्सक्लूड किया गया है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, आबू के बारे में स्पष्टीकरण हो गया। लेकिन एक प्रश्न रह जाता है कि अध्याय १० में लिखा गया है कि धर्मादे की जो संपत्ति है इसको किन किन स्थानों में लगायेंगे। धर्मादा क्या है? सबसे पहले इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। धर्मादे का अर्थ यह है कि अलग अलग व्यापार करते हैं वे एक पर्सेन्टेज़ के हिसाब से निकालते हैं। बहुत सारे तो बिल को बनाते वक्त एक पर्सेन्टेज़ के हिसाब से ले लेते हैं। इस प्रकार से काफी फन्ड कस्बों और मंडियों में विशेष तौर से इकट्ठा होता है। उस फन्ड का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार करता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिन उद्देश्यों से धर्मादा इकट्ठा किया जाता है उस उद्देश्य में व्यय नहीं किया जाता है। होता यह है कि व्यापारी के यहां धर्मादे का जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें वह दो आने का ग्रास डलवा देता है और कई तरह के खर्चे उसमें डाल देता है। अपनी किसी मानजी को भात देना पड़े, लड़की की शादी में व्यय करना पड़े तो वह खर्चा भी धर्मादे में डाल देता है। धर्मादे का लाखों रुपया इकट्ठा होता है, उसके लिए हम इस ट्रस्ट बिल के अन्दर यह प्रोविज़न रख दें। धीरे धीरे करके यह रुपया लाखों तक पहुँचाता है। उसका काफी दुरुपयोग होने की संभावना है। तो जहां तक इस बिल का उद्देश्य है वह उसमें पूरा नहीं होता है। तो मेरी यह राय है कि इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस वक्त कानून लागू होगा और इस बात के लिए मज़बूर करें कि फण्ड अपने पास नहीं रखें बल्कि एक स्वीकृत बैंक में रखें। इस तरह व्यापारी जो व्याज या दूसरे प्रकार से उसका उपयोग करता है और धर्मादे के नाम पर काटता है। यह वही स्थिति हुई कि रोज़ तो पाप कमाया और दो आने धर्म के नाम पर निकाल दिये। इस तरह से जो पैसा धर्म के नाम पर निकाला जाता है। उसको खुद प्रयोग में ले लेते हैं और काफी मुनाफा कमाते हैं। इसलिये राज्य सरकार धर्मादे के नाम पर फण्ड और दूसरी रकम निकाली जाय तो इस प्रकार से उनको छूट देने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी जो चीज़ वह सलाहकार बोर्ड का गठन है। सलाहकार बोर्ड के गठन के बारे में

(डॉ० बहादुरसिंह)

जहां तक मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के हाथों में सत्ता देने वाले हैं और जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके अन्दर देवस्थान कमिश्नर होगा उसका अधिक इन्टरफियरेन्स होगा.... वह उसके अन्दर अधिक हस्तक्षेप कर सकेंगे, उसको अधिक अधिकार हैं। इस तरह से जो क्षेत्रीय सलाहकार समितियां हैं, यह लिखा जा रहा है कि असिस्टेन्ट देवस्थान कमिश्नर हैं, उनकी आज्ञायें मानने के लिए बाध्य होंगी । लेकिन गठन के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए, आखिर बोर्ड का गठन हो, वह किस प्रकार से हो। मैं समझता हूं कि इस पर प्रवर समिति में काफी विचार किया जा सकता है। अगर प्रवर समिति में न जाय तो किसी प्रकार बैठ कर अलग से विचार करना चाहिए कि बोर्ड किस प्रकार से बने। मैं चाहता यह हूँ कि बोर्ड एक ओटोनोमस बोडी हो, स्वतंत्र बोर्ड हो, इसके साथ ही यह बात भी जरूरी है कि जितने हिन्दु ट्रस्ट हों, उनका कन्ट्रोल करे उनकी दशा सुधारने के लिए राय दे, व्यवस्था करें और उनके अन्दर जो अनियमितता हो, तो जो कम्युनिटी का ट्रस्ट है, उसकी सलाह से उसमें सुधार किया जा सके। लेकिन बोर्ड का गठन, जिस प्रकार से जितने ट्रस्ट हैं, उनको प्रतिनिधित्व देते हुए इस प्रकार से हो, जो सेल्फ सफिशियेन्ट हो।

इसमें यह भी व्यवस्था है कि चैयरमैन गवर्नमेंट नोमीनेट करेगी। मैं समझता हूं कि बगैर नोमीनेट करके, अगर राज्य का यह स्वीकृत ट्रस्ट है तो देवस्थान के मंत्री या उपमंत्री को अध्यक्ष होना चाहिए क्योंकि यह इस प्रकार सलाहकार बोर्ड है जिससे हमारी धर्म की भावनाओं पर चोट पहुँच सकती है, क्योंकि अपने प्रदेश के अन्दर लोगों की धार्मिक भावना इस प्रकार की हुआ करती है कि वे बहुत जल्दी उभड़ सकती हैं। इस लिए आवश्यक है कि किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति बोर्ड का अध्यक्ष हो, उस पर आक्षेप लगाया जाय कि राज्य सरकार का व्यक्ति है और अपने धर्म के बारे में व्यवस्था करता है, मैं समझता हूं कि मंत्री या उपमंत्री जो भी अध्यक्ष होंगे, वह इस बात के लिए बाध्य होंगे, और बोर्ड की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए देवस्थान कमिश्नर कभी नहीं कर सकेगा क्योंकि देवस्थान कमिश्नर जानता है कि मंत्री महोदय अध्यक्ष हैं। ऐसी स्थिति में बोर्ड का चेयरमैन नोमीनेटेड बाई गवर्नमेंट न हो कर, स्वयं गवर्नमेंट का रिप्रजेन्टेटिव या मिनिस्टर स्वयं होने चाहिए। क्षेत्रीय सलाहकार समिति के बारे में व्यवस्था हो, उसके अन्दर क्षेत्र के जितने ट्रस्टी हों, उनके रिप्रजेन्टेटिव नोमीनेट करने के बजाय इलेक्टेड होने चाहिए जिससे उनको पूरा प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था हो। इस प्रकार की जो बिल में कमियां हैं, उनके लिए आपके सामने रखा है। मैं समझता हूं जब हम क्लॉज़ बाई क्लॉज़ विचार करेंगे तब इनके अन्दर काफी सुधार हो सकता है और विचार किया जा सकता है। मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि जो प्रवर समिति का प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लें।

श्री सभापति : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, I move that this Bill be circulated for public opinion. सभापति महोदय, यह जो बिल है ...

डॉ. चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : मूव कर दिया है।

Page No.48

श्री पी० के० चौधरी : किसने मूव कर दिया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : मूव कर दिया है । Are you speaking in support of Rao Raja Shri Sardar Singh.

श्री सभापति: Are you speaking in support of Shri R. R. Sardar Singh ?

श्री पी. के. चौधरी : I have got my own motion before you.

श्री सभापति : That means the same.

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदय, यह जो हिन्दू ट्रस्ट बिल है, उसमें दो चीजें हमको देखनी हैं । एक चीज तो यह है कि पब्लिक सेन्टीमेन्ट्स क्या हैं और हम इस बिल को पास करके पब्लिक सेन्टीमेन्ट्स को एग्रीवियेट तो नहीं कर रहे हैं या इससे कोई अनहेपी रीपरकसन्स नहीं हो रहे हैं । यह आसपेक्ट है । दूसरा आस्पेक्ट है, वह यह है कि बिल में प्रोवीजन्स हैं, वे कहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स के साथ कम्पलाई करते हैं, उसके कनट्राविन्सन में नहीं है । सबसे पहले जहां तक पब्लिक ओपिनियन का सवाल है, उसके ऊपर क्या रिपरकसन्स होंगे, इसके लिए मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता । वह शायद मंत्री जी सदन में देख पायेंगे जब माननीय दूसरे सदस्य अपने अपने वक्तव्य देंगे कि सब लोग एप्रीहैन्ड करते हैं, पब्लिक ओपिनियन इसके लिए एप्रिहेन्सिव है कि इतनी जल्दबाज़ी से सरकार इसे क्यों पास कर रही है । इसके लिए पब्लिक ओपिनियन क्यों नहीं ली जाती है । जहां तक रिलीज़न है और रिलीज़न से सम्बन्धित सेन्टीमेंट्स हैं, उसको रेशनल नहीं कह सकते, इरेशनल कहें । इस दुनियां में इरेशनल सेन्टीमेन्ट्स हैं वे ज्यादा पॉवरफुल हैं बनिस्बत रेशनल सेन्टीमेंट्स के । आज तक दुनिया में अपहील हुए, कोमोशन हुए मासेज में यह देखेंगे तो ज्ञात होगा कि जो इरेशनल सेन्टीमेंट्स पब्लिक में है वह उमड़ जाता है, और मार काट हो जाती है । आप कूल हैडेडली बैठ कर विचार करेंगे तो देखेंगे कि किसी एक रेशनल बात को लेकर, किसी एक रिलीजियस बात को लेकर छोटी सी बात को लेकर रॉयट्स हो जाते हैं, कम्यूनल रायट्स हो जाते हैं, कोई बात हो जाती है । आप जांच करेंगे तो देखेंगे कि जड़ में कोई ऐसी बात नहीं होती है और छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं और उससे कई चीजें हो जाती हैं । चन्द दिन पहले जबलपुर में जैन लोगों ने एक किताब निकाली, राम चरित्र मानस, कुछ ऐसी ही थी, उसमें राम को पार्वती रमण कह दिया था, भगवान कृष्ण को पार्वती रमण कह दिया था....

श्री जनार्दन राय नागर (मावली) : भगवान कृष्ण की राधा है, पार्वती नहीं ।

श्री पी. के. चौधरी : उन्होंने पार्वती रमण कह दिया था । किताब में यह शब्द आया था पार्वती रमण । अब वह किताब प्रेस में रही, उसी टाइम एजीटेशन शुरू हो गया जबलपुर में, ऐसा क्यों है, पार्वती रमण भगवान को कैसे कह सकते हैं, राम को पार्वती रमण कैसे कह सकते हैं, इससे हमारी तोहीन होती है और एजीटेशन शुरू हुआ । जैन लोगों ने क्या किया कि जो कापियां थीं, वे लेकर सरेन्डर कर दीं कहा, भई यह कापी सरेन्डर करते हैं, इस शब्द पर

(श्री पी० के० चौधरी)

कोई एतराज है तो हमारी मन्शा नहीं रिलीजियस बात पर अटेक करने की। यह मन्शा नहीं थी और एक शब्द ऐसा आ गया था जिससे सेन्टीमेन्ट पैदा हो गया। वह किताब सरेन्डर हो गई, फिर भी लूट पाट हुई, जैन ग्रन्थों को जला दिया गया। यह इरेशनल सेन्टीमेंट हैं, रिलीजियस सेन्टीमेन्ट, कास्ट सेन्टीमेंट। जो स्टेट रीआर्गनाईजशन हुआ, उसके सिलसिले में देखा कि ऐसा सेन्टीमेंट हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र की बात को लेकर। इसलिए एक नेशनल बेसिस पर जो चीज बनाना चाहते हैं, मान लीजिये कि सोशलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उसके लिए दलील देते हैं, वह अपील नहीं करती है लोगों को, आज कॉप-रेटिव फार्मिंग का सवाल आया, कॉपरेटिव फार्मिंग के प्रिन्सिपल हैं, उसको लोग मानने को तैयार नहीं है। वाकई जो रेशनलिज्म की चीज है, उसको अपील कर सकेंगे तो उसके पीछे लोग नहीं जायेंगे लेकिन एक इरेशनल फोर्स छोड़ देंगे कि सरकार सर्विस कापरेटिव बना कर यहां कम्युनिज्म लाना चाहती है और लोग उसके पीछे पागल के माफिक चल देंगे। यह हिन्दुस्तान की मिसाल नहीं दी है, दुनियां भर की हिस्ट्री है कि दुनियां में जो हुआ है, वह किसी रेशनल फीलिंग को लेकर हुआ है। किसी और चीज को लेकर नहीं हुआ है, बल्कि ज्यादातर देखा गया है कि इरेशनल फोर्स से ड्राइव हुए हैं। जो मासेज की साइकलोजी है, मास साइकोलोज़ी को स्टडी करते हैं, वे कहते हैं इरेशनल फोर्स ज्यादा अपीलिंग होती है, फोर्सफुल होती है। वह मासेज को जिस तरफ चाहे उस तरफ ले जाता है। यह सेन्टीमेन्टल आसपेक्ट बिल का हो सकता है लेकिन इस बिल के प्रोविजन्स हैं, उनको लोग मिसइन्टरप्रेट कर सकते हैं, उसकी कम्प्लीट गलत पिक्चर लोगों के सामने दे सकते हैं, इस तरह का कोमोशन पैदा हो सकता है, मिसअन्डरस्टेडिंग पैदा हो सकती है। यह हिन्दू ट्रस्ट बिल पेश कर दिया, अच्छा बिल है, हम तो चाहते हैं कि इस पर जनमत लिया जाय। जनमत नहीं लिया तो मन्शा है कि गड़बड़ी की जाय। बिल में लिख दिया है कि हिन्दु ट्रस्ट हो, उसका हैड क्रिश्चियन बनायेंगे, जो हिन्दुओं का पब्लिक ट्रस्ट हो, उसको मिशनरी ट्रस्ट बनायेंगे। क्योंकि आपके गजट में शाया हो गया इसलिए आप समझ लेते हैं कि पब्लिक ओपिनियन हो जाती है। यह कानूनी ढंग से ठीक है कि गजट में पब्लिश हो गया, इसका मतलब हो गया कि राजस्थान की जनता का जनमत मालूम हो गया लेकिन मैं यह कहूंगा कि गजट में शाया होने के बाद भी माननीय सदस्य और मैं खुद भी गजट को बहुत कम पढ़ते हैं। हालांकि लीगली जब कोई बात गजट में शाया हो जाती है तो वह लीगली माना जाता है कि सब को मालूम हो गई। लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है। इसलिये हमको इसको पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजना चाहिये और पब्लिक ओपिनियन के लिये प्रसारित नहीं करेंगे तो इस बिल के अगेन्स्ट में एजिटेशन हो सकता है। यह तो एक आस्पेक्ट है।

दूसरा आस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल। इस बिल में कहां तक उचित है। मैं इस संबन्ध में आपका ध्यान आर्टिकल २६ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पार्ट ३ में

(श्री पी० के० चौधरी)

फन्डामेन्टल राइट्स दिये गये हैं इस पर है। आर्टिकल २६ यह कहता है "Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right-
(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;

(b) to manage its own affairs in matters of religion;

(c) to own and acquire movable and immovable property, and

(d) to administer such property in accordance with law. अब आपका बिल है to administer such property in accordance with law इसको violate करता है और कैसे करता है। मैं आपको इस बिल के एक दो प्रोविजन्स हैं उसमें बताउंगा। आपका क्लॉज़ ३२ है उसको देखें। फन्डामेन्टल राइट्स में दिया गया है। आप इसके लिये कानून बना सकते हैं you may not spend the money in murdering a man. You may not spend the money in running down any religion आपके बजट में प्रोविज़न है तो आप देखेंगे कि according to law फलां चीज़ के लिये आप पैसा नहीं खर्च कर सकते।

मान लें कि हिन्दुओं का हो, तो सिक्खों के खिलाफ प्रचार नहीं करें। सिक्खों का हो तो वे हिन्दुओं के खिलाफ प्रचार नहीं करें। दूसरे धर्मों को रन डाउन न करें। इसलिये कानून बना सकते हैं लेकिन उसके पैसों का मैनेजमेंट आप अपने आप में नहीं ले सकते।

श्री दामोदरलालव्यास (राजस्व मंत्री): I have just read out. They have every right to administer the property building of that trust.

श्री पी० के० चौधरी : Clause 35 reads: "Budget:- (1) The working trustee of every Hindu public trust, the gross annual income of which exceeds twelve hundred rupees, shall, in each year, submit to the Assistant Commissioner, before such date and in such form as may be prescribed, a budget showing the probable receipts and disbursements of the trust property during the following year.

(2) Where at any time after the submission of the vudget under sub-section (1) there appears to be the probability of a substantial decrease in the said receipts or a substantial increase in the said disbursements, the working trustee shall, within reasonable time, submit to the Assistant Commissioner in such form as may be prescribed a supplementary budget showing such decrease or increase."

I am now coming to the Commissioner as a Treasurer. Clause 37 reads:

"Notwithstanding anything containedin the Charitable Endowments Act, 1890 (Central Act VI of 1890), the Commissioner shall be deemed to be the Treasurer of Charitable Endowments for the State of Rajasthan appointed under the provisions of the said Act and the property

(श्री पी० के० चौधरी)

vesting in the said Treasurer before the date on which this Act comes into force shall be deemed to vest in the Commissioner as the Treasurer of Charitable Endowments; and the provisions of the said Act shall apply to the Commissioner as the Treasurer of Charitable Endowments appointed under the said Act".

श्री दामोदरलाल व्यास : That is a different Act for the treasures...

श्री पी. के. चौधरी : क्लॉज़ ३७ में आपने यह व्यवस्था की है कि चेरिटेबल एन्डोवमेंट का ट्रेजरार कमिश्नर रहेगा मैं रीड आउट करता हूं। for the charitable endowments in the public Trust Act यहां आपने रखा है कि चेरिटेबल एन्डोवमेंट का ट्रेजरार कमिश्नर रहेगा The application for direction will go to Court... एप्लीकेशन्स कोर्ट में जावेंगे। पैसे कैसे खर्च होने चाहिये, आप कोर्ट को अधिकार देते हैं The court can only interpret it. hey cannot give dicision यह जो प्रोविज़न है मैं समझता हूं इनको you give right of administering property. इस पर इन्टर-फीयेरेन्स करते हैं। आप कर सकते हैं। You cannot spend your property for such and such purpose. लेकिन आप executive authority Commissioner को देते हैं। क्लॉज़ ७ में The Commissioner shall be a corporation sole by the name.. जो देवस्थान विभाग है उसका सोल कमिश्नर हो जाता है। वह भी एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट है। सेक्शन ४० में आपने पॉवर्स दिये हैं।

(2) While exercising the power under sub-section (1) the court shall besides other powers, have power to make an order for -

(a) removing any trustee;

(b) appointing a new trustee;

(c) declaring what portion of the trust property or of the interest therein shall be allocated to any particular object of the trust;

(d) providing a scheme of management of the trust property;"

मेरे खयाल से यह सारे के सारे राइट्स आप कोर्ट को नहीं दे सकते। The court can interpret the law जो बिल बनाया उसमें जो राइट्स रखे हैं the court can only say that so and so is not entitled to be Trus-tee.. उसके खिलाफ जा कर उसके कोन्ट्राबेन्शन में जा कर ट्रस्टी एपोइन्ट कर दिया। जिस पर्पज़ में खर्च करना चाहिये नहीं करके दूसरों में कर दिया जाता है तो The Court can only say that Mr. So and so who is there in the Trust, he is not entitled to be a trustee. He can suggest this much only. The Hon'ble member from Mavli can be appointed on the Trust, he cannot say. He cannot appoint another man. कैसे पैसे खर्च करने चाहिये। कोर्ट डिसिज़न नहीं दे सकती They cannot say. They can interpret the Bill. ट्रस्ट डीड का इन्टेन्शन है उसको बता सकते हैं But the court cannot pass order obout spending the money. यह जो प्रोविज़न हमने दिया है Provided the

(श्री पी० के० चौधरी)

scheme of management of the property मैं समझता हूं कि यह सारी की सारी बात जो है एक क्लॉज़ २६ कॉन्स्टिट्यूशन के फन्डामेन्टल राइट्स हैं to administer such property in accordance with the law, उसका साफ इन्टरफियरेन्स है और मैं समझता हूं कि इसको यदि पीटीशन कमेटी के पास पीटीशन किया जावे और कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यह बिल कॉन्ट्राविन्स करता है whether it is admissible in the House or not but that decision cannot be taken from the law point of view. आप इसको नहीं मान सकते If I am not mistaken. इसलिये मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट से आर्टिकल २६ के फंडामेन्टल राइट्स के खिलाफ जाता है।

दूसरी बात फिर इसमें आती है कि यह जो है कॉन्करेन्ट लिस्ट में है और हमने रीपीलिंग एक्ट में सेन्ट्रल लेजिस्लेशन को केनसल कर देते हैं। सेन्ट्रल एक्ट है उसका आर्टिकल का क्लॉज़ ३७ के शेडयूल में दिया हुआ है। सब चेरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स के बारे में ६३ में शेडयूल में दिया है। उसमें एक्ट रीपील होता है। एक एक्ट है सेन्ट्रल एक्ट। उसको रीपील करता है There is a schedule given. उसको रीपील करने के लिये सेन्टर की आथॉरिटी है। Religious Act, 1920 स्टेट गवर्नमेंट को पॉवर्स हैं उसको नोटिफाई करने के लिये अन्डर आर्टिकल २५४ में दिया गया है "(1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List then subject to the provisions of clause (2) the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State or as the case may be, the existing law shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void." इसके सब–क्लॉज़ २ में लिखा है "Where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter, then the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State:" यानि हमारे पार्लियामेंट का जो है हम रीपील करते लेकिन उसके बावजूद भी एक्ट को पार्लियामेंट के जो हैं उसमें जब तक प्रेसिडेन्ट का एसेन्ट प्राप्त होता है तब तो वेलिड रखते हैं उसके साथ साथ प्रोविजो है: "Provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislature of the State." अब यहां पर रीपीलिंग एक्ट पास कर दिया इस पर एसेन्ट ले लिया है Even after that parliament is entitled to amend the Central

(श्री पी० के० चौधरी)

Legislation on the same subject. इस पर लेजिस्लेशन पास कर सकता है। इस विषय में मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि तमाम हिन्दुस्तान के रिली-जियस ट्रस्ट हैं उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया कानून बनाने के लिये सोच रही है। जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में कानून बनाने की सोच रही है तो मैं समझता हूँ कि यहां पर इस प्रकार का कानून बनाने से क्या फायदा होगा। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर से राय मांगी है कि अगर ऐसा बना दिया जावे तो उसका क्या रिएक्शन होगा। जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट इसको कॉन्टेम्पलेट कर रही है तो फिर यहां पर इस समय इस कानून की क्या आवश्यकता रहती है। जब यूनिफोर्म कानून बनाये जावे तो उस हालत में इस स्टेज पर इसको पास करने की बात कहां तक मुनासिब होगी। और इसका क्या फायदा हम लोगों को मिलेगा। मैं तो यह कहूंगा कि आप कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करेंगे। जब सेन्ट्रल पार्लिया-मेंट कोई कानून पास करती है और आप भी वैसा ही कानून पास करते हैं तो मैं नहीं समझता कि यहां पर जो आप लेबर और समय व्यय करते हैं और पब्लिक सेन्टिमेंट को क्यों उभारते हैं आपको इससे क्या फायदा मिलने वाला है। Whether this is desirable or not. तो इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह जो बिल है कॉन्स्टिट्यू-शनल पॉइन्ट ऑफ व्यू से and from the point of view of desirability जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन लाने की सोच रही है तो इस पर हमें कानून बनाने की क्या आवश्यकता है। इसी तरह डोवरी बिल सेन्ट्रल गवर्नमेंट लाने का सोच रही है और उसको हमने बन्द रख दिया। यह कानून सप्ताह पन्द्रह दिन हुए पार्लियामेंट में इन्ट्रो-ड्यूस कर दिया। पास भी करते हैं against the sentiments of certain sections of the people. तो इससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है जो आपके कानून नलिफाइड हो जाते हैं सेन्ट्रल लाज़ के अनुसार। आपका पेनल्टी का क्लॉज़ ५५ है। इसमें दिये सेक्शन्स १७,५१ और ३० और २७ व २३ हैं उनके कोन्ट्राबेन्शस से आप सजा दे सकते हैं। आपका ५५ क्या कहता है। धर्मादा में पैसा लाते हैं वह पैसा किससे प्राप्त किया गया, कहां से लाये, कितना लाये। इस सब का आपको एकॉउन्ट देना होगा।

5:. (3) "Every person charging or collecting Dharmada shall, within such period from the close of the year for which his accounts are ordinarily kept as may be prescribed, submit an account of dharmada charged or collected by him during such year in such form as may be prescribed to the Assistant Commissioner having jurisdiction or to the Committee referred to in sub sec. (2) as the state Government may by general or special order direct."

(4) The Assistant Commissioner shall have power upon a request made in that behalf by a committee referred to in sub-section (2) to make such inquiry as he thinks fit to verify

(श्री पी० के० चौधरी)

the correctness of the account submitted to him or to such committee under sub-section (3) (5) The provisions of Chapter V shall not apply to dharmada."

यह जो धर्मादा कलेक्ट करते हैं उसका अकॉउन्ट लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जो धर्मादा कलेक्शन के सोर्सेज हैं उनको आप चैक करना चाहेंगे तो वे सोर्सेज़ बन्द हो जावेंगे क्यों कि कई ऐसे लोग हैं जो अपना नाम उसमें नहीं देना चाहते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्मादा देते हैं जो इन्कम टैक्स एवोइड करते है या कोई किसी तरह से धर्मादा फंड में देते हैं। जब आप धर्मादा में जो फन्ड आते हैं। उसके सोर्सेज़ को चैक करेंगे कि धर्मादा कहां से लाये तो उनको वेरिफाई कराना होगा। तो ऐसी हालत में मै समझता हूं कि उसकी जो आय, इनकम है उस पर बहुत असर पड़ेगा। जो ट्रस्ट के पर्मानेन्ट सोर्सेज़ हैं रेवेन्यू के या लैन्ड की फिक्स इन्कम होती है या प्रोपटी से इन्कम होती उस पर आप चैक कर सकते हैं। That is his। इसके अलावा धर्मादा कहां से और किस प्रकार आता है उसका अकॉउन्ट चूक करने से मैं समझता हूंकि उसका रेमिशन बन्द हो जावेगा। वे जो है उनके साथ इन्टरफीअरेन्स ऐसा होगा कि कुछ ट्रस्टस हैं मैं समझता हूं उससे रिजेन्ट करेंगे इसका अवसर उनकी इकोनॉमिक एस्टेब्लिटी पर पड़ सकता है। इस तरह से आपने पेनेल्टी क्लॉज़ रखा है क्लॉज़ १३ के लिये। इनवेस्टमेन्ट आफ हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट मनी इसका इनवेस्टमेन्ट कहां होना चाहिये कैसे करना चाहिये "...shall be invested in public securities or shall, with the approval of the Assistant Commissioner, be kept with any banker or person acting as a banker who has given such security for the safe custody and repayment on demand of the moneys इनके फन्डस का इनवेस्टमेन्ट किया है उसकी इत्तला नहीं दी वैसी हालत में असिस्टेन्ट कमिश्नर इन ट्रस्ट्स पर पेनल्टी इम्पोज़ करेगा। इन ट्रस्ट्स के जो ट्रसटीज़ होते हैं वे होल टाइम सर्वेन्टस नहीं होते। बड़े बड़े जो ट्रस्ट्स हैं उन ट्रस्टीज़, दूर दूर जगहों पर जैसे बंबई मद्रास कलकत्ता आदि जगहों पर रहते हैं। All of them become liable for penalty. मैं समझता हूं इसमें जो पेनेल्टी क्लॉज़ है उसके कारण ट्रस्ट्स के फंक्शन में काफी दिक्कतें होंगी। पीपुल रिजेन्ट करेंगे इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सारी चीजों को दूर करने के लिये लोगों के दिमाग में जो एप्रेहेन्शन हैं कि रिलीजियस लेजिस्लेशन जो बना रहे हैं one is to be careful, not careful but one is to be extra careful. It is always safe to circulate it for public opinion. आप इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट कर दीजिये जितने भी ट्रस्टस हैं वे कोई नये नहीं हैं, सौ दो सौ साल से चले आ रहे हैं They could function upto this time. पांच छ महिनों में पब्लिक ओपीनियन के लिये इसको दे दिया जाता है कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं। ऐसा नहीं होने वाला है कि सारे के सारे ट्रस्टस हैं उनके जो फन्डस हैं उनको एम्बेजल कर देंगे ऐसी बात नहीं। इससे होगा क्या कि जो रिलीजियस सेन्टीमेंट रखते हैं वे अपने अकल के माफिक अपने हकों की सेफगार्ड के लिये इसको आप पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट करेंगे

Page No.55

(श्री पी० के० चौधरी)

तो पब्लिक माइन्ड में जो एप्रीहेंशन हैं वह दूर हो सकता है और इस लेजिस्लेशन के जो फोमेंज हैं That will give satisfaction to all sections of the House. इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट कर दिया जाय।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि एक तरफ तो यह प्रश्न इस समय हमारे सामने आया वह गये सत्र में भी उपस्थित हो गया था यह फिर यहां आया हुआ है। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि मैं भी पीटीशन कमेटी का मेम्बर था और उसमें मैं बराबर हाजिर रहा हूं। लेकिन उस वक्त में जल्दी के अन्दर शुक्रवार के दिन जिस दिन छुट्टी निर्धारित हो चुकी थी उस दिन मिटिंग बुलाई गई। उस समय पूरे मेम्बर न होने की वजह से स्थगित किये जाने का सवाल था। लेकिन बाद में जब कोरम हो गया जल्दी में इसको पास कर लिया गया और हम लोगों को बोलने का थोड़ा सा मौका कम मिला।

"मैं यह निवेदन करूंगा कि रावराजा साहब उणियारा ने जो अपने विचार रखे हैं कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट किया जाय जनमत के लिये प्रसारित किया जाय मैं समझता हूँ इस बारे में जनमत ले लिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं भी अपने को उस विचारधाराओं में शामिल करता हुआ मेरी राय है कि ऐसे दिक्कत देह प्रश्न को इस समय उठाया जाना और इस तरह से जल्दबाज़ी में पास करना नितान्त अनुचित समझता हूँ। मेरा निवेदन यह है कि ऐसी स्थिति के अन्दर इसमें जल्दी नहीं की जानी चाहिये। यानि जो इस समय इसको पास कर देने का सवाल है। किसी भी राजसत्ता के विचार धारा के अनुकूल चीज नहीं रही है पठान मुगल और अंग्रेजों ने भी किसी के धर्म के कार्य के अन्दर हस्तक्षेप नहीं किया। इसके अलावा मेरा यह निवेदन है कि महामना महात्मा गांधी ने भी सदा धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक चीजों को न छूना ही अपना कर्तव्य समझा है। इसके अलावा हमारे लोह पुरुष महामना पटेल ने भी एक हजार वर्ष पहले के सोमनाथ मन्दिर को फिर से स्थापित करके, हिन्दू संस्कृति के पुनर्जीवित करने में विशेष कदम उठाया। हमारे आज के प्रधान मंत्री नेहरूजी ने भी जब जब भी मौका आया, जब जब भी ऐसा प्रश्न आया इस बात पर थोड़ा समय देकर के ऐसे कदम उठाने में उन्होंने सदा तत्परता दिखाई, जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है गुरूद्वारों के संबन्ध में जब प्रश्न आया सलाह मशविरा करने के नाम को लेकर मास्टर तारासिंह से इस बारे में विचार विमर्श करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे सामने जिन जिन ट्रस्टस पर सरकार का अधिकार है उनके दो उदाहरण हमारे सामने है एक तो श्री नाथद्वारा का प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न है। दूसरा केसरीयानाथ जी का सवाल है वह अभी तय नहीं हो सका है। श्री नाथद्वारा के मन्दिर से जिन गहनों को उड़ाया गया और जिसको आमेर और जयपुर के बीच पकड़ा गया, उसकी स्याही अभी सोख ही नहीं पायी जिन मोटर ट्रकों द्वारा यह माल लाया गया वे अभी तक घिसे ही नहीं फिर भी इसी प्रकार का यह प्रश्न बिना जनता की भावना के जाने इस प्रकार का बिल लाना

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

में तो अनुचित एवं असामयिक ही नहीं बल्कि अविवेकपूर्ण कदम समझता हूं। मैं सभापति महोदय आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से इस बात के लिये निवेदन करूंगा। इस मामले को शीघ्रता से न लिया जाय। इस प्रकार के बिल को जो माननीय मंत्री महोदय उपस्थित करते हैं वे भी ब्राह्मण हैं और इस नाते अगर उनकी अन्तरात्मा से पूछा जाय तो वे ऐसा महसूस करेंगे कि इस प्रकार के प्राव-धान न किये जांय। लेकिन उनकी भी मजबूरी है गवर्नमेंट की पॉलिसी को उन्हें भी चालू रखना है फिर वह पॉलिसी किसी भी प्रकार की क्यों न हो उनको उसी प्रकार को विचार धारा काम में लाने की आवश्यकता होती है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय सदस्य को यह बतादूं कि मैं अन्दरूनी दिल से यह चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिये।

११ म० पू०

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं इस बात को नहीं मानता। अगर आप ऐसा समझते होते तो जिस समय हम लोग आप लोगों पर कटाक्ष करते हैं तो आपके हृदय को और ललाट को भी हम लोग देखते हैं और आपके भावों को रीड कर लेते हैं। मैं बुड्ढा आदमी हूं, जानता हूँ, आपके हृदयों में वह ऊंचाई शायद नहीं रही होगी। खैर।

तो मेरा निवेदन करना तो यह है कि इसे जनमत के लिये प्रसारित करना बहुत उचित और न्यायोचित होगा। आज हम देख रहे हैं कि हमारे महामना पं० जवाहर लाल नेहरू तिब्बत जैसी इतनी सी चीज़ के वास्ते भी आज अमेरिका और रशिया जो दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं और जिनमें वे बैलेन्स ऑफ पॉवर बनाये हुए हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका की मदद मिल रही है फिर भी जनता की भावनाओं की कदर करने के वास्ते तिब्बत के मामले में रशिया और चीन का विरोध सहन कर रहे हैं। भारतवर्ष ज्यादा रूस और चीन का पक्ष लेता हुआ भी इस मामले में तिब्बत को मदद कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर मंत्री महोदय इस बात को थोड़ा सोचेंगे और विचार करेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। मज़हब के मामले में जहां सोचकर नेहरूजी चीन और रूस को भी नाराज करने में नहीं हिचके यही सोचा कि एक दिन भारत से यह धर्म का श्रोत निकला और जैसे मछली उल्टी पानी के बहाव में चलती है। वैसे भगवान बुद्ध का यह धर्म का श्रोत ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो बहकर भारतवर्ष में आती है उल्टा चीन और तिब्बत में फैला तो यह सोच कर दलाई लामा को यहां शरण दी। दलाई लामा रिलीज़स पॉइन्ट ऑफ व्यू से वही स्थान रखते हैं जो भारतवर्ष में दूसरे बड़े से बड़े मठाधीश तो क्या चीज़ है पोप और दूसरे जो जो रिलीजस विचार धारा के जो शीर्ष पुरुष हैं या अवतार हैं उनकी बराबर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब कि मजहब का प्रश्न और रिलीज़न का सवाल है उससे एक तरफ से विश्व का वातावरण बड़ा क्षुब्ध हो रहा है, मैं वैसे वृद्ध पुरुष हो सकता हूं, और मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों में वैसे राय न भी दे सकता हूँ पर यह कहूंगा कि मन्त्री महोदय राजस्थान में जिस राजस्थान का घर घर धरमापोली रहा है और वह

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

सिर्फ इसलिये रहा है कि मजहब की रक्षा करनी थी जहां का हर एक किले का प्रांगण आज भी वीर पुरुषों के रक्त से लाल और सतियों की राख से सफेद हो रहा है। उस धर्मप्राण राजस्थान में जब मन्दिरों का सवाल आता है, धर्म का सवाल आता है, धर्मस्थानों का सवाल आता है तो ऐसे मामलों में आप को जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिये, इसमें जनता का मत जान लेना चाहिये। मेरे ख्याल में आज मन्त्री मण्डल वैसा ही काम कर रहा है। जैसे कि आग के शोलों को और खीरों को एक मलमल के रूमाल में बांधकर उसको जैसे रखना चाहते हो तो इस प्रकार की जो आप चेष्टा करते हैं यह ठीक नहीं है। हमें स्वतन्त्रता बड़ी मंहगी मिली है। और भी अनेकों बातें अभी इस जमीन में हमें करने को हैं। उनको छोड़कर बीच बीच में इस तरह मजहब के सवालों में हस्तक्षेप करना मैं नितान्त अनुपयुक्त समझता हूँ। अकबर और शाहजहां ने मजहब के मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। सब मजहब के साथ समान भाव रखा। पर जब औरंगजेब ने हस्तक्षेप किया तो चार दिन में बादशाहत भस्मसात् हो गई। अगर वैसे देखा जावे तो फ्रान्स और फिदालसी के मैदान में जिस समय रोमन और प्रोटेस्टेन्टों का झगड़ा हुआ और मजहब को राजनीति में घुसेड़ा गया उसी समय झगड़े हुए। तो मैं यहां कहना अनुचित नहीं समझता कि एक तरह से देखा जावे तो राजाओं का जितना भी रुपया था। वह अरबों रुपया सरकार के हाथ में गया पर वहां जाकर सब खत्म हो गया। इसके अतिरिक्त बाहर से एक भिक्षा पात्र लेकर जगह जगह से मांग कर भी लाये और सारा धन फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में और सेकण्ड फाइव ईयर प्लान और थर्ड के एडजस्टमेन्ट में जो धन लगा या लग रहा है या लगने वाला है तो उस धन को अगर देखा जावे तो मैं अकेला ही नहीं कहता, उधर बैठे हुए माननीय सदस्य भी यहां तक कि माननीय मिनिस्टर महोदय भी यह बराबर कहेंगे कि उस सारे धन का २५ प्रतिशत भी किसी ठोस कार्यक्रम में शायद ही लगा हो। दुनियां भी यही कहती है। बाकी का सारा हिस्सा कुनबापरस्ती में खर्च हुआ। तो इस तरह अगर देखा जावे तो विगत १२ वर्षों में जनता पर तरह तरह के कर लगा कर रुपया बटोरा गया और इस तरह से कुनबापरस्ती में खर्च किया गया इससे जनता आज बड़ी क्षुब्ध है। तो इस पृष्ठभूमि में भगवान के लिये आपसे निवेदन करूंगा, लेकिन भगवान का तो आपके लिये प्रश्न ही नहीं रहा है, भगवान के वास्ते तो जगह जगह जकड़ने के साधन तैयार हो गये हैं। रस्से और लोहे की जंजीरों में भगवान को तो जकड़ने का प्रश्न पैदा हो रहा है तो भगवान के नाम पर नहीं न्याय की दुहाई देकर कहूंगा कि इस सवाल को आप जनमत की राय लिये बिना राजस्थान जैसे धर्मप्राण प्रान्त में लागू न करें। अगर एक बार जल्दी में लाकर ऐसा प्रयास किया तो मैं निवेदन करूंगा कि इसका असर अच्छा नहीं होगा।

आज इस समय भी देखा जाता है कि बनारस में रोज़ झगड़े हो रहे हैं, रोजाना यह हिसाब हो रहा है आज नाथद्वारा का वातावरण भी काफी क्षुब्ध हो रहा है, आज चौतरफ धर्म पर आघात के वास्ते प्रश्न चल रहा है। तो इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर पूरी तरह से विचार करके आगे

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

बढ़ने की कोशिश करें। इसको जनमत जानने के लिये रक्खा जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

इसको अगर नहीं रोका गया तो यह एक बहुत ही हानिकारक प्रश्न होगा और इस पर यह भी है कि अगर जल्दी में आगे कदम बढ़ा दिया और फिर पीछे हटाने की जरूरत पड़ी तो यह भी कोई विचारधारा नहीं है। दूसरा उनको इस बात का भी ख्याल हो जायेगा कि एक बार प्रश्न ले लिया है तो इसको वापिस हटाने में भी हमारा मोरल गिरेगा तो इसके लिए वह सोचेंगे यह मुझे आशा है। हालां की यह कर्णकटु बात है फिर भी सत्य है इसलिये मैं माननीय चैयरमैन साहब के द्वारा मन्त्री महोदय से यही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि और सब चीजों पर आप कुछ भी करें रुपया इकट्ठा करें, सब कुछ करें पर मेहरबानी करके मगरमच्छ की तरह सरकार सब चीजों को खाने के वास्ते मुंह न फाड़े, आगे थोड़ी सी तो बात समझें और कम से कम भगवान के द्वार के वास्ते तो और इन चीजों के वास्ते तो थोड़ा सा छोड़े। नहीं तो मुझको यह डर है कि गज की रक्षा करने वाले भगवान जो वहां पर सेज सैया पर सोये हुए हैं वह जग न जायें और इसके अलावा इस विचार धारा के लिए तो मैं यह कहूंगा कि यह मजहब की चीज है और इसके लिए चेयरमैन महोदय, से हाथ जोड़ कर, आपको ही नहीं बल्कि मन्त्री महोदय से भी हाथ जोड़कर, क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूं, यह निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में अपने मन में विचार करके आगे बढ़ें। आप उन्हीं महर्षि की औलाद में से हैं जिन्होंने अपना मांस वज्र बनाने के लिए इन्द्र के सुपुर्द किया था। साफ बात और सही बात कहने में डर भी क्या है। ऐसे मन्दिरों को बचाने का प्रश्न आता है तो उसके लिए अगर हर एक चीज को भी छोड़ना पड़े तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे मामलों के लिए आप तत्पर होकर आगे बढ़ेंगे तो मैं भी आपके साथ इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो मेरा निवेदन करना यह है कि इस चीज को आप विचार करके करें। आप देख रहे हैं कि इसके लिए जहां तक एस० डी० ओ० या कलेक्टर हैं वह उसका नियन्त्रण करेंगे। तो एस० डी० ओ० या कलेक्टर कभी तो मुसलमान होगा, कोई कभी ईसाई होगा, कोई दूसरा होगा और इसके अलावा मजहब को राज्य की चीज़ में घसीटने के विशेष आपत्ति नहीं होगी। इस-लिए मेरा आपसे निवेदन करना यह है कि आप सोच समझ कर आगे बढ़ें। क्योंकि यह बड़ा ही गलत तरीका है और खास तौर से जब भारत का उत्तरीपथ और दक्षिणपथ दोनों आलादर्जे में क्षुब्ध हो रहे हैं और जो वेकाल झील के पास था वह भोपाल तक पहुँच गया है। मेरे अन्दाज से आपको उपदेश दे रहे होंगे...

श्री सभापति (श्री अनोपसिंह) : आपकी बात मन्त्री महोदय काफी समझ गये हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, यह जो राजस्थान हिन्दु पब्लिक ट्रस्ट बिल जो हमारे सामने आया और इस पर यह संशोधन रखा गया, इसको

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जनमत के लिए प्रसारित किया जाये, मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता। अतः मैं उसका विरोध करता हूं। मैं इसका विरोध इसलिए करता हूं कि इसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी गलत धारणायें हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई हैं कि जिनका इस ट्रस्ट बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि इसके द्वारा इस प्रकार का कोई प्रावधान रखा गया होता कि मन्दिर, देवस्थान, गुरुद्वारे या जैनियों के मन्दिर उन मन्दिर और उनकी पूजापाठ के सम्बन्ध की कोई चीज़ सरकार अपने हाथ में ले रही है तो बहुत सम्भव है कि जो शंकायें प्रकट की गई हैं वह कुछ हद तक समूल सिद्ध हो सकती थीं। लेकिन इसमें तो वह सम्पत्ति जो उन मन्दिरों और देवस्थानों में निहित है, उनके लिए एक ट्रस्ट बनाना और उनके लिए अधिकारी निश्चित करना है। मैं समझता हूं कि यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एण्ड रीज़न्स में बताया है उसमें स्पष्ट है कि "The Bill contains provisions for the appointment of a Devasthan Commissioner, Assistant Commissioners, Inspectors and other staff, for the establishment of a State wide Advisory Board for Hindu Public trust and of Regional Advisory Committees, for compulsory registration of all Hindu Public trusts except Dharmada, for the management, investment and alienation of.." तो मैं समझता हूं कि इसके अन्दर मुख्यतः यही चीज़ है कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ती करना और उसके अतिरिक्त कुछ ट्रस्ट या कमेटियां बनाना और कुछ रीज़नल कमेटियां और रीज़नल कमेटियां बनाना। इसके अन्दर भी जहां तक यह ट्रस्ट कमेटियां और रीजनल कमेटियां बनाने का सम्बन्ध है, इसमें स्पष्टतया इस बात का उल्लेख है कि उसमें वही सदस्य होंगे जो कि हिन्दु मतावलम्बी होंगे, जैन मतावलम्बी होंगे, सिक्ख मतावलम्बी होंगे या बौद्ध मतावलम्बी होंगे....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : इसकी क्या गारन्टी है कि वही होंगे?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसमें लिखा है। अब गारन्टी तो यही है कि इसमें लिखा है। इसमें यह लिखा है कि : The State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish a Regional Advisory Committee for the area within the jurisdiction of each Assistant Commissioner, consisting of such number of members representing each interest as may be prescribed. Explanation: The interests to be represented , shall, among others, be the following namely :

(i) the Hindu religion in general, together with any specified branch or sect there of;

(ii) the Digambar Jain religion;
(iii) the Swetambar Jain religion:

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : कौन सा क्लॉज़ है?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : १३ वां है। यह तो रीज़नल और एडवाइज़री कमेटियों के सम्बन्ध में है और इसके पहले बोर्ड का है ११ वां : "The State Govern-

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

ment shall, by notification in the Official Gazette, establish for the territories to which this Act extends for the time being an Advisory Board to be called the Rajasthan Hindu Public Board consisting of such number of members representing each interest as may be prescribed.', और इन्टरेस्ट को यहां डिफाइन किया है। यह इन्टरेस्ट हो सकता है हिन्दू रिलीज़न, दिगम्बर जैन रिलीजन, श्वेताम्बर जैन रिलीजन, बुद्धिस्ट रिलीज़न और सिक्ख रिलीज़न। तो जहां तक उनके ट्रस्ट के मेम्बर्स का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि जो अभी माननीय सदस्य बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो शंका उत्पन्न की थी उसका निवारण तो इससे स्वयं ही हो जाता है कि जो भी एडवाइज़री कमेटी के या ट्रस्ट के मेम्बर्स होंगे वह उन्हीं धर्म के अवलम्बी होंगे जिनके लिए वह बनाया जायेगा। इसीलिए आज सरकार ने उनको नामज़द किया है। इसीलिए अगर वह अपने धर्म के विरुद्ध जाते हैं तो ऐसी शंका तो निर्मूल ही हो सकती है। वह उसी धर्म के मानने वाले होंगे। नाथद्वारा वगैरह की जो कमेटी बनी है वह वैष्णवों की कमेटी है। अगर वैष्णवों की कमेटी भी उसके बारे में कुछ करती है तो मुझे और आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अगर कलेक्टर मुसलमान है तो ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अब सिर्फ आपकी शंका केवल इतनी है कि अगर कलेक्टर मुसलमान होता है तो क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो भी कलेक्टर या कमिश्नर या सेक्रेटरी या तहसीलदार या पटवारी कोई भी हिन्दु या मुसलमान होता है तो इसलिए उनका यह विरोध इस आधार पर करना कि हिन्दुओं का काम है, हिन्दुओं का मन्दिर भी होगा, जमीन और ज़ायदाद भी होगी इसलिए वहां इसका अधिकारी हिन्दू ही हो। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। वह सरकारी मुलाज़िम होगा। मैं समझता हूं राजस्थान गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट यह देखे कि क्या हो ? इसका उत्तर तो राजस्व मन्त्री ही देंगे लेकिन हम विशेषतया सरकारी मुलाजिम समझते हैं। सरकारी मुलाजिम की हैसियत से वह देवस्थान कमिश्नर होगा, असिस्टेन्ट कमिश्नर होगा। अगर कहीं ऐसा हो कि उनको हिन्दू धर्म में लाया जायेगा तो उनका धर्म होगा कि चाहे वह नमाज़ पढ़ता हो या चर्च में जाता हो या जिस समय वह देवस्थान का कमिश्नर होगा उसकी यह सरकारी ड्यूटी होगी कि वह लोगों के सेन्टीमेन्ट्स के अनुसार चले। यह तो सम्बन्धित मंत्री महोदय बतायेंगे कि वह किस धर्म का कैसा होगा...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : चेयरमैन महोदय आपने अभी फरमाया था कि सब हिन्दू ही हिन्दू होंगे। जैसे मुसलमान कलेक्टर हुआ तो आपने यह फरमा दिया कि राय तो उसकी सरकारी मुलाज़िमान की होगी तो दो तरह की बातें आप किस तरह से करते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कलेक्टर के बारे में बोर्ड में नहीं लेते हैं। बोर्ड या एडवाइज़री कमेटी के जो मेम्बर होंगे वह उसी धर्म के मानने वाले होंगे। कलेक्टर से मतलब आपका देवस्थान कमिश्नर से है तो संबंधित

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

देवस्थान कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर या इन्सपेक्टर के लिए मेरा कहना है कि वे हिन्दू या मुसलमान होंगे, इसका संबंध संबंधित मिनिस्टर महोदय ही बतलायेंगे। मगर मैं यह कहता हूं कि दूसरे मजहब का होता है तो मैं मानता हूं कि उसका मज़हब घर तक रहेगा। वह मस्जिद में जाता है या गिरजे में जाता है, वह उसका पर्सनल मज़हब हो सकता है। वह देवस्थान विभाग का कमिश्नर है और हिन्दू ट्रस्ट बिल के किसी काम को करता है। अगर वह जैनियों में होता है तो उसके सेन्टीमेंट्स, उसके फीलिंग्स, उसकी भावना वैसी ही होनी चाहिए जो वहां के उपयुक्त होती है। आज भी हम ज्यादातर देखते हैं हिन्दू मन्दिरों में, खास भरतपुर का उदाहरण मैं देता हूं कि वहां एक कारिन्दा मुसलमान रहता था, अभी तक रह रहा है, जब साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ उस वक्त गया था। उस वक्त मुसलमान कारिन्दा था....

श्री शिवचरणदास (मान्डल) : उस वक्त जो शासक थे वे धर्म सापेक्ष थे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इस तरह के और भी उदाहरण बतलाऊंगा कि असिस्टेन्ट वक्फ कमिश्नर है वह भी हिन्दू ही है। मुसलमानों की धार्मिक प्रोपर्टी के लिए है वह भी हिन्दू ही है असिस्टेन्ट कमिश्नर।

श्री शिवचरणदास : मेरे कहने का मतलब आपकी समझ में नहीं आया। क्योंकि वह शासन धर्मसापेक्ष था तो कोई व्यक्ति किसी भी रिलीजन का हो वह उसको निभा सकते थे। यह धर्म निरपेक्ष शासन है और आप धर्म के अन्दर बाधा डालने जा रहे हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह धर्मनिरपेक्ष शासन है इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वह सरकारी कर्मचारी होगा वह धर्म निरपेक्ष सरकारी कर्मचारी होगा वह कोई बाधा नहीं डालेगा।

श्री शिवचरणदास : वह सरकार जो धर्म में विश्वास नहीं रखती है वह धर्म के मामलों में क्यों हस्तक्षेप करती है ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : धर्मनिरपेक्ष के अभिप्राय को समझने की बात है। धर्म निरपेक्ष जो है उसका मतलब यह नहीं है कि वह धार्मिक नहीं है। सरकारी अधिकारी जो है....

श्री सभापति : आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस व्यवस्था के हिसाब से वह होगा।

श्री शिवचरणदास : सभापति महोदय, धर्मनिरपेक्ष का मतलब अधार्मिक शासक है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि कोई किसी धर्म का पालन करता रहे और शासन की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह है धर्म निरपेक्ष का मतलब।

श्री शिवचरणदास : तो यह फिर क्यों किया जा रहा है ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसमें नहीं है हस्तक्षेप, केवल यह बतलाया गया है जो प्रोपर्टी वहां की होगी, मैं बृज का रहने वाला हूं तो बृज में सब से बड़ा मन्दिर है द्वारिकाधीश का जो कि मथुरा में है। वहां

Page No.62

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

पर जो संपत्ति है वह लाखों की हो सकती है, करोड़ों की हो सकती है। वह मन्दिर रहा, कुछ लोग उसके अधिकारी रहे, जैसा कि नाथद्वारे के बारे में प्रचलित है उस द्वारिकाधीश के मंदिर की सारी संपत्ति चोरी चली जा रही है और जयपुर तक पुलिस उसको देखने आई है। यह सरकारी चीजें होती हैं। इसलिये कि ठीक तरह का उन पर नियंत्रण नहीं है। माना कि किसी वक्त में धर्म की इतनी मान्यता रही है कि मन्दिर की किसी चीज का दुरुपयोग करना पाप समझते हों लोग, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि पुंजारी अधिकारी खास जिनका काम मन्दिर की सेवा पूजा करने का रहा है उनका चोरी से माल ले जाने में हाथ रहा है।

श्री शिवचरणदास : यह उस सम्प्रदाय वाले लोगों के देखने का मामला है। अधार्मिक शासक के हस्तक्षेप करने का क्या तात्पर्य है?

श्री सभापति : वे अपने भाषण में एक्सप्लेन करना चाहते हैं।

श्री शिवचरणदास : आपको बोलने के लिए बोलना है इसलिए बोलें।

श्री जुगलकीशोर चतुर्वेदी : धर्म का जहां तक सम्बन्ध है यह चीज नहीं होती है। इसकी एडवाइजरी कमेटी या एडवाइजरी बोर्ड के अन्दर अगर उसके धर्म के विरोधी लोग होते हैं तो शंका कुछ हद तक ठीक हो सकती है। उसमें साफ लिखा है:

"The Hindu religion in general, together with any specified branch or sect thereof."

हिन्दुओं में जो सम्प्रदाय हैं, उप-सम्प्रदाय हैं तो स्पष्ट इसमें है कि किसी हिन्दू सम्प्रदाय का मानलें श्री सम्प्रदाय है, हिन्दू धर्म में श्री सम्प्रदाय वैष्णव सम्प्रदाय है और उस वैष्णव सम्प्रदाय में श्री सम्प्रदाय का मन्दिर है, मैं समझता हूं कि इसका मतलब यह होगा कि श्री सम्प्रदाय के मन्दिर की कोई एडवाइजरी कमेटी होगी उसमें श्री सम्प्रदाय के ही आदमी होंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : चेयरमैन महोदय, एक तरह से देखा जाय तो आप यह फर्मा रहे हैं कि बड़ी दिक्कतें रहती थीं और अभी तक प्रबन्ध ठीक नहीं है। तो केसरियानाथजी के मन्दिर का क्या हाल है। नाथद्वारा में आपका प्रबन्ध था, उसका क्या हाल हो रहा है। सारे का सारा माल निकल गया।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी इसका जवाब देंगे तब बतलायेंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसके ऊपर अलग चीज है। मैं आपसे कहूं कि यू. पी. में इस प्रकार का बिल बहुत पहले आ चुका था। पब्लिक से पूछा गया तो अधिकांशतः मत इस बारे में आये कि मंदिरों और देवस्थानों की संपत्ति का दुरुपयोग उन लोगों के द्वारा होता है जो धर्म की रक्षा के लिए रखे गये हैं। मैं समझता हूं कि जहां सरकार का नियन्त्रण होगा धर्म में हस्तक्षेप होगा तो वह उस हालत में होता है कि ५ बार आरती यदि एक मन्दिर में होती है, और उसकी व्यवस्था को कमिश्नर रद्दोबदल करता है तो कह सकते हैं कि धर्म में दखल करते हैं। मैं कहता हूं कि आन्तरिक व्यवस्था है।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

पूजा पाठ की जो भी व्यवस्था है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। केवल जो प्रोपर्टी है उसके लिए यह है। उसमें भी यह कहा गया है। धर्मादे को छोड़ कर बाकी इन सब के लिए कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन रखा है। इसमें आपत्ति हो सकती है कि हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन क्यों होता है। मैं कहता हूं....

श्री शिवचरणदास : सरकार अपने विभागीय घोटालों को तो निकाले फिर संप्रदाय की संस्थाओं में जाकर चेक करे। वहां पर चेक करने को तैयार हो गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह ठीक है कि सरकार को अपने घोटालों को निकालना चाहिए और जरूर निकालना चाहिए लेकिन प्राइवेट संस्थाओं में भी जो घोटाले हैं उनको भी निकालना चाहिए। उनके लिए मैं मना नहीं करता हूं। उनके साथ साथ ही जनता की इस प्रकार की संस्थाएं हैं कि जिन संस्थाओं में घोटाले होते हैं, क्या हमारे माननीय सदस्य इस बात को नहीं समझते हैं कि मन्दिरों के अन्दर कितनी ही जगह हम देखते हैं, सभापति महोदय, कि हत्याएं हुई हैं, अत्याचार और व्यभिचार के अड्डे रहे हैं। क्या माननीय सदस्य उनकी ओर से अपनी आंखें बन्द कर सकते है? यह नहीं मानना चाहिए कि सरकार के हाथ में आ जाने से यह दुर्व्यवस्था हुई है। अगर कोई सरकार शासन में सुव्यवस्था कर सकती है तो क्यों नहीं वह देवस्थान के इन्तज़ाम में भी सुव्यवस्था कर सकती है। अगर कुशासन है, शासन ठीक नहीं है तो वह खाली देवस्थान से ही सम्बन्धित नहीं है। आप उक्त शासन को as a whole condemn कर सकते है। लेकिन अगर शासन कोई है और वह शासन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था करता है, उस तरह से हमारे देवस्थान के मन्दिरों की व्यवस्था के लिए कोई भी कानून बनाते हैं जिनसे संपत्ति का ठीक तरह से नियन्त्रण हो सके उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाते हैं। उसी धर्म के, संप्रदाय के, उसी मत के लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में होते हैं जो कि उसकी व्यवस्था करते हैं, जो भी उसके अधिकारी होंगे वे सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए होंगे और उनको यहां पर डिफाइन किया हुआ है कि उनके यह अधिकार होंगे और सरकार नियुक्त करेगी, तो मैं समझता हूं कि कोई भी उसमें आपत्ति नहीं हो सकती है। आज भी सरकारी मन्दिरों में सरकारी देवस्थान विभाग प्रबन्ध कर रहा है तो फिर क्या आपत्ति है। कहां फिर धर्म में हस्तक्षेप होता है, धर्म में आघात आता है। सरकार द्वारा सचालित राजा महाराजाओं के वक्त के मंदिर थे स्टेट प्रापर्टी है और जो देवस्थान विभाग मे संबंधित मन्दिर हैं आज भी देवस्थान कमिश्नर और इन्सपेक्टर उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन कम सुनने में ऐसा आया होगा कि अमुक धर्म के मामले में हस्तक्षेप हुआ है। धर्म का मामला जहां तक, उनका कोई काम नहीं है...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : चेयरमैन महोदय, मैंने निवेदन किया था, केशरियानाथ जी की नजीर दी थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जवाब दूंगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : केशरियानाथ...

Page No.64

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय चेयरमैन, यह तरीका ठीक नहीं है, बहुत से माननीय सदस्य बार बार इन्ट्रप्ट करते हैं। जो कुछ जवाब पूछना है, वह मैं दूंगा। आप मुझसे पूछियेगा। माननीय सदस्य क्या जानते हैं।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हाउस का डिकोरम मेन्टेन करें। जिन किन्हीं शंकाओं का समाधान करना है, मंत्री महोदय से करवायें, वे अपने भाषण में समाधान कर देंगे। आप अभी शंका रेज़ कर दें, उसके बाद वे उन्हें दूर करेंगे।

श्रीजुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन कर चुका हूं।

श्री शिवचरणदास : माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर देने के पश्चात दूसरे माननीय सदस्यों को अधिकार नहीं रहता। उनकी शंकायें रहती हैं, इसलिए वे इन्ट्रप्ट करते हैं, इसके लिए चेयरमैन महोदय व्यवस्था दे सकते हैं। माननीय मंत्री जी कैसे कहते हैं कि इन्ट्रप्ट नहीं करें।

श्री सभापति : यह बात है कि जो माननीय वक्ता बोल रहे हैं, वे आपकी शंकाओं का निराकरण या समाधान नहीं कर सकते।

श्रीसोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : असेम्बली में शेर नहीं मारे जाते।

श्री शिवचरणदास : जो शेर को खत्म कर सकता है, वह आसानी से आपको कर सकता है।

डॉ० बहादुरसिंह : सच ही है।

श्री शिवचरणदास : इस तरह से क्यों ?

(घंटी)

माननीय सदस्य बोलते हैं, वे अपने विचार से बोलते हैं, वे शंका का समाधान कर सकते हैं।

(घंटी)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं कह रहा था कि आज लॉ एण्ड आर्डर कोई गवर्नमेंट ठीक नहीं रख सकती है, उसको कन्डम कर सकते हैं, इसका अधिकार हमारे पास है। आज देवस्थान इस प्रकार सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं, तो सरकारी अधिकारी होते हैं, ट्रस्ट बन जाता है, एडवाइजरी कमेटी बन जाती है। अगर ठीक व्यवस्था नहीं करते हैं तो उनको कन्डम करना चाहिए। बतलाया यह जा रहा है कि इसमें धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं आता। कमेटी की नियुक्ति होगी, तो जो असिस्टेन्ट कमिश्नर गवर्नमेंट का होगा, उसको एडवाइज कमेटी करेगी। इसमें स्पष्ट प्रावधान है :

"Functions of committees : (1) Every committee shall, in relation to the area for which it has been established, tender advice to the Assistant Commissioner of that area in respect of matters arising under chapters VI and VII and save as otherwise provided in sub-section (2) and (3) of Sec. 12, no Asstt. Commissioner shall exercise his powers in such matters without obtaining and

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

otherwise than in accordance with, such advice..."

इतने इतने, इतने। चीज यह है कि जो भी कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर या जो भी अधिकारी होगा, उसको सलाह देने वाली कमेटी है, ट्रस्ट है, बोर्ड है और इनमें वे लोग होंगे जो सम्प्रदाय के धर्म को मानने वाले हैं, वे अधिकारी को सलाह देंगे और मैं समझता हूं वह केवल सलाह नहीं होगी, अब यह प्रोविजन किस तरह रखते हैं, लेकिन सलाह इस तरह की होगी, जिसको मानना ही है और धार्मिक उनके जो भी विचार हैं, जो उनका विश्वास है, उनको व्याघात और आघात नहीं आयेगा। इसलिए जो शंकाएं उठाई गई हैं कि इस कानून के बन जाने से धर्म को आघात पहुँचेगा और राजस्थान जो पवित्र भूमि है, इसमें ऐसा हो जायगा। मैं समझता हूँ कि राजस्थान पवित्र भूमि है वह और पवित्र बनेगी, जैसी अब तक पवित्र रही है, उससे भी पवित्र होगी। मैं समझता हूं कि राजस्थान के जो शासक राजा महाराजा थे, उनके लिए कई बार कहते हैं कि मूर्तियां उनके पास सब तरफ से आईं, और राजा महाराजाओं ने आश्रय दिया, अपने यहां रखा, कोटा में आई, नाथद्वारा में आई, जयपुर में आई। उस वक्त उनको इस प्रकार आश्रय दे सकते थे तो आज जब कि प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, आज की सरकार उन धर्मस्थानों का सारा काम करेगी, मन्दिर की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को नियुक्त करती है। तो क्या इसलिए करना चाहती है कि मन्दिरों की व्यवस्था खत्म करना चाहती है, यह शंका क्यों उठनी चाहिए ? सरकार को आखिर चलाने वाले हैं, यह हमें मानना चाहिए कि हम और आप लोग हैं, मिनिस्ट्री में कोई भी हो, कल आप हो सकते हैं और ही हो सकते हैं। इसके साथ ही जो केन्द्रीय सरकार को चलाने वाले हैं।

श्री शिवचरण दास : वह शंका इसलिए है कि जिन संस्थाओं के पास पैसा नहीं है उनको सरकार ने छोड़ दिया है और पैसे वाली संस्थाओं के लिए सरकार ने कानून बनाया है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पैसे की ठीक व्यवस्था करने के लिए या पैसे के लिए कानून बना है, ऐसा तो इसमें कहीं नहीं है। यह कहता है कि जो कमेटी की इडवाइज होगी उसके अनुसार देवस्थान कमिश्नर और असिस्टेन्ट कमिश्नर काम करेंगे।

श्री शिवचरणदास : जिन मन्दिरों के पास पैसा नहीं है, उनको पैसा देंगे ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूं कि जब स्वयं बोलने के लिए खड़े हों तो ज्यादा समय ले सकते हैं।

श्री सभापति : आप आरम्भ रखिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मुझे कहना है कि इस बिल को इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला है, मन्दिर, देवस्थानों की सेवा पूजा को आघात पहुँचाने वाला नहीं है। सिर्फ इसमें यह है कि जो धन का दुरुपयोग होता है, मन्दिर के धन का जिनको अधिकारी माना जाता है, जैसे गरीब में समझ लीजिये, महात्मा के रूप में समझ लीजिये,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

इस रूप में होते हुए भी धन का दुरुपयोग होता है। मैं समझता हूं कि यह जनता के धन का दुरुपयोग है। जिस प्रकार राज्य के कोष पर जनता का अधिकार है, मैं समझता हूं, मन्दिर के कोष पर भी अधिकार है, जनता का इस धन पर इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह वहां की एक एक पाई पर नियंत्रण रखे। मैं समझता हूं, आज जनता की चुनी हुई सरकार है, यह सरकार हम और आप जो जनता के प्रतिनिधि हैं, की बनाई हुई है। जब इस सरकार पर ४० करोड़, ५० करोड़ रुपये की व्यवस्था सौंपते हैं तो इतनी हमारे दिल में आशंका और अविश्वास नहीं होना चाहिए कि मन्दिर की सम्पत्ति का वह दुरुपयोग करेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो चुने हुए मेम्बर और चुने हुए अधिपति होने चाहिए।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह तो जैसा बतलाया कि एक एडवाइजरी कमेटी होगी, एडवाइजरी कमेटी मदद देगी सरकारी अधिकारी को। यदि एडवाइजरी कमेटी के बिना उनको ऑटोक्रेट बना दिया जाय, तो कह सकते हैं। लेकिन वहां पर उनके ऊपर एडवाइजरी कमेटी, ट्रस्ट इसलिए रखा है और इनमें उन लोगों को रखा गया है, जिनका संप्रदाय से, धर्म से सम्बन्ध हो। तो जहां तक आपकी धार्मिक भावनाओं का सम्बन्ध है, आपको अपनी एडवाइजरी कमेटियों पर भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि वे आपके उन्हीं मतों, उन्हीं सम्प्रदायों, उन्हीं विचार के लोगों की होंगी। जहां तक उसकी व्यवस्था का सवाल है, वहां सरकारी अधिकारी होगा। आज आपका सरकारी अधिकारी कलेक्टर जिले में लॉ एण्ड आर्डर्स रखता है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट का शासन चलाती है। तो सरकार थोड़े मन्दिरों की सम्पत्ति के लिए कोई दूसरी नीति रखे, उस रुपये का दुरुपयोग करे, उसे धर्म के कामों में खर्च न करके और कामों में लगावे, मैं समझता हूँ इस प्रकार की शंका नहीं उठानी चाहिए। इस दृष्टि से जो इसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में स्पष्ट कर दिया है कि इसकी मन्शा कोई मन्दिरों के मामले में, मन्दिर की सेवा पूजा में, उनके आन्तरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की नहीं है, केवल इसका आशय यह है कि कुछ अधिकारी निश्चित किये जाय, ट्रस्ट और एडवाइज़री कमेटी रखी जाय, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाय। मैं बता रहा था रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में। अभी एक चीज़ चल रही है कि हमारे साधु सम्प्रदाय का नाथद्वारा में जो सम्मेलन हुआ, उसमें यह प्रश्न रखा गया कि हमारे साधुओं का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यह सुनकर लोगों की धार्मिक भावनाओं पर बड़ी ठेस पहुंचती है, लोग क्या क्या कहते हैं, साधुओं का रजिस्ट्रेशन होता है। मैं कहता हूं कि साधुओं के रूप में बड़े बड़े कातिल मिलते है, पीले कपड़े रंग कर कोई भी साधु बन सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : आज कल सफेद कपड़ों में भी मिलते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उनमें भी होते हैं।

श्री शिवचरण दास : ज्यादा होते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : केसरिया भी पहनते है ज्यादा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं कहता हूं, इसलिए जरूरी है कम से कम उनके बारे है यह हो कि वे कुछ भी पहनें, उनके रजिस्ट्रेशन से हमारी धार्मिक भावनायें दूर हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कई दृष्टिकोण हैं। इसलिए मैं समझता हूँ यह बिल है, यह बिल सर्वथा निर्दोष है और इसको पारित होने में कोई भी हील हुज्जत नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं इन विचारों को सुनने के बाद माननीय सदस्य इस पर तत्पर होंगे कि यह बिल पारित किया जाय और इसके अनुसार अमल हो।

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): सभापति महोदय, इस बिल के बारे में जो दो संशोधन प्रस्ताव आये हैं, एक तो यह कि इसको जनता की ओपिनियन जानने के लिए भेजा जाय और दूसरा यह कि सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। माननीय सभापति जी, मैं दोनों प्रस्तावों का विरोध करता हूँ . . .

सभापति महोदय, यह सर्व विदित है कि इस प्रकार के बिल की बहुत पहले से मांग थी। मगर किसी कारण से यह एक्ट के रूप में नहीं आ सका। माननीय सभापति महोदय जब कोई कानून नहीं है जिसके मातहत मन्दिरों की जांच हो सके और उनका प्रबन्ध हो सके जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। जैसा कि नाथद्वारा में हुआ। यह मालूम होना चाहिये कि मन्दिर की कितनी जायदाद है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) **:** आपका वहां एडमिनिस्ट्रेटर था।

श्री सोहनलाल भटनागर : लेकिन कानूनी रूप से कोई उस सामान की एन्ट्री नहीं थी। जो घोटाले होते हैं उनको सरकार चाहती है कि न हों और सारी एन्ट्रीज़ हों। इस दृष्टिकोण से यह बिल लाया गया है। जिस समय इस प्रकार का बिल लाया जाता है तो आज आप इसका विरोध करते हैं और यह कहते हैं कि इससे धर्म की भावनाओं पर ठेस पहुँचाने वाली चीज है। सभापति महोदय, पहले की विधान सभा ने इसको पास किया था। उसके बाद नया इलेक्शन आया। कई पार्टीज़ ने जैसे रामराज्य परिषद, जनसंघ आदि ने उसको आधार बना कर चुनाव लड़े मगर फिर भी बहुमत से हारे। मैं यह कहूँगा कि इससे बढ़ कर क्या कोई बात हो सकती है। कांग्रेस की जीत हुई इससे स्पष्ट है कि जनता इसको चाहती है। आपने डेफिनेटली इस चीज को इलेक्शन प्रोपेगेण्डा में काम लिया और राजस्थान की पब्लिक ने यह माना कि इस प्रकार का कानून जल्दी से जल्दी बनना चाहिये। इसलिये माननीय सभापति महोदय, जनमत का प्रश्न तो पैदा ही नहीं होता है। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कोन्सटीट्यूशन के बारे में कहा कि यह संविधान के अनुसार ठीक नहीं है और इससे बाधा पहुंचती है। माननीय सभापति यह पहले वाले बिल में कहा गया था कि यह बिहार के ट्रस्ट बिल पर आधारित है। मैं यह निवेदन करूंगा कि उसको सुप्रिम कोर्ट में चेलेन्ज किया गया था और उसका १५ अप्रेल को जजमेंट दे दिया गया था।

Page No.68

(श्री सोहनलाल भटनागर)

उसका जजमेंट १७ अप्रेल के हिन्दुस्तान टाइम्स के पेपर में आया है ....

श्री सभापति : What paper are you reading? You will place it on the table of the House.

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ उसका रेलेवेन्ट पोर्शन ही पढ़ रहा हूँ। एक्स्ट्रेक्ट ही पढ़ रहा हूं। May I read Sir.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि पेपर का कोई रेफरेन्स नहीं दिया जा सकता....

श्री सभापति : वे सदन की मेज पर रख सकते हैं। पेपर हर एक के ध्यान में आया है यह हर एक के ध्यान में आई हुई चीज है।

श्री भैरोंसिंह : दो आने के पैसे सभी खर्च सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : A judgment cannot be read from the paper.

श्री सभापति : वे स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : Mr. Justice S. K. Das of the Supreme Court on Wednesday dismissed the appeals questioning the validity of the Bihar Hindu... Religious Trusts Act of 1950....

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह समझा जावे कि हाउस में पेपर पढ़ने के बाद उसको सदन की मेज पर रखा जा सकता है।

श्री सोहनलाल भटनागर : आपने इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दे दी है।

श्री सभापति : He is only substantiating his arguments.

श्री भैरोंसिंह : पहले जिस समय एक जजमेंट का हवाला दे रहे थे तो उसमें यह डिसिजन दिया गया कि कोई पेपर के बारे में नहीं कह सकते।

श्री सभापति : This is just some thing from the Supreme Court of India.

श्री भैरोंसिंह : हाउस में पढ़ कर टेबल पर रख रहे हैं।

श्री सभापति : कोई हाउस इस पर डिसिजन नहीं ले रहा है। He is just quoting it.

श्री भैरोंसिंह : वे कुछ भी कहें इस पर डिसिजन लिया जा चुका है कि एक पेपर को क्वोट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझनू) : आप किस आधार पर कहते हैं?

श्री भैरोंसिंह : आप जब भूतपूर्व स्पीकर थे तब आपने व्यवस्था दी थी उस आधार पर कह रहा हूं।

श्री सभापति : Yes you continue please.

श्री सोहनलाल भटनागर : He observed: "It cannot be said that in the matter of religious trusts in the State of Bihar, Sikhs, Hindus and Jains are situated alike, or that the needs of the Jains and Hindus are the same in the matter of administration of their respective religious trusts; therefore according to the well-established principles laid down by the Supreme Court with regard to legislative classification, it was open to the Bihar Legislature to exclude Sikhs who might have been in no need of protection and to distinguish, जैसा कि यहां मुसलमानों को एक्सक्लुड किया हैं वहां सिक्खों को एक्सक्लुड किया गया है, between Hindus and Jains."

After the Act had received the assent of the President on February 21, 1951, certain mahants questioned the constitutional validity of the Act by means of writ petition in the Patna High Court which held that the Act was a valid piece of legislation. The matter came to the Supreme Court on a certificate of fitness granted by the High Court."

श्री सभापति : I hope you will please read the relevant portion from the paper and nothing else.

श्री सोहनलाल भटनागर : In the Supreme Court it was contended that the Act was discriminatory, that it violated the freedom of managing religious affairs granted by the constitution and that it imposed an unauthorised tax and contravened Article 133 of the Constitution.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I think the Hon'ble members' point of order was correct. The judgment cannat be read out from the paper. How can the Hon'ble member vouchsafe that this is the exact wording in the judgment.

श्री सभापति : He is now going to confine.

श्री भैरोंसिंह : कभी कोट नहीं किया गया ।

श्री सभापति : He will give the relevant portion.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir it cannot be given.

श्री सोहनलाल भटनागर : सारा थोड़े ही पढ़ रहा हूं ।

श्री पी० के० चौधरी : He should have a certified copy of the judgment. A word can change the whole context and we cannot reply on it. There can be so many mistakes in the printing and publishing of it in the paper.

श्री सभापति : कन्टीन्यू रखें । आप इस पेपर की तहत में वही कहें जिससे कोई मतलब हो । पूरे पेपर को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है । We are only concerned with the relevant portion of it.

Page No.70

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of Order Sir.

श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया कि अखबार से कोई चीज पढ़ कर नहीं सुनाई जा सकती उसको फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है कि केवल अखबार में वह मामला रिपोर्ट हुआ है वह जजमेंट की कापी नहीं है। मैं आपसे इस बात की व्यवस्था चाहूंगा कि कोई भी माननीय सदस्य भविष्य में अखबार जिसमें किसी प्रकार का निर्णय दिया गया हो पढ़ कर सुना सकता है ?

श्री सभापति : जो लोक सभा की प्रोसीडिंग्ज है therein you can quote, you can cite.

श्री पी० पी० चौधरी : You can cite the judgment but I can cite it only form my memory and when I have read the judgment I must stand liable to the House for mis-quoting the judment if any. But when the Hon'ble member reads it form the paper, then we cannot say that whatever is priuted in the paper is correct. To take the paper and go on reading the whole paper is objectionabe.

श्री सभापति : He is just going to confine.

श्री पी० के० चौधरी : I don't think it is desirable.

श्री सभापति : Please don't read the whole paper.

आप अपने स्पीच में उस पोर्शन को रखें जितने की जरूरत हो। अगर उसकी जरूरत न हो तो आप उसको न रखिये।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं पेपर से एक्सट्रैक्ट ही तो पढ़ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : On a point of information, Sir. मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि आया यह उस जजमेंट की कोपी है जो सुप्रिम कोर्ट ने दिया है ?

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं जजमेंट नहीं पढ़ रहा हूं।

श्री पी० के० चौधरी : Is the Hon'ble member in a position to say on oath that every word by word with semicolan, dash, coma and fullstop, whatever he is reading is correct.

(व्यवधान)

श्री सभापति : No. He can read it.

(हर्षोल्लास)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a point of submission Sir,. If the Hon'ble member is entitled to read it then.

श्री सभापति : He has done and that is correct.

श्री श्रीभानसिंह : And the Hon'-

Page No.71

(श्री श्रीमानसिंह)

ble member is conversant that the judgement is known to everyone.

श्री सभापति: That is why he has done it.

श्री सोहनलाल भटनागर : सभापति महोदय, इसका जो पोर्शन है उसमें यह निर्णय लिया गया है कि इससे कोई भी धार्मिक भावना पर ठेस नहीं पहुंचती है। पूजा और धार्मिक मामलों में इन्टरफियरेंस नहीं होगा और मेरे खयाल से श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य इसमें संतोष मान सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपका बहुत प्रभावात्मक भाषण हो तो दीजिये, अच्छा है पर अखबार की नकल क्यों करते हैं ?

श्री सोहनलाल भटनागर : After all I want to quote actual wordings of the learned Judges. इस दृष्टिकोण से इस जजमेंट को मुलाहिज़ा कर लिया जाय। तो यह तो स्पष्ट हो चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट बिल्कुल गलत है और स्टेट के लेजिस्लेचर का राइट है कि बेटरमेंट के लिये धार्मिक मामलों में स्टेट बिल ला सकती है। एक यह बात कही गई कि इसमें नोमीनेशन का रखा है, इलेक्शन का रखना चाहिये। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इलेक्शन का रख दिया गया तो बड़ा घोटाला होगा। इलेक्शन कराने में बड़ी दिक्कत आयेगी, इलेक्टर रोल बनाना बड़ा मुश्किल होगा, सरकार के लिये इलेक्शन कराना तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिये यह जो नोमीनेशन का रखा है वह बिल्कुल ठीक है।

दूसरी बात बताई गई धर्मादे को ले कर, उसमें जो प्रावधान रखा है उसमें कहीं नहीं रखा है कि पर्टिक्युलर काम के लिये ही खर्च किया जाय। इसके लिये प्रावधान है कि....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : प्रावधान होना न होना एक ही बात है।

श्री सोहनलाल भटनागर : इसमें यह नहीं लिखा है कि इस तरह खर्च किया जाय, ठीक तरह से खर्च किया जाय। बजट के लिये लिखा है कि १२ सौ से ज्यादा है उसको गवर्नमेंट के पास भेजना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट की मंजूरी के लिये नहीं भेजा जायगा। बजट में और किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रखा है ताकि यह कहा जा सके कि रीति रिवाज़ में हस्तक्षेप किया जा रहा है।

इन्वेस्टमेंट के लिये शिड्यूल्ड बैंक है उनमें ही इन्वेस्टमेंट करने का रखा है। यह सही बात है कि मन्दिरों की जो रकम रखी जाती है उसका मिसएप्रोप्रियेशन हो जाता है, शिडयूल्ड बैंक में रखने से वह सेफ़ रहेगी। जो रकम जिस काम के लिये रखी गई, उसी काम के लिये कन्टीन्यू रखी जाय, उसकी सिक्योरिटी रहे इसके लिये यह प्रोविज़न रखा है वह बिल्कुल ठीक है। आज राष्ट्र को पंच वर्षीय योज़ना के लिये रुपयों की ज़रूरत है, इसके लिये भी ये ट्रस्ट्स बहुत फायदा पहुँचायेंगे। इसमें आर्बीट्रेरी पॉवर्स गवर्नमेंट ने अपने हाथ में नहीं रखे हैं, हर चीज़ की अपील रखी हुई है। सीविल कोर्टस के अधिकार रखे हैं, हर एक सम्प्रदाय का अधिकार रखा है कि देवस्थान कमिश्नर यदि कोई ऑर्डर दे, बोर्ड यदि कोई ऑर्डर दे तो उसको मॉडिफ़ाई कराया जा सकता है।

Page No.72

(श्री सोहनलाल भटनागर)

तो यह एक बहुत अच्छा बिल है, इससे मन्दिरों की गड़बड़ियां खत्म हो जावेंगी और मन्दिरों के ट्रस्ट बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति (श्री अनोपसिंह) :

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

श्री भैंवरलाल 'कालाबादल'(अकलेरा-सु०) : मन्दिरों के प्रबन्ध का जो यह बिल आया और किसी सदस्य ने इस बिल को पब्लिक की राय जानने के लिए भेजने का कहा और कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि मन्दिरों का प्रबन्ध जनता के हाथों में ही रहने दिया जाय, सरकार अपने हाथ में न रखे। मैं जानता हूं कि हमारे मन्दिरों की आज तक अव्यवस्था रही है। जनता ने मन्दिर बनाये और कुछ दिन के लिए पुजारी को रख दिया। तो पुजारी ही उस मन्दिर का मालिक बन जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। चौड़े रास्ते में त्रिपोलिया के सामने मन्दिर है इस मन्दिर को मीणा जाती ने बनवाया था, हमने मुकदमा भी चलाया पर पुजारी मालिक बन गया। कोटा में पुजारी ने मूर्ति तक को गायब कर दिया और सरकार के हाथ में किसी प्रकार के अधिकार नहीं होने के कारण सरकार झांकती ही रह गई और पब्लिक परेशान हुई कि मूर्ति कहां गई। हमने नाथद्वारा का काण्ड सुना, दूसरी जगहों के काण्ड भी सुने। भगवान भी परेशान हैं अपने भगवान के नाम से। वर्षा में भगवान् भीगते रहते हैं,XXXX कि मेरी रक्षा नहीं होती, मन्दिरों को बनाने वाले देखते नहीं हैं

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : On a point of order Sir, सभापति महोदय, मैं एक बात मानता हूं कि हमें भाषण देने की छूट है पर किसी के धर्म के बारे में आपत्ति जनक शब्द कहें XXXX
यह आपत्तिजनक है। जिस व्यंगात्मक भाषा में कहा गया XXXX ये शब्द आपत्तिजनक हैं या तो माननीय सदस्य इन शब्दों को वापिस लें या सदन की प्रोसिडिंग्स मेंसे इन शब्दों को एक्सपन्ज किया जाय।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्यों ? इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : There is nothing objectionable. You can use those words.

श्री सभापति : ये वर्डस पार्लियामेंटरी वर्डस नहीं थे और न यहां के डिकोरम के लिहाज से अच्छे वर्डस थे।

श्री श्रीभानसिंह : Those who like the words cannot be held down to use the terminology...

श्री सभापति : पर ...

श्री भैरोंसिंह : किसी के धर्म पर आघात नहीं पहुँचा सकते।

XXXX अध्यक्षापीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री श्रीभानसिंह : There was nothing against the parliamentary procedure and...

श्री सभापति : पार्लियामेंटरी प्रोसीजर के लिहाज से किसी को गाली देना अच्छी बात नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : यह कोई गाली नहीं, XXXX सोते भी हैं, खाते भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : This was just an aspersion on the...

श्री सभापति : Atleast there must be some code of conduct.

श्री श्रीभानसिंह : How does it mean? If he has reflected on some particular Hon'ble Member, then he may object to it...

श्री भैरोंसिंह : इस तरह से वर्ड्स बोलना कोई अच्छी भाषा नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : अच्छी भाषा नहीं पर क्या कोई भाषा माननीय सदस्य चाहेंगे वही यूज की जायेगी ?

श्री सभापति : आप किसी धर्म को मानते हों या नहीं पर उस धर्म के लिए इस तरह के शब्द कि XXXX कहना किसी के लिए अच्छा नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : मैं अर्ज करूंगा कि हिन्दू धर्म के मानने वाले का जहां तक सवाल है, मैं भी उतना ही हिन्दू धर्म का मानने वाला हूं जितने कि माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कोई हिन्दू धर्म का ठेका नहीं ले लिया है।

श्री भैरोंसिंह : हिन्दू धर्म को मानते हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूं, अपने आप को हिन्दू डिक्लेअर करते हैं इसकी हमें खुशी है, पर किसी धर्म के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल की जाय जिससे किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से आघात पहुँचे, XXXX इस तरह के शब्द कहें, पर भगवान् की इन्सल्ट करने के लिए व्यंगात्मक, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जाय, चाहे हिन्दू, मुसलमान या ईसाई किसी भी धर्म को मानने वाले हों, इस तरह के शब्द कहना आपत्तिजनक है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सभापति महोदय, XXXX जो कहा गया है मैं समझता हूँ कोई अनुचित नहीं था XXXX

श्री सभापति : That is not the meaning. This is the context in which he has said.

श्री श्रीभानसिंह : It is very difficult to argue with Chair, but I would like to say that the intention of the Hon'ble member...

श्री सभापति : I follow. I am just explaining what the point of order was..

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : But Sir, there was nothing in it objectionable...

XXXXअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

XXXXअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री भैरोंसिंह : इस पर तो डिसीज़न हो चुका।

श्री पी० के० चौधरी : कोई डिसीज़न नहीं हुआ।

श्री सभापति : The words used × × × × are objectionable and they must be expunged from the proceedings.

श्री पी० के० चौधरी : I rise on a point of order. The words used by the Hon'ble member...

श्री भैरोंसिंह : The Chair has already given a Ruling. He cannot canvass it now...

(Interruptions)

श्री सभापति : After all they are not good words. (Thumping)...

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं वैसे तो मेरा कहना एक प्रकार से अनावश्यक होगा। लेकिन जो वाद विवाद चल पड़ा है वह हमें दर असल जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है उसे हल करने में मदद नहीं करता। भगवान क्या करते हैं या नहीं यह हमें नहीं देखना है। भगवान को जिस रूप में जो मानता है वह उस रूप में अपने विचार प्रगट कर सकता है। मैं ऐसा समझता हूं ये बातें इस विधेयक की मदद करेंगी मैं नहीं मानता और जिस प्रकार की भाषा प्रयोग में लायी गई है। उस भाषा को हमें काम में न लेकर इसके आगे बढ़ना चाहिये। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आगे बढ़ने में कोशिश की जानी चाहिये। XXXXयह प्रश्न हमारे सामने नहीं है XXXX हंसते भी हैं सोते भी हैं हिन्दू धर्म के अन्दर भगवान सब कुछ करते हैं। यहां तक भी होता है कि भगवान शौच भी जाते हैं उनको नहलाया और धुलाया भी जाता है इस पर वाद विवाद की क्या बात है ?

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir I am not speaking on that point of order. I am making another point of order.

श्री सभापति : Yes. What was your point of order ? Let me know.

श्री पी. के. चौधरी : The Hon'ble member raised a point of order...

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order Please. Let us just hear him. दूसरे धर्मों के लिए कुछ नहीं कहना चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी : My submission was that the Hon'ble Member has not used it for a particular religion. But when I use a general term I say it is not unparliamentary If. I say Christ, Shaiv, Baishnav etc. then it relates to a particular religion and then it may be objectionable...

श्री सभापति : I understand your

XXXXअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

XXXXअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No.75

(श्री सभापति)

point of Order. But even then... अगर किसी के भगवान् हैं तो सभी एक जैसे हैं। हरएक को श्रद्धा की दृष्टि से देखना जरूरी हो जाता है यह तो कोमन वर्डस् है चाहे उसको क्राइस्ट कहें या और कुछ नाम दें। I rule out all the arguments.

श्री श्रीमानसिंह : Since you have given a Ruling. I am objecting to it.

(व्यवधान)

If any wordings are expunged, there should be a motion for it andthe Chair should put that motion that these word are...

श्री सभापति : But the words were really not good.

(थपथपाहट)

श्री श्रीमानसिंह : The Chair may consider it so but it should put a motion before the House...

श्री सभापति : The Hon'ble Member has already done it.

श्री पी. के. चौधरी : No he has not said it.

श्री श्रीमानसिंह : But according to the Rules there should be a formal motion...

श्री सभापति : The Chair has got some discretionary powers...

श्री श्रीमानसिंह : According to the Rules, there is no discretion except that there should be a motion for expunging it....

श्री सभापति : I quite understand your point. I will request you to quote some Rule about the procedural rule on this point if you have any.

श्री श्रीमानसिंह : I remember Sir, some where the Chair placed a motion before the House. It will be difficult, if the Secretary gets up now and then. I very much resent it and I must register these views in the House. So that motion must be passed in the House, for which the Hon'ble Member, I mean Hon'ble Minister should put the motion that these words are not parliamentary and they should be expunged. Then it should be moved. The motion be put and then the words be expunged.

श्री सभापति : मैं आपका निराकरण कर देता हूं। जब माननीय सदस्य ने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया और उन्होंने कहा कि जो शब्द माननीय सदस्य ने ×××× यह यूज़ किया वह ठीक नहीं है अतः वे प्रोसीडिंग में नहीं रहने चाहिये। According to rule 204 of our Rules of procedure which I may just read out " If the Speaker is of opinion that a worb or words has or have been used in debate which is or are defamatoy or indecent, or unparliamentary or indignified, in his discretion, order that such word or words be expunged from the proceedings of the House."

××××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री सभापति)

So this supports my observation.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी): माननीय सदस्य ने किसी धर्म पर आक्षेप करते हुए ऐसी बात नहीं कही।

श्री सभापति : That is not the case. I mean the words can be ex-punged if the Speaker is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent, or unparliamentary or undignified, he may in his discretion, order that such word or words be expunged from the proceedings of the House.

This is Rule 204 of the Rules of Paocedure. So Mr. Kala Badal, please continue.

श्री मुरलीधर व्यास : रूलिंग आपने दी है। रूलिंग का सवाल ही नहीं था जो कुछ भी उन्होंने कहा था वह किसी धर्म पर आक्षेप नहीं था ।

श्री भैरोंसिंह: इस पर रूलिंग हो चुकी है।

श्री मुरलीधर व्यास : रूलिंग जब होनी चाहिये थी जब कि किसी के धर्म पर आक्षेप होता । ऐसी परम्परा चली आयेगी तो कोई भी बिल नहीं रख सकेगा ।

श्री सभापति : यहां किसी के धर्म की बात नहीं, हर एक धर्म संबन्धी बात हो उसमें किसी के भगवान के लिये खराब वर्डस यूज़ नहीं करने चाहिये ।

श्री श्रीमानसिंह : सभापति महोदय, चूंकि आपकी रूलिंग हो चुकी है उसको मुझे एवाइड करना पड़ेगा । जो पर्टिक्युलर इनसीडेन्स मेरे ध्यान में है वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । इसी प्रकार का एक मामला वेस्ट बंगाल की असेम्बली में हुआ था वहां पर किन्हीं शब्दों को एक्सपन्ज करने के लिये लीडर ऑफ दी हाउस को मोशन लाना पड़ा था कि अन पार्लियामेंटरी शब्दों का प्रयोग हुआ है अतः उसको प्रोसीडींग में से निकाल दिया जाय । क्योंकि आपका रूलिंग होचुका है अतः मुझे इस पर ज्यादा कुछ न कहते हुए उसको मानना पड़ेगा । यह पार्लियामेंट का प्रोसीज़र है और जो कनवेन्शन है उसको हमें फॉलो करना चाहिये ।

श्री सभापति : आपका यह कहना है कि जो कुछ निर्णय दिया गया है वह गलत है । मैं समझता हूँ आपको, इसके लिये हमारा जो रूल्स ऑफ प्रोसीज़र है वह बिल्कुल साफ है जब तक इसके सिवाय दूसरा प्रोसीज़र नहीं मिलता है तो हमें यही प्रोसीज़र फॉलो करना पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, वेस्ट बंगाल असेम्बली में क्या हुआ हमें उस ओर जाने की आवश्यकता नहीं । माननीय सदस्य की बाई तरफ जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनसे जिनको अध्यक्षता करने का मौका मिला है यदि इस बारे में जानकारी करलें तो शायद उनको इतना कहने का मौका नहीं मिलता । उनके द्वारा बिना हाउस की स्वीकृति लिये वर्डस एक्सपन्ज हुए हैं । हाउस में डिसकशन हुआ, उसको हाउस के सामने नहीं रखा गया

(श्री श्रीभानसिंह)

बल्कि अपने अधिकारों से उनको बाद में एक्सपन्ज कर दिया जाता था। यहां पर किसी कनवेन्शन या किसी विधान सभा की कार्यवाही का उल्लेख करना उचित नहीं जबकि हमारी राजस्थान विधान सभा में ऐसा हुआ है उसी को हमें फॉलो करना होगा।

श्री श्रीभानसिंह : Two wrongs cannot make a right.

श्री सभापति : we now cut down. Let us proceed now.

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझूनू) : May I say something on this point ?

श्री सभापति : Yes.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : As my good friend from Shri Danta Ramgarh sorry Shrimadhopur has referred personally to me, I would like to say that

श्री भैरोंसिंह : यह लेक्चर किस पर हो रहा है।

श्री सभापति : we are just hearing his views about this procedure.

श्री भैरोंसिंह : ये क्लेरिफिकेशन किस बात का कर रहे हैं। But there is no point of order raised by him.

श्री सभापति : उनकी ओपीनियन का फायदा सदन उठाना चाहता है।

श्री भैरोंसिंह : किस पॉइन्ट पर, There is no point of order.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I think the Hon'ble member will hear me.

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order, Order Please !!

श्री भैरोंसिंह : On a point of order Sir.

श्री सभापति : What is that point ?

श्री भैरोंसिंह : सदन में इस प्रकार की परम्परा है कि कोई भी सदस्य सदन में कुछ कहना चाहें अपने विचार प्रकट करना चाहे, यदि सदन के डेकोरम का सवाल आता है या रूल्स ऑफ प्रोसीज़र का सवाल आता है, उसको रखने के तरीके हैं। पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के ज़रिये से या अन्य तरीकों से रख सकता है। या डिबेट पर बोलने का सवाल है तो टर्न से वह बोलता है, यदि एक्सप्लेनेशन लेने या देने का सवाल होता है तो सदस्य खड़ा होकर ऑन ए पॉइन्ट ऑफ एक्सप्लेशन कह सकता है कि यह इन्फोर्मेशन का है या किस प्रकार का है। ऐसी स्थिति में....

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order please Order. The Chair is on it own legs, you better know that... आपने यह इज़ाज़त मांगी कि मैं इसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। ऐसा है at the permission he is saying. He got permission from the Chair and he is allowed to say.

श्री भैरोंसिंह : पर्मिशन चैयर से मिली है पर मैं क्लेरिफाई...

श्री सभापति : No personal explaination, आप बैठ जाइये ।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनू) : यह क्या है पर्सनल एक्सप्लेनेशन है या क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : इन्फोर्मेशन दे रहा हूँ हाउस को ।

श्री सभापति : This is just information and we must have it.

श्री भैरोंसिंह : आप रूलिंग दे दें । इसके बारे में इन्फोर्मेशन चाह रहा हूं ।

श्री सभापति : We are just asking for his information.

श्री भैरोंसिंह : तो फिर किस बारे में इन्फोर्मेशन है ?

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I am in possession of the House now.

श्री भैरोंसिंह : There is no question of possession. I am also in possession of the House.

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न है कि किस बात के लिये चैयर से पर्मिशन मिली है। ताकि रिलेवेन्सी को असेस किया जा सके ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : The chair has asked this gentleman, why are you. .

श्री भैरोंसिंह : मैं चैयर का कहना कब नहीं मान रहा हूं । आपने अभी तक डिफाइन नहीं किया ।

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर प्लीज़ । श्री नरोत्तमलाल जोशी

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I am very thankful to the Chair for giving me an opportunity to speak on the point. The point is about the practice or the conventions to expunge the wordings from the proceedings, rather some expressions from the speeches of the members which are considered objectionable. In this connection, Sir, if I may not commit a breach, the point was elaborately discussed in Speakers' Conferences. As the Hon'ble member on my right has expressed there was a great controversy on this point in the West Bengal Assembly when certain Communist members made certain charges and slanderous charges allegations against the members of the Treasury Benches and when the Chair in its discretion wanted to expange those portions, members objected that we have a right to speak and to speak in a certain way. What we speak, we speak for the public and we speak for the Press, we speak that it should be advertised throughout the country. If the Chair wants to use its discretion, the members said that the Chair is a symbol of the whole House and that discretion should be judicious. That discretion must be of a type which must be acceptable to the whole House and on this stand the

(नरोत्तमलाल जोशी)

Chair did not take the responsibility because when the Chair wanted to bring the motion, that debate prolonged for certain days and it became a problem for the Chair. So this was rather discussed in the Conference of the Speakers and it was acknowledged that this is the only right way that this should be put before the House......If the Chair is given the right to exercise that discretion that if certain words are objectionable, those remarks should be ordered to be expunged by the Chair, but still there was a view of the Speakers who held that the Chair should not excercise that power. So if the Chair considers some wordings to be unparliamentary and specially for those who rather attack the parliamentary procedure at the very infant stage of democracy, when we want to make the parliamentary life, specially in these circumstances, the Chair should exercise its discretion. So when the proceedings are gone through, I think the Chair declares that such and such words are considered to be objectionable and so they are expunged. But when these powers are given to the Chair, the Chair should exercise these powers ..

श्री भैरोंसिंह : But what are your comments now ?

श्री सभापति : Words have already been expunged. Please continue. वे तो वर्ड पहले ही निकल गये । एक्सपन्ज हो गये ।

कालाबादलजी बोलिये आप ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०): माननीय सभापति महोदय, मेरी समझ और मेरी क्या भावना थी यह बिना पहले समझे बूझे माननीय सदस्यों ने हाउस का इतना टाइम खराब किया । मुझे अफसोस है इस बात का । इसलिये भी कि मैं कह रहा था और यह शब्द कह रहा था कि भगवान रोते रहते हैं तो भगवान हंसते भी रहते हैं । मैं सब कुछ कहने वाला था पर मेरी बात को पूरा नहीं सुनकर बीच में ही बखेड़ा खड़ा कर दिया । इससे लगता है वे भगवान के सच्चे भक्त नहीं हैं । समझने को समझ लिया कि भगवान के सच्चे भक्त वही हैं, मुझे शायद भगवान का भक्त समझा ही नहीं। मैं मानता हूं मैं भगवान का सच्चा भक्त हूं और मेरे भगवान सच्चे हैं । तो मैंने यह भी सुना है कि

"हम भक्तन के भक्त हमारे..."

तो हमारे भगवान तो यह भावना रखते हैं कि मैं भक्तों का हूं और भक्त मेरे हैं । तो भगवान के दिल की बात को भक्त पूरी तरह जानता है । तो भगवान किस समय रोते रहते हैं, किस समय हंसते खाते रहते हैं यह भक्त अच्छी तरह जानता है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उणियारा) : यह काम हो जाने से भगवान रोएंगे ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मुझे समय समय की घटना याद है भगवान की सब । जो माननीय सदस्य भगवान के भक्त नहीं हैं उन्हें भगवान की दिनचर्या मालूम

(भैरवलाल 'कालाबादल')

नही है, पर जो भक्त हैं उनको सब मालूम है उनकी दिनचर्या। वे कह सकते हैं भगवान के लिये गलत शब्द यूज़ किया है। मुझे याद है और भगवान भी जानते हैं कि काला बादल मेरा सच्चा भक्त है।

(हंसी)

काला बादल बालक है यह ठीक नहीं है कहना।

१२.१६ म०प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : ऐसे भक्तों को देखते ही वे रोते हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं भगवान की भाषा में ही गीत गाया करता हूं।

मुने री मैंने निर्धन के धन राम...
सभापति महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : मैं बदल गया हूं साहब।

(हंसी)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं भगवान की भक्ति में लवलीन हो गया था साहब।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर न हो भक्ति भक्ति में।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह गांव की भाषा बोलता है, यह गांव जैसी धोती पहनता है, गांव जैसे कपड़े पहनता है, तो बिना पढ़ा लिखा होगा कालाबादल, माननीय सदस्य यह समझते हैं। मगर मेरी आगे की भावना नहीं सुनते हुए हमारे विरोधी सदस्यों ने सोच लिया कि आगे यह क्या कहेगा। मैं कहता हूं कि जब भगवान दुखी होते हैं तो भक्तों के सामने वह प्रार्थना करते हैं कि मेरी मदद करो मेरे मन्दिर की मरम्मत करो, यह बरसात में चूता है मैं दुख पाता हूं। रोने का मतलब यह है कि भगवान भी दुख पाते हैं। मन्दिरों को बनाने वाले, मूर्ति को रखने वाले पुजारियों के सुपुर्द कर के छोड़ देते हैं। मन्दिरों की मरम्मत नहीं कराते हैं। उसका आया हुआ पैसा न जाने कहां कहां जाता है। इसलिए भगवान भक्तों के सामने प्रार्थना करते हैं कि मेरी मदद करो। मेरी भावना यह थी। रोने का मतलब है कि प्रार्थना करते हैं वह अपना दुख कहते हैं कि माननीय भक्तों मुझे परेशानी है मेरे मन्दिर की मरम्मत करो। मन्दिर में अव्यवस्था हो जाने के कारण भगवान दुख पाते हैं। मेरा रोने का मतलब यह नहीं था कि भगवान रोते रहते हैं मैं कोई उनकी बेइज्ज़ती नहीं करना चाहता था। मुझे दुख है कि माननीय सदस्यों ने हाउस का इतना समय लेकर यह कोशिश की होगी कि वह भगवान के जल्दी से निकट पहुंचे। इस तरह तो वह भगवान से दूर चले गए और मैं भगवान के और भी निकट पहुँच गया।

(हंसी)

तो मैं यह कह रहा था कि आज मन्दिरों की व्यवस्था बहुत खराब है और उसी को सुधारने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कौम में

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

क्या होता है मन्दिर आज भगवान के लिए नहीं बनाये जाते हैं। मन्दिरों को बनाने वाले हमारे कौम में कहते हैं कि मेरी लड़की की शादी होगी और बरात आयेगी और ढोक देने के लिए वह किसी दूसरे मन्दिर में नहीं जायेंगे। इसलिए वह सोचते हैं कि मेरा मन्दिर बनेगा और मेरे दोनों बालबच्चे शादी करने वाले अपने ही मन्दिर में ढोक देंगे। तो मैं कहता हूं कि कि भक्त भूल गए भगवान की भक्ति को। तो हमारी कौम में मन्दिर भगवान के लिए बनाये जाते हैं बल्कि छोरे छोरियों की शादी करने के लिए बनाते हैं। यह मालियों का मन्दिर है, गूजरों का मन्दिर है और दूसरे लोगों को उनमें जाने की इजाज़त नहीं है। तो वह मन्दिर भगवान का नहीं बना कर के अपनी नाक को रखने के लिये अपनी जाति का मन्दिर बनाते हैं। तो उसमें मैं समझता हूं कि भगवान को नहीं बैठाते उसमें भी सोचते हैं कि हमारी जाति का मन्दिर हो। आज इस युग में किसी वर्ग का मन्दिर बन जाये तो यह खराब बात है। गूजर कहते हैं कि मीने हमारे मन्दिर में न जायें और मीने कहते हैं कि गूजर हमारे मन्दिर में नहीं जायें। तो इस तरह से मन्दिरों के नाम पर भगवान के असली स्वरूप को भक्त लोग भूलते जाते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस प्रकार जो वर्ग विशेष के आधार पर मन्दिर बनाये जाते हैं और भगवान का असली रूप गायब होता जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी ट्रस्ट बनाकर के इसकी व्यवस्था करे। मेरे कहने का मतलब यह था कि भगवान दुख पाते है भक्तों के आगे। हम भी जब कभी दुख पाते हैं तो कहते हैं कि भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, क्या मैंने तेरे बाप को मारा है जो मुझे दुख देते हो। दुखी आदमी भगवान को गाली देता है। मैं भी भगवान का भक्त हूं तो मैंने यह कह कर कि भगवान रोते हैं कौन सा अपराध कर दिया ? मेरी बात को आगे तो सुनते...

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य का ध्यान सदन की परम्पराओं की ओर आकर्षित करता हूं।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मैं समझता हूँ कि परम्पराओं के निभाने में तो मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय क्या हाउस की परम्परा यह है कि हिन्दी जानने वाले भी अंग्रेज़ी में बोलते हैं। सदन का इतना समय बरबाद।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे पुन: निवेदन करूंगा कि जहां तक हाउस की परम्परायें है 'समय बरबाद किया' इन शब्दों का प्रयोग नहीं करें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि हर सूरत में सरकार बिल लाई है वह अच्छा बिल है और मैं समझता हूं कि ऐसे मन्दिरों की व्यवस्था सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए और कई माननीय सदस्यों ने बताया कि उसमें वहां के ही लोकल व्यक्ति सदस्य रहें केवल सरकार अपनी देखरेख के लिए एक कमिश्नर रखेगी और वह भी ऐसा कमिश्नर होगा जो कि हमारे मन्दिरों पर जायेगा तो वह मन्दिरों पर जायेगा तो वह मन्दिरों की परम्पराओं का ख्याल रखेगा और अगर मस्जिद में जायेगा

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

तो मस्ज़िदों की परम्पराओं का ध्यान रखेगा...

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : मस्ज़िदों का इसमें हवाला नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो इस आधार पर सरकार प्रबंध करना चाहती है वह बहुत अच्छा है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य विरोध करते हैं वह आज की अव्यवस्था के आधार पर अच्छे नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैंने अपने विचार प्रकट किये हैं।

श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा–सु.): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है। उसके अनुसार राजस्थान सरकार धार्मिक संस्थाओं के ऊपर अपना हस्तक्षेप करना चाहती है। अभी माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने बताया कि यह धार्मिक संस्थायें अच्छी तरह से काम नहीं करती हैं और उनमें काफी गड़बड़ और गोलमाल होता है और उनके धन का दुरुपयोग होता है। इसलिए सरकार यह विधेयक लाई है और इसके तहत सरकार उनके ऊपर अपना कब्ज़ा करेगी और जो यह सारी अव्यवस्थायें चल रही हैं उनको सरकार ठीक करेगी। इसी तात्पर्य से सरकार यह बिल ला रही है। अभी कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट किये। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा है कि यह शराब के अड्डे बन रहे हैं और उन्होंने कुछ वैश्याओं के बारे में भी कहा। इस प्रकार के आरोप हमारे मन्दिरों पर लगाये। वास्तव में आज हमारे समाज का स्तर गिरता जा रहा है इसका कारण मन्दिर नहीं हैं। लेकिन उसका कोई खास कारण है तो सरकार है। यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह जनता के स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करे। लेकिन आज सरकार अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस नहीं कर रही है और जहां जनता का स्तर ऊंचा उठना चाहिए वह नहीं उठ रहा है। और सारा समाज भ्रष्ट होता जा रहा है और उसका सारा उत्तरदायित्व सरकार पर है। लेकिन हम देखते हैं कि इसका आरोप माननीय सदस्य सरकार पर तो नहीं लगाते और मंदिरों पर लगाते हैं। वास्तव में यह युक्तिसंगत नहीं है। अब सरकार ने सहानुभूति प्रकट की है कि अब यह व्यवस्था का अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही है और अब सारी व्यवस्था ठीक होगी। मैं तो समझता हूं कि इसके द्वारा व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। इसका कारण आज मन्दिरों की व्यवस्था के बारे में विचार करते हैं। हो सकता है उनकी व्यवस्था खराब हो और व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता हो। जहां एक ओर मन्दिरों की व्यवस्था ठीक नहीं है और उसको ठीक करने जा रहे हैं और सरकार की व्यवस्था है इन दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो हमारे मन्दिरों की व्यवस्था के बजाय सरकार की जो आज व्यवस्था है वह अधिक खराब मालूम होती है। आज भी सरकार अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रही है और आज हमारे सामने रोज़ राज्य के अन्दर हो रहे गोलमाल के मामले नज़र आते हैं वही सरकार आज मन्दिरों की यवस्था ठीक करने जा रही है यह कैसे सम्भव है। जब आप अपनी ही व्यवस्था ठीक नहीं कर पाते हैं तो मन्दिरों की व्यवस्था कैसे ठीक कर

(श्री रामनारायण वर्मा)

पायेंगे। यह तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि जैसे एक कंगाल है वह दूसरे को धनी बनाने की बात करता है तो वह दूसरा नहीं बन सकता, जब आप स्वयं ही ऐसे हैं तो वह दूसरे को कैसे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो सरकार कदम उठा रही है वह दूषित है। सरकार के द्वारा जो इस प्रकार की धार्मिक संस्थाओं पर हस्तक्षेप किया जा रहा है वह बिल्कुल ही गलत कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम चाहते हैं कि जो केन्द्रित शक्ति है उसका विकेन्द्रीकरण हो। हमारा जब यह लक्ष्य है कि हम जनता को स्वयं शासन करने देना चाहते हैं। आज इस प्रकार की भावना है तो जहां धार्मिक सस्थायें हैं उनके लिए भी क्यों नहीं समझें कि वह स्वयं अपनी व्यवस्था करें। लोग स्वयं अपना शासन करना सीखें तो धार्मिक संस्थायें जिनमें जनता के इन्टरेस्ट हैं उनको आप धीरे धीरे क्यों लेना चाहते हैं। तो इनकी व्यवस्था क्यों नहीं आप जनता के ऊपर ही छोड़ दें। तो एक तरफ तो आप विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं और दुसरी तरफ सारी चीज़ों पर अपना अधिकार कर रहे हैं। यह अधिकार तो सरकार की सही भावना इनके पीछे नहीं होना बताते हैं। इस प्रकार का काम करके तो सरकार इन संस्थाओं को राजनैतिक अड्डे बनाना चाहती है। अगर इस प्रकार के राजनैतिक अड्डे बनाने की कोशिश की तो हिन्दुओं की जो मन्दिरों के प्रति श्रद्धा है वह धीरे धीरे खत्म होती जायेगी। क्योंकि जहां राजनीति का प्रवेश होता है वहां का वातावरण दूषित होगा और वहां पर विकार उत्पन्न होगें, और विकार उत्पन्न होगा तो निश्चित है कि जनता की श्रद्धा जो धर्म पर है वह धीरे धीरे समाप्त हो जायगी। इस प्रकार से सरकार द्वारा जो कानून लाया जा रहा है वह गलत है, दूषित है और इन संस्थाओं को खत्म करने का दूषित प्रयत्न है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं तथा और भी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि इसका डटकर विरोध करें।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन जो ट्रस्ट बिल हमारे सामने हैं मैं इसका आउटराइट विरोध करता हूं। मैं यह नहीं कहता कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाय या सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। जो लोग इस तरह की बात करते हैं मुझे उन लोगों के हृदय के अन्दर की राय मालूम है कि एक तरह से वे अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हैं इस बात को कि इस प्रकार का बिल आया है वह नहीं आना चाहिए। यह बात उनके हृदय से ध्वनित होती हुई नज़र आती है कि इस प्रकार का बिल जो रखा गया है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस प्रकार का बिल जो लाया जा रहा है, इस प्रकार का बिल जो सदन के अन्दर रखा गया है, उसके अन्दर जो मन्शा है, उसके अन्दर जो भावना प्रकाशित हुई है वह भावना सारे समाज को, किस प्रकार से हिन्दू समाज के लिए बहुत ही घातक है, यह मैं बताना चाहूंगा।

आज जितने कानून बनते हैं, जितने नियम बनते हैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से यह होता है कि यह हिन्दुओं के लिए होगा, यह मुसलमानों के लिए होगा, यह इसाइयों के लिए होगा। तो अब तक जो हमने हिन्दुस्तान को एकता के सूत्र में बान्धने की कोशिश की है उस एकता के सूत्र को छिन्न भिन्न

(श्री दयाकृष्ण विजय)

करना चाहते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमने देश में एकता का निर्माण किया है। हमारे यहां साम्प्रदायिक भावनाओं का बिल्कुल भेद तक नहीं था। आज हिन्दुस्तान के अन्दर, भारतवर्ष के अन्दर किसी ने अधिकतम संप्रदायवाद को भड़काया है, जनता की भावनाओं को सबसे बड़ी ठेस पहुँचाई है तो वह कांग्रेस है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने कुछ लोगों को छोटी छोटी जातियों के अन्दर बांटा है। उन्हें आपने कहा कि यह मुसलमान हैं, ईसाई हैं, अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए। यहां पर भी आपने इस प्रकार का बिल रखा है और वह बिल केवल हिन्दू मात्र और हिन्दू धार्मिक संस्थाओं और चैरिटेबिल इन्स्टिट्यूशन्स उन पर लागू किया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार का यहां यह बिल आप लाना चाहते हैं। आपकी भावना उदार होनी चाहिए थी कि जितने भी हिन्दू, मुस्लिम या दूसरी इतर जातियां हैं वे इसमें सम्मिलित होनी चाहिए थीं। मैं इस बात को मानता हूँ कि अपना भाषण करते हुए मन्त्री महोदय ने कहा था कि केन्द्र का ऐसा कानून बना हुआ है जिसे वक्फ़ एक्ट कहते हैं और वह मुसलमानों पर लागू होता है। यदि केन्द्र किसी प्रकार से विशेष जाति के लिए कानून बनाता है तो राजस्थान विधान सभा में राजस्थान प्रान्त के लिए हिन्दुओं के लिए यह कानून लाने का क्या कारण था ? क्यों आवश्यकता थी ? देश भर में इस प्रकार की धार्मिक संस्थाओं के हिसाब में गड़बड़ी थी, अव्यवस्था थी तो केन्द्र को एक बिल लाना चाहिए था। केन्द्र को ही सारे देश के लिए एक बिल बनाना चाहिए था। और अन्य जातियों के लिए केन्द्र से कानून बनता है तो हिन्दू जाति के लिए हिन्दुस्तान के अलग अलग प्रान्तों में विभेदकारी, एक प्रकार से एक दूसरे को लड़ाने के कानून और नियम यहां पर बनाये जाते हैं। आपको इस बिल को लाने की आवश्यकता नहीं है। आज यह कोई राजस्थान का ही प्रश्न नहीं है। आज धार्मिक संस्थाओं पर किस प्रकार से आघात होता है ? धार्मिक संस्थाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी चल रही है तो केवल यह राजस्थान का ही प्रश्न नहीं है, वैसे आपने कहा कि २, ३ प्रदेशों में इस प्रकार के कानून बन चुके हैं। लेकिन यह समूचे देश भर का प्रश्न है। सारी विधान सभाओं में अलग अलग इस को पास करके खर्च बेकार करते हैं। बम्बई इस प्रकार से करेगा, मध्य प्रदेश में इस प्रकार से होगा, बिहार में इस प्रकार से होगा और राजस्थान में होगा। इस तरह से हर एक प्रान्त में इस प्रकार से किया जा रहा है तो सारे अलग अलग प्रदेशों में इस प्रकार से न करके समूचे देश भर के लिए केन्द्र द्वारा इस प्रकार के नियम व कानून बनाये जायं। इस प्रकार से इतना बवण्डर खड़ा करने की और इस प्रकार से समाज के वातावरण को विषाक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। केन्द्र एक कानून मुसलमानों के लिए बना सकती है तो हिन्दुओं के लिए भी बना सकती थी। राज्य की विधान सभाओं में इस प्रकार से अलग अलग बिल लाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं।

इस बिल को लेकर मान लें कि एडवाइज़री कमेटी बना रहे हैं जो कि एक असिस्टेन्ट कमिश्नर के पास रहेगी और दूसरी कमिश्नर के पास रहेगी। एडवाइज़री बोडीज़ हैं उनके

(श्री दयाकृष्ण विजय)

अन्दर जिस प्रकार के एपॉइन्टमेंट्स किये हैं वे एपॉइन्टमेंट्स तो सारी भावनाओं को खत्म कर देने वाले हैं जैसे कि ट्रेड यूनियन के आधार पर धार्मिक संघों का निर्माण करना चाहते हैं। इस प्रकार के चेरीटेबल इन्स्टिट्यूशन्स को ट्रेड यूनियन के आधार पर बनाना चाहते हैं कि यह फलां मतावलम्बी है, शैव मतावलम्बी है, वैष्णव मतावलम्बी हैं, सनातन है, यह कृष्ण का उपासक है, यह रामानुजाचारी है, वल्लभाचारी है आदि सारी बातें करना चाहते हैं जो कि फूट बहुत मुश्किल से पट चुकी है और सारे हिन्दुस्तान को एक बना देने का कार्य जिन महापुरुषों ने किया है उसको आप जब कि देश के शैवों को अलग कर देंगें, वैष्णवों को अलग कर देंगें, सनातनी को अलग कर देंगें और इस प्रकार से सब की अलग अलग ट्रेड यूनियन्स बन जायंगी तो गवर्नमेंट उनकी इस मांग को बन्द नहीं कर सकती है कि रिप्रेजेन्टेशन चुनावों के आधार पर होना चाहिए। आप उनको इस बात से वंचित नहीं कर सकते हैं कि बिना चुनावों के कोई आदमी नहीं होगा और चुनावों की बात नहीं करेगा जब कि ट्रेड यूनियन्स के आधार पर ये धार्मिक संघ बन जायेगें। महात्मा तुलसीदास जी ने रामायण के अन्दर, यद्यपि वाल्मिकि की रामायण में यह नहीं लिखा है फिर भी चूंकि उस समय वैष्णवों और शैवों में विवाद चल रहे थे, उन विवादों को खत्म करने के लिए रामेश्वरम् के अन्दर शिव की स्थापना करवाते हैं और राम के हाथ से उनकी पूजा करवाते हैं। इस प्रकार का प्रयास उसके संबंध में महर्षि तुलसीदास ने किया है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आप शैव और वैष्णवों में मतभेद इस बिल के द्वारा उत्पन्न करना चाहते हैं और उस १५ वीं शताब्दि में जब कि सारे विश्व में एक विषाक्त वातावरण धर्म का था वह विषाक्त वातावरण यहां पैदा करना चाहते हैं।

आप कहेंगे कि इस प्रकार की बात सोचने की नहीं है। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की बात नहीं की गई है। आप श्वेताम्बर जैनों को रिप्रजेन्टेशन देते हैं, आप फिर कहेंगे कि दिगम्बरों का अलग होगा। बौद्ध होंगे तो आप कहेंगे कि हीनयान और महायान के अलग अलग होंगे। आप श्वेताम्बर और दिगम्बर जैनों को अलग अलग कर सकते हैं तो फिर बौद्धों में हीनयान और महायान का सवाल आ सकता है। इस प्रकार के दूसरे दूसरे सम्प्रदायों और उपसंप्रदयों को अलग अलग करेंगे। हिन्दू धर्म के अन्दर सदा खुला एप्रोच रहा है। उसका हमेशा खुला अध्याय रहा है। कभी भी किसी वक्त भी हिन्दुओं ने धार्मिक अत्याचार नहीं किया है। यहां पर हूण भी आये, सीथियन्स भी आये लेकिन सब समा गये, वे सब इस संस्कृति में समाते हुए चले गये। जिन्होंने स्वतन्त्र सत्ता बनाकर रखी है वे स्वतन्त्र सत्ता बनाये रखे रहे। मुसलमानों की किसी मस्ज़िद को हिन्दुओं ने तोड़ा हो, गिरजाघर को तोड़ा हो। हिन्दुस्तान की हिस्ट्री के अन्दर इस प्रकार की मिसाल नहीं मिलेगी जहां कि हिन्दुओं ने किसी प्रकार से किसी की धार्मिक भवनों को आघात पहुँचाया हो। यह अध्याय अब शुरू किया जा रहा है। गलत तरीके से यह अध्याय इस कांग्रेस राज्य में शुरू होगा। उस अध्याय का श्री गणेश शुरू होगा इस बिल से। महाभारत की जब रचना की गई थी और महाभागवत बनी उसके रचियता

(श्री दयाकृष्ण विजय)

वेदव्यास थे और गणेशजी थे जिन्होंने सारी महाभारत को विस्तृत रूप से लिखा है। महाभागवत की जिस रचना को व्यास और गणेशजी ने प्रवर्तित किया है लेकिन हमारे राजस्थान के रेवेन्यूमिनिस्टर साहब जो कि देवस्थान के भी मिनिस्टर हैं वे दोनों चीज़ों का समावेश है। वे दामोदर यानी लिखने वाले गणेशजी भी हैं और रचना करने वाले व्यास भी हैं। उनमें व्यास और गणेश का समावेश है। एक तो त्रेता युग के व्यास और गणेश थे जिन्होंने महाभारत की रचना की है।...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह कलयुगी दामोदर हैं।

(हंसी)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : आज दामोदरलाल व्यास इस कलयुग में धर्म में हस्तक्षेप का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देखने में यह विचित्र बात मालूम होती है। आज हम देखते हैं कि देश के अन्दर धर्म में जितनी स्वतन्त्रता दी गई उतनी कहीं नहीं दी गई है। चैरीटेबल इन्स्टिट्यूशन्स जितनी देखने को मिलती हैं उसका कारण क्या है कि हमारा देश धर्मप्राण रहा है, हमारे देश के लोगों के अन्दर दान करने की प्रवृत्ति रही है। हर्षवर्धन का उदाहरण देखते हैं, हर्षवर्धन बौद्ध थे, बौद्ध धर्म का अवलम्बन कर लिया था। उन्होंने दिग्विजय की और दिग्विजय करने बाद जो पूंजी एकत्रित कर ली थी, उसको प्रयाग, त्रिवेणी संगम में जाकर सारी की सारी ब्राह्मणों को, दलितवर्ग को वितरित कर दी। यह महान त्याग की, महान दान की प्रेरणा आज के नौजवानों में, पुराने वृद्ध महानुभावों में आज भी विराजमान है और और वही प्रेरणा सब लोगों के हृदय में, एक एक रग में संचालित हो रही है। इसी कारण आज मन्दिर में जाते हैं, तो दो पैसे, चार पैसे चढ़ा देते हैं। जब वे यह देखेंगे कि मन्दिर में हमारे द्वारा चढ़ा हुआ धन राज्य सरकार के कोष में भरा जा रहा है या राज्य कोष उसको छीनने वाला है तो उनके मन में जो दान देने की प्रवृत्ति है, उनके मन में त्याग करने की महती भावना है, वह समाप्त हो जायगी। कोई आदमी नहीं चाहेगा कि मन्दिर में एक पैसा भी चढ़ाये क्योंकि वह समझेगा कि जो पैसा वह चढ़ा रहा है वह मैनेजमेंट और सरकार के हाथ में जाने वाला है। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि देवता को कुछ अर्पण करें क्योंकि उसकी कमाई में से कुछ ईश्वर के लिए है, समाज रूपी ईश्वर के लिए है, समाज के लिए धर्मशालायें बनायें, जो धार्मिक संस्थान हो सकते हैं, वे खोलें। तो इस प्रकार की भावना है। आज वास्तव में कलयुग है और जैसा कि कहते हैं, नास्तिकवाद आज बढ़ता जा रहा है, भौतिकवाद आज जोर करता जा रहा है और अध्यात्मवाद, त्याग तपस्या आज पीछे चले गये हैं। आज इस प्रकार की बात देखते हैं उस समय किसी ने, किसी राजा ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, जो भी धर्म आया, वह उठता चला गया। आज कलयुग में देखने को मिलता है कि साम्यवादी विचार धारा होती है कि सारी ताकत स्टेट में चली जायगी, सारे राज्य की ताकत स्टेट में आ जायगी, इसी तरह धर्म में साम्यवादी विचारधारा है और हमारे कांग्रेसी भाई इस ओर अप्रत्यक्ष रूप से इस ओर बढ़ते जा रहे हैं और धार्मिक संस्थाओं के अन्दर हस्तक्षेप और बढ़ता जा

Page No.87

(श्री दयाकृष्ण विजय)

रहा है। तो इस प्रकार जो कमेटी रखी गई है, उसका अपॉइन्टमेंट होगा, कोई चुने लोग उसमें हों,ऐसा नहीं होगा। आपने साधु समाज बनाया है, जिसका भीलवाड़ा में अधिवेशन हुआ और जिस प्रकार के प्रस्ताव उसमें पास करवाये गये, उसमें इस बिल का भी समर्थन करवा लिया गया, उसके अध्यक्ष संत तुकड़ो जी को बना कर। तुकड़ोजी क्या थे, वे क्यों भक्त बने। अपने साधु समाज के मतों को छोड़ कर, ईश्वर की आराधना को छोड़ कर सरकार के पिट्ठू बन कर, अपनी अवस्था, स्वतन्त्रता, पद और धर्म की बातों को छोड़ रहे हैं। उन्होंने छोड़ा है और अब सारे साधु समाज को अपने अनुसार बना लिया है। उसी तरह सारे मन्दिरों की सम्पत्ति के ऊपर राज्य सरकार कब्जा करना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज किस प्रकार के बिल लाते हैं, आपने कहा कि १९५६ के अन्दर राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। इसके लिए यद्यपि दलील अलग अलग तरह से दी जाती है, लेकिन उन्होंने अस्वीकार किया, हस्ताक्षर नहीं किये, इस बात को ले लीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि इन्कार कर दिया है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : कहां दिया हुआ है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं कह रहा हूँ कि इन्कार नहीं किया है तो समय पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर सके। आपने कारण बताया कि समय पर नहीं भेज सके। यह कारण नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It is wrong to say that the paper was not signed. The paper was not put before him.

श्री भैरोंसिंह : कागज़ रखे गये थे, समय के बाद रखे गये थे, राष्ट्रपति जी ने दस्तखत करने से इन्कार किया।

श्री दामोदरलाल व्यास : यहां से भेजा ही नहीं गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि पब्लिक फोर्स खिलाफ थी।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, प्लीज़।

श्री दयाकृष्ण विजय : जिस समय पहले बिल आया था, उस समय जनता की ओर से काफी तार आये, टेलीग्राम भारी संख्या में आये थे, उनसे बोरियां भर गई थीं। मुझे याद है, जिस दिन बिल पेश होने वाला था, जयपुर के नागरिकों ने भयंकर प्रदर्शन किया था। इसका परिणाम हो सकता है, आप माने या न मानें, मेरा विश्वास है कि इस प्रकार की जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किये थे। बहुत दिनों तक दो साल तक दबा कर अब देखा कि जनता शांत हो गई है तो फिर विधान सभा में रखा गया यह षड्यन्त्रकारी धर्म विरोधी विधेयक, जो हिन्दू समाज की भावनाओं....

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir, कोई १० बार माननीय सदस्य

(श्री श्रीमानसिंह)

कह चुके हैं कि राष्ट्रपति ने दस्तखत करने से इन्कार कर दिया। यह कुछ मालूम पड़े कि राष्ट्रपति ने वाकई इन्कार किया। यह बार बार कह कर इनसिस्ट कर रहे हैं एन्ड सपोर्टेड बाई लीडर आफ जनसंघ। उन्होंने इन्कार किया या नहीं यह कन्ट्रोवर्सियल सब्जेक्ट बन जायगा Then the President himself will be a matter of discussion in the House. और आप केटेगरीकली कह रहे हैं that he refused to sign the Bill अगर यह मिसस्टेटमेंट है तो और पर्मिट नहीं करना चाहिए। यह परम्परा अच्छी नहीं रहेगी। इसको क्लेरीफाई किया जाय। जो कोई सपोर्ट करने में है वे हाउस के सामने डॉक्यूमेंट रखें कि उन्होंने मना किया था।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज़। जिस प्रश्न की कोई निश्चित राय न हो, न निश्चित वाकयात हो, मैं निवेदन करूंगा कि उस प्रश्न को न चलायें और अपना वाद-विवाद आरम्भ रखें।

श्री दयाकृष्ण विजय : खैर, मैं उस प्रसंग से आगे बढ़ चुका था। मैं निवेदन कर रहा था कि इसके अन्दर चेप्टर पांच रखा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट्स। उसमें सरकार ने कन्डीशन रखी है कि जो दरख्वास्त दी जायगी, उसके साथ साथ पांच रुपये और सरकार को भेजे। राजस्थान में इस प्रकार की लाखों संस्थायें होंगी और अब और बढ़ जायेंगी। हर मन्दिर में प्रश्न आएगा, इसके अलावा हिन्दुओं की और संस्थायें चलती हैं, उनमें भी ट्रस्ट धीरे धीरे कायम होंगे और एक न एक तरीके से जिस प्रकार माननीय मित्र ने कहा था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात को लेकर, मैं बताऊं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग को जबरदस्ती लगाने की प्रक्रिया जिस प्रकार चल रही है, उन लोगों को कहा कि तुम्हें बीज़ और खाद तब देंगे, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर होंगे। इस तरह का प्रतिबन्ध हो जायेगा। किसी मन्दिर में गड़बड़ी हुई, उसके महन्त को हटवाना और ट्रस्ट बनाना और उस पर पाबन्दी लगाना, पर इसके साथ ही इसमें रखा है कि मन्दिर रजिस्टर होंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए अधिक से अधिक पांच रुपये देने पड़ेंगे। यह सरकार ने कमाई का धन्धा रखा है। आज देखते हैं कि इन्डाइरेक्ट रूप से टैक्स लगाये जा रहे हैं। मोटर भाड़ा टैक्स लगा और टैक्स लगे। इसके साथ ही रिट पिटीशन के लिए दो रुपये की जगह १० रुपये कर दिये। इसके साथ ही साथ सरकार अधिक से अधिक रुपया कमा सके और अधिक से अधिक रुपया जनता से इस प्रकार कमा सके ताकि जनता को पता नहीं लगे कि टैक्स लगा है। यह किस प्रकार टैक्स रखा है, मैं बताना चाहता हूँ:

"17(3). Each such application shall be accompanied by such fee, if any, not exceeding five rupees, as may be prescribed."

और पांच रुपया तक ले सकते हैं। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन आयेगी ट्रस्ट की, उस पर पांच रुपये लिये जायेंगे। जो कम्पनीज़ एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराने में अधिक खर्च नहीं होता, तीन रुपये देने के बाद फर्म्स रजिस्टर हो जायेगी। उनके लिए तीन रुपये खर्च किये जायेंगे और धर्म संस्थानों के रजिस्ट्रेशन के लिए पांच रुपये देने पड़ेंगे। यह सारी चीजें रख कर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मैं बताना चाहता हूं कि धार्मिक संस्थाओं पर एक प्रकार से अलग से टैक्स है । इसके साथ ही इसमें आपने रखा है कि जितनी एडवाइजरी कमेटीज़ आपके द्वारा अपॉइन्ट होगी, जिसमें आपके पिछलग्गू रहेंगे, जिनको धार्मिक विषय में कोई ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि केवल वे हिन्दू हैं जन्म से, इसलिए इनका विरोध नहीं कर सकेंगे । लेकिन जो आपके पिछलग्गू हैं वे आयेंगे और मीटिंग में बैठेंगे, तो उन्हें ट्रेवलिंग अलाउन्स और भत्ता वगैरह मिलेगा । आप देखिये कि आपके विकास खण्डों में बैठकें होती हैं, वहां कभी कोई पंचायत के सरपंच कुछ नहीं लेते हैं । पंचायत के एडमिनिस्ट्रेशन में विकास कार्य चलता है, पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं । धर्म के मामले में जितनी एडवाइज़री कमेटी होंगी उनके सदस्य भत्ता लेंगे, ट्रेवलिंग अलाउन्स लेंगे । आज धर्म के नाम पर, मुझे विश्वास है कि इतने लोग भरे पड़े हैं, तो आज किस प्रकार व्यवस्था की जायगी । आप नाथद्वारा को उठा कर देख लीजिये, वहां गुजरात और बम्बई से लोग आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, आज जब इस प्रकार की भावना देखने को मिलती है तब जबरदस्ती से इस प्रकार की बात रखना, मैं समझता हूं किसी प्रकार न्यायोचित नहीं हो सकती । बल्कि इस प्रकार ट्रस्ट बिल बना कर और इस प्रकार टैक्स लगा कर, मैं समझता हूँ सरकार केवल अपनी आमदनी चाहती है और अपने पिछलग्गूओं को धंधे पर लगाना चाहती है कि चलो जब कमेटी की मीटिंग होगी तो उनको फर्स्ट क्लास फेअर मिलेगा और इस प्रकार वे आपके गुलाम बने रहेंगे । यह तरीका गवर्नमेंट में चल रहा है, अलग अलग संस्थायें बनी, खादी बोर्ड, भारत सेवक समाज, जिला बोर्ड, महिला परिषद और उनके साथ एक और हो जायगा हिन्दु कोड बिल ।

(हंसी)

वह तो हो गया, हिन्दू ट्रस्ट बिल । हिन्दू ट्रस्ट बिल के तहत जब कमेटी की मीटिंग होगी, तब पिछलग्गू भत्ता कमायें और ज्यादा से ज्यादा तीन लकीर वाला तिलक लगा लें ताकि कोई शंका नहीं करे और समझे कि आप पूर्ण भक्त हैं, वैष्णव हैं । अगर सिर मुंडा लें तो लोग कहने लग जायेंगे कि निश्चित रूप से बौद्ध है । यह प्रक्रिया धर्म के नाम पर होगी । सरकार कुछ रुपया वसूल करना चाहती है, पांच रुपये हर संस्था से मिल जायेंगे और इस प्रकार रजिस्ट्रर होती रहीं ।

मैं इसके अलावा और भी आपत्ति करना चाहता हूँ, जो एग्जेम्प्शन का रखा है कि गवर्नमेंट चाहे जिसको एग्जेम्प्ट कर सकती है । जब राजस्थान में ऐसा ट्रस्ट बिल ला रहे हैं, सारे ट्रस्ट्स को यूनिफाइ करके संचालन करना चाहते हैं तो फिर इसमें एग्जेम्प्शन किस प्रकार का । यहां इन चीजों का मैं आरोप नहीं लगाता पर सरकार पर भयंकर आरोप हैं कि इस तरह की चीज़ से कुनबापरस्ती, जातिवाद पनप सकते हैं, ये सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाये जाते हैं, इधर बैठने वालों की तरफ से ही नहीं उधर बैठने वालों की तरफ से आरोप लगाये जाते हैं । इस तरह का प्रावधान रखने से मन्दिरों के बारे में और भी घोटाले बढ़ जावेंगे । मैं शक नहीं करता पर आदमी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

का स्वभाव है कि लालच में फंस जाता है और गलतियां कर बैठता है। इसलिये मैं कहता हूं कि इस प्रकार के एग्जेम्प्शन्स रखे हैं उनसे करप्शन बढ़ेगा। इसके बावजूद भी आपने आबू का एरिया अलग रखा है। इसमें कौन सी खूबी है। हो सकता है आ के मन्दिरों में बम्बई गुजरात से आने वाले लोग ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं, पर इस बारे में शक होता है कि बड़े मन्दिर जहां हैं उनको छोड़ते हैं, बाकी छोटे मन्दिर हैं, जहां न झालर न घंटा और न भोग का इन्तज़ाम उन मन्दिरों को लेते हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप चाहते तो राजस्थान सरकार की तरफ से पुजारियों को ट्रेन्ड करते, उनको उन उन धर्मों का साहित्य, धार्मिक ग्रन्थ पढ़ाने का प्रबन्ध करते, उनके दर्शनों का अध्यापन कराते और यह नियम रखते कि समय पर मन्दिरों में जायं और जो लोग दर्शन करने के लिये आते हैं उनको वे अपने धर्म के सिद्धान्तों का, दर्शन का और अपनी संस्कृति का उपदेश दें अपने धर्म के दर्शन को समझायें। तो यह बात की जा सकती थी कि वे अपने मन्दिरों को, समाज को सुधारने का, इनके नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करते। हमारे मन्दिर पहले ऐसे नहीं थे। इनमें बड़े बड़े आचार्य महन्त और प्रकाण्ड पण्डित रहते थे, विश्व क्रम से जो महन्तों का तरीका चला आ रहा है उसको सुधारने की कोशिश करते, जिन कारणों से यह दुर्व्यवस्था आई है उनको दूर करने की कोशिश करते, एड्वाइज़री कमेटी मुकर्रर करके उनको अच्छी सलाह देते, पुजारियों को ट्रेनिंग देकर पण्डित बनाते। पर यह कोई सुधारने का तरीका नहीं कि रजिस्ट्रेशन के लिये ५) रु० लें और जिससे चाहें उससे लें और जिससे नहीं चाहें उससे नहीं लें। यह नितान्त अनुचित है। यदि वास्तव में इनका सुधार करना चाहते हैं तो पुजारियों के लिये ट्रेनिंग रखिये और उनको ट्रेनिंग दीजिये, तो हो सकता है कि धर्म की उन्नति हो सकती है और मन्दिरों का पहले जैसा स्तर हो सकता है। पर जिस प्रकार का कानून, नियम बनाते चले आ रहे हैं, उनसे हमें शक होता है कि आप धर्म के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्लॉज़ ५७–५८ में आपने रखा है कि किसी अदालत में नहीं जा सकते। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर, इससे बाहर जा नहीं सकते। इस प्रकार आप जो न्याय के दरवाजे खुले हैं उनको बन्द करना चाहते हैं। इस न्याय की याचना का हाईकोर्ट तक रिट ले जाने का अधिकार है उसको आप रोकते हैं और अपना पंजा इन चैरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स पर जमाना चाहते हैं और कोई विरोध करता है तो आप उसकी सुनवाई नहीं करना चाहते। मैं इसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ताकि सब को पता चल जाएगा :

"Save as expressly provided in this Act, no civil court shall have jurisdiction to decide or deal with any question which is by or under this Act to be decided or dealt with by any officer or authority under this Act or in respect of which the decision or order of such officer or authority has been made final and conclusive."

जो असिस्टेन्ट कमिश्नर या कमिश्नर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ने कह दिया, वही फाइनल हो सकता है, देवस्थान के कमिश्नर एल. एल. बी. नहीं हो सकते, देवस्थान वालों को कानून का ज्ञान नहीं हो तो फिर भी उनकी आज्ञा अन्तिम होगी ? इसलिये मैं कहता हूं कि आप कानून से किसी के हाथों को मत बांधिये, आपके अपने जो लोग हैं उन्हीं से जजमेंट दिलाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजय । आज ही समाप्त करेंगे या जारी रखेंगे ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं दो मिनिट और लेना चाहता हूँ। कल के लिये रख दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : He has already taken fourty minutes. He could speak 10 minutes more.

दो मिनिट और बोल लें।

श्री भैरोंसिंह : १० मिनिट तो दामोदर शब्द की विवेचना में लगे।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मैंने प्रश्न उठा कर लम्बा कर दिया, वरना आप समाप्त कर रहे थे। आरम्भ रखिये।

श्री पी० के० चौधरी : टाइम हो गया। We cannot stay for 10 minutes more.

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही स्थगित की जाने से पहले मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १९५९ जो प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया है उसके सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

१. श्री दामोदरलाल व्यास, प्रभारी मंत्री
२. श्री मनोहर कोठारी
३. श्रीमती कमला श्रोत्रिय
४. श्री सम्पत राज
५. श्री रावतराम (चूरू)
६. श्री सोहनलाल भटनागर
७. श्री रामेश्वरदयाल
८. श्री अमृतलाल यादव
९. श्री सहदेव
१०. डॉ० बहादुरसिंह
११. श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया
१२. श्री हरिकिशन
१३. श्री शिवचरणदास
१४. श्री लादूराम
१५. श्री सूरजमल
१६. श्री रावराजा श्री सरदारसिंह
१७. श्री भोगजीभाई
१८. श्री गिरधारीलाल
१९. श्रीमती शान्तोदेवी
२०. श्री वलीमोहम्मद
२१. श्री किशनसिंह।

प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी।

जिन्होंने अपने नाम विथड्रा किये हैं वे इस प्रकार हैं।

जनलेखा समिति

श्री सोहनलाल भटनागर

(श्री उपाध्यक्ष)

प्राक्कलन समिति

सर्व श्री वली मोहम्मद, किशनलाल शर्मा, रघुवीरसिंह, मोगजी भाई और श्री रामकरणसिंह ।

एक और सूचना मैं माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं कि जहां तक सेक्रेटरी सदन का प्रश्न है, क्लेरिफिकेशन के कई प्रश्न उपस्थित होते हैं अतः ऐसी परिस्थिति में उनका उठना कभी कभी हुआ करता है, चेअर के संकेत से ही हुआ करता है। किसी माननीय सदस्य ने एतराज किया।

श्री श्रीभानसिंह : मैंने किया। जहां तक उठने बैठने का प्रश्न है इसमें कोई आपत्ति नहीं पर इसको रिजेंट करूंगा कि कोई माननीय सदस्य कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करते हैं तो कभी यों हाथ होता है कभी यों हाथ होता है, कभी इतनी लाउड वॉइस होती है कि सभी सदस्य सुनते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : सेक्रेटरी का हाउस में नाम नहीं लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ये इस आसन के संकेत से ही उठते हैं, जब कि कोई प्रश्न उठता है। इस पर आपत्ति का प्रश्न नहीं होता। We now adjourn to meet tomorrow.

श्री हरिदेव जोशी : कल इलेक्शन्स होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई इलेक्शन कल नहीं होगा ।

श्री हरिदेव जोशी : मतलब अन् अपोज्ड हो गये इलेक्शन ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्होत्तर १ बजे मंगलवार दिनांक २८–४–५६ के म० पू० ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई ।)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार २७ अप्रेल, १९५९)

	स्तम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	८५०२
गंगापुर के तहसीलदार द्वारा हरिजनों के घर तुड़वाये जाना।	
राजपत्रित अधिकारियों की उनके जिले के अन्दर नियुक्ति।	
जिला गंगानगर में बेदखली के मुकद्दमे।	
राष्ट्रीय कृत पुस्तकों को दीमक खा जाने के संबंध में।	
ग्राम राजोली तहसील लालसोट में गैरमुमकिन मेंड का अलॉटमेंट।	
राजकीय प्रवास भवन में बिजली की व्यवस्था।	
हरे दरख्तों की कटाई।	
अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट का प्रकाशन।	
हाई स्कूल चाकसू में सिलाई का विषय।	

	स्तम्भ
निनंदाद में चरागाह भूमि का नीलाम।	
तिलोकराम चौधरी का बकाया पिचोतरा।	
बाली, देसूरी व खारची तहसीलों में भूमि का अलॉटमेंट।	
फिदूसर की खानों का अलॉटमेंट।	
चुरू जिले में शिक्षण संस्थाएं।	
ढेर के बालाजी के नाम से प्राप्त होने वाली राशि का भुगतान।	
बी० ए० पास अध्यापकों के ग्रेड।	
खानपुर और झालावाड़ विकास खण्ड।	
बूसी के जागीरदार द्वारा भूमि पर नाजायज कब्जा।	
प्लास्टिक ट्रेनिंग सेन्टर जयपुर।	

Page No.94

जन लेखा समिति, १६५६-६० तथा प्राक्कलन समिति १६५६-६० के नामजद उम्मीदवारों की नामावली।

जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति १६५६-६० के नामजद सदस्यों के नाम उपाध्यक्ष महोदय द्वारा घोषित किये गये जो निम्न प्रकार हैं :

८५३६

जनलेखा समिति

१ श्री लच्छूराम (८१)

२ श्री हरिदेव जोशी (५६)

३ श्री भवानीशंकर नन्दवाना (१७)

४ श्री भीमसेन

५ श्रीमती सुमित्रा देवी

६ श्री श्रीभानसिंह

७ श्री भैरोंसिंह (१४)

८ श्री विशम्भरनाथ जोशी

६ श्री रामप्रसाद लढ्ढा

१० श्री परसराम मदरेना

११ श्री होतीलाल

१२ श्री सोहनलाल भटनागर

१३ श्री तनसिंह

८५३७

प्राक्कलन समिति

१ श्री रामकरणसिंह

२ श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

३ श्री जगदीश प्रसाद माथुर

४ श्री रामदेवसिंह

५ श्री गुलाबसिंह

६ श्रीमती प्रभा मिश्रा

७ श्री भंवरलाल शर्मा

८ श्री गनपतीलाल वर्मा

६ श्री लालूराम टटवाड़िया

१० श्री पी० के० चौधरी

११ श्री धर्मपाल पंवार

१२ श्री वली मोहम्मद

१३ श्री भोलानाथ

१४ श्री गोपाल लाल पुरोहित

१५ श्री सुगन चन्द जैन

१६ श्री लक्ष्मी चन्द

१७ श्री रघुवीरसिंह

१८ श्री शंकरलाल

१६ श्री मोगजी भाई

२० श्री गिरधारी लाल

निम्नांकित सदस्यों ने अपने अपने नाम वापस ले लिये :

जनलेखा समिति

१ श्री लच्छूराम

२ श्री राम प्रसाद लढ्ढा

३ श्री सोहनलाल भटनागर

प्राक्कलन समिति

१ श्री वली मोहम्मद

२ श्री किशनलाल शर्मा

३ श्री सुगनचन्द जैन

४ श्री रघुवीर सिंह

५ श्री मोगजी भाई

६ श्री रामकरणसिंह

याचिका समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ८५४०

श्री अमृतलाल पायक, सदस्य याचिका समिति, ने राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १६५८ से सम्बन्धित श्री लक्ष्मीचन्द, सदस्य, विधान सभा, द्वारा प्रस्तुत याचिका पर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

विधायी कार्य

श्री दामोदर लाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६५६ को पुरः स्थापित किया।

(क) विचारार्थ लिये गये विधेयक ८५४१

१. राजस्थान आनुशासिक कार्यवाही (साक्षी बुलाया जाना तथा दस्तावेज़ प्रस्तुत कराया जाना) विधेयक, १६५६।

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री दामोदर लाल व्यास, राजस्व मंत्री, द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर श्री पी० के० चौधरी ने इस आशय का संशोधन रखा कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री चौधरी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(२) राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, ५८ ८५६६

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जावे, डॉ० चन्द्रकला ने विधेयक को एक प्रवर–समिति के सुपुर्द किये जाने तथा रावराजा श्री सरदारसिंह ने उसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने के संशोधन प्रस्तुत किये। इन पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :

१ डॉ० बहादुरसिंह

२ श्री पी० के० चौधरी

३ रावल श्री नरेन्द्रसिंह

४ श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

५ श्री सोहनलाल भटनागर

६ श्री भैरवलाल कालाबादल

७ श्री रामनरायण वर्मा

राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १६५६ प्रवर समिति के सदस्यों के नाम ८६८२

उपरोक्त विधेयक पर प्रवर समिति के सदस्यों के नाम आज घोषित किये गये जो इस प्रकार हैं :

१ श्री दामोदर लाल व्यास, प्रभारी मंत्री
२ श्री मनोहर कोठारी
३ श्रीमती कमला श्रोत्रिय
४ श्री सम्पतराज
५ श्री रावतराम (चूरू)
६ श्री सोहनलाल भटनागर
७ श्री रामेश्वर दयाल
८ श्री अमृतलाल पायक
९ श्री सहदेव
१० डॉ० बहादुरसिंह
११ श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया
१२ श्री हरिकिशन
१३ श्री शिवचरणदास
१४ श्री लादूराम सुलाखिया
१५ श्री सुरजमल
१६ रावराजा श्री सरदारसिंह
१७ श्री मोगजी माई
१८ श्री गिरधारीलाल
१९ कुमारी शन्नोदेवी
२० श्री वली मोहम्मद
२१ श्री किशनसिंह

प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी।

मंगलवार २८ अप्रेल, १९५९ की कार्य सूची

१ जनलेखा तथा प्राक्कलन समिति के ५९-६० के निर्वाचित सदस्यों की घोषणा।

२ पुरस्थापित विधेयक

(क) राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५९

(ख) राजस्थान अव्यापारिक कम्पनी विधेयक, ५९

(ग) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, ५९

३ राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५८

(विचार विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२१० का उत्तर देखिये)

सूची राजपत्रित अधिकारी जो ज़िला भरतपुर के निवासी हैं और जो भरतपुर ज़िले में नियुक्त हैं

क्रम संख्या	नाम अधिकारी	पद
१	श्री विशंभरसिंह आर.ए.एस.	एस.डी.ओ. धौलपुर
२	श्री जुगलबिहारी	ट्रेजरी आफिसर, भरतपुर
३	श्री जगतसिंह	तहसीलदार, कामा
४	श्री सूर्यप्रकाश	,, नगर
५	श्री रूपनारायण शर्मा	,, बैर
६	श्री दीपसिंह	,, राजाखेड़ा

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२११ का उत्तर देखिये)

नक्शा मुकदमात किसानों पर बेदखली के दायर हैं

क्रम संख्या	नाम अदालत जिनमें दावेजात जेरकार हैं।	नाम तहसील	टीनेन्सी एक्ट की धारा जिनके अन्तर्गत दावे चल रहे हैं।				
			१८०	१८३	१८६	१८८	योग
१	सहायक ज़िला धीश, गंगानगर	गंगानर	९	०	०	२	११
२	उप ज़िलाधीश करनपुर	करनपुर	१	०	३	०	४
३	सहायक ज़िलाधीश रायसिंह नगर	रायसिंह नगर	४	३	०	४	११
		अनूप गढ़	०	०	०	१	१
४	उप ज़िलाधीश हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	११४	२५	५	६	१५०
५	उप ज़िलाधीश, नोहर	नोहर	१	६	२	०	१२
६		भादरा	१	६	१	०	८
		योग	१३०	४३	११	१३	१९७

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२२३ का उत्तर दीजिये)

सूची (क)

नाम तहसील	कितनी बैठकें कब २ बुलाई	किन २ को वितरित की गई	कितनी दर्खास्तें पेन्डिंग हैं ।
बाली	६ बैठकें ता० २६. ४. ५८ ता० २७. ५. ५८ ११. ६. ५८ १४. ७. ५८ १२. १. ५६ २६. ६. ५८ को बुलाई गई	जमीन किसी को वितरित नहीं की गई ।	कोई दर्खास्त पेन्डिंग नहीं है ।
देसुरी	३ बैठकें ता० ११. ८. ५८ ४. १. ५८ १२. १२. ५८ को बुलाई गई	४५० शख्शों को ८११५ बीघा जमीन वितरित की गई ।	५२६ दर्खास्त पेन्डिंग हैं ।
खारची	२ बैठकें ता० ३०. ५. ५८ १७. ६. ५८ को बुलाई गई	५६ भूमि हीनों को ४११ बीघा जमीन वितरित की गई ।	६० दर्खास्तें ।

सूची (ख)

नाम तहसील	गतवर्षों में बिना इजाजत की कितनी जमीन पर काश्तकारों ने काश्त की	कितना लगान मय पेनल्टी वसूल हुआ	कितनी मिसलें जेर तजवीज हैं।
बाली	११३० बीघा जमीन पर काश्त की गई।	२०८५ जिसमें से पैनल्टी ४० रु० १२ न० पैसे।	१२
देसूरी	१६८५० बीघा जमीन पर काश्त की गई।	८६३. १२ न० पेनल्टी के वसूल हुए	१४४६
खारची	बिना इजाजत किसी की काश्त नहीं थी	किसी पर जुर्माना नहीं हुआ	८

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२२६ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE HIGH & MIDDIE SCHOOLS OF THIS DISTRICT:-
CHURU.

No. 1.	Name of the School. 2..	Place. 3.
1.	Govt. High School, Churu.	Churu.
2.	,, ,, ,, Rajaldesar.	Rajaldesar.
3.	,, ,, ,, Dungar Garh	Dungar Garh
4.	,, ,, ,, Bidasar.	Bidasar.
5.	,, ,, ,, Chhapar.	Chhapar.
6.	,, ,, ,, Ratan Nagar	Ratan Nagar.
7.	,, ,, ,, Tara Nagar.	Tara Nagar.
8.	,, Higher Sec. School, Sujangarh	Sujan Garh.
9.	,, ,, ,, ,, Rajgarh.	,, Rajgarh.
10.	,, ,, ,, Hamirwas	Hamirwas
11.	M. P. ,, ,, ,, Ratan Garh	Ratan Garh
12.	Jain High School, Churu.	Churu.
13.	Sarswati High School, Dudhwakhara.	Dudhwakhara.
14.	Sampat Dugar High School, Sardarsahar,	Sardar Sahar.
15.	Basic High School. ,,	,,
16.	Govt. Middle School, Momasar.	Momasar.
17.	,, ,, ,, Bigga.	Bigga.
18.	,, ,, ,, Dulchasar.	Dulchasar.
19.	,, ,, ,, Salasar.	Salasar.
20.	,, ,, ,, Sandwa.	Sandwa.
21.	,, ,, ,, Charwas	Charwas.
22.	,, ,, ,, Parihara	Parihara
23.	,, ,, ,, Ratan Garh	Ratan Garh
24.	,, ,, ,, Gogasar	Gogasar

Page No.102

१	२	३
25.	Govt. Middle School Poolasar	Poolasar
26.	,, ,, ,, Sadulpur	Sadulpur
27	,, ,, ,, Jetpura	Jetpura
28.	,, ,, ,, Nesal	Nesal
29.	,, ,, ,, Seedhmukh	Seedhmukh
30.	,, ,, ,, Harpaloo	Harpaloo
31.	,, ,, ,, Sahwa	Sahwa
32.	,, ,, ,, Lakhau	Lakhau
33.	Sardar Vidyalay ,, Churu	Churu
34.	Rly. Middle School, Churu	Churu
35.	Rishikul Ashram Midd. Sch. Ratangarh	Ratan garh.
36.	Mahabir Vidyalay Middle School, Sardarsahar.	Sardarsahar
37.	Rajendra Vidyalay Middle School, Sardarsahar.	Sardar Sahar.
38.	Jain Middle School, Sujan Garh.	Sujan Garh.
39	Shiv Private Middle School, Dungargarh	Dungar Garh.
40	Subhash Pirvate Middle School, Dungar Garh	Dungar Garh.
41.	Modern Vidyalaya Middle, School, Sardar Sahar.	Sardarsahar.
42.	Gramodyog shikasha sadan, Khichiwala	Khichiwala
43	Gautam gramya Middle School, Bhojasar.	Bhojasar.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२२६ का उत्तर देखिये)

खानपुर व झालरापाटन विकास खण्डों मे चालू लघु-उद्योगों की सूची

१— चर्म उद्योग
२—बुनाई
३—रंगाई
४—छपाई
५—तेलघाणी
६—गुड़ खाण्डसारी
७—चटाई
८—रस्सी
९—कृषि के सुधरे औजार
१०—बढ़ईगिरी
११—हाथ दस्तकारी
१२—कुम्हारी उद्योग
१३—रूई ओटना
१४—पीतल के बर्तन बनाना।

खानपुर व झालरापाटन विकास खण्डों में चल रहे लघु-उद्योगों के स्थानों व उनको दी गई धनराशि की सूची

खानपुर

चर्म उद्योग

क्रमांक	स्थान
१—	सारोला
२—	लालाखेडी
३—	हरीगड
४—	पिपलाज

धनराशि जो सहायतार्थ दी गई ३४००) रू०

बुनाई, रंगाई व छपाई उद्योग

क्रमांक	स्थान
१—	सारोला

तेलघाणी उद्योग

क्रमांक	स्थान
१—	खानपुर
२—	सारोला व तारज

धनराशि जो सहायतार्थ दी गई २४५०) रू०

झालरापाटन

चर्म उद्योग

क्रमांक	स्थान	क्रमांक	स्थान
१—	झालावाड़	१२—	पिपलोद
२—	झालरापाटन	१३—	बौंदा
३—	असनावर	१४—	बोरदा
४—	घानौद	१५—	मंडावर
५—	खेरखेडा	१६—	समराई
६—	आनन्दा	१७—	रलायती
७—	बडौदिया	१८—	सिंघानिया
८—	डूंगरी	१९—	ऊंडल
९—	गणेशपुरा	२०—	गोरधनपुरा
१०—	दुर्गापुरा	२१—	मोतीपुरा
११—	गोविन्दपुरा	२२—	नीमौदा

२३—	खानपुरिया	२५—	मंगाल
२४—	हरीपुरा	२६—	पनवासा
		२७—	इक्तुसा

धनराशि जो सहायतार्थ दी गई १०७२५) रू०

हाथकरघा उद्योग

१— झालावाड

२— झालरापाटन

३— कनवाडा

धनराशि जो सहायतार्थ दी गई २६००) रू०

खाती उद्योग

१—	झालावाड	३—	असनावर	५—	दुर्गापुरा	७—	पीपलोद
२—	झालरापाटन	४—	बडोदिया	६—	गोविन्दपुरा	८—	बोरदा
६—	मंडावर	१०—	समराई	११—	सिघानिया	१२—	ऊंडल
१३—	निमोदा	१४—	खानपुरिया	१५—	मंगल		

धनराशि जो सहायतार्थ दी गई ५०००) रू०

गुड खाण्डसारी उद्योग

१— मंडावर

२— नयागांव

३— बूडमंडावर

४— दुर्गापुरा

५— असनावर

६— गोरधनपुरा

धनराशि जो सहायतार्थ दी गई १५००) रू०

रस्सी बुनाई उद्योग

१— गोविन्दपुरा

तेलघानी उद्योग

१—	झालावाड	४—	असनावर
२—	झालरापाटन	५—	कनवाडा
३—	पीपलोद	६—	डाबली

७— झूमकी

८— हैमडा

९— मंडावर

१०— इकतासा

धनराशि जो सहायतार्थ दी गई ३६६३५) रू०

छपाई उद्योग

१— झालावाड

२— झालरापाटन

धनराशि जो सहायतार्थ दी गई ६०००) रू०

लोहा उत्पादक उद्योग

१— झालावाड

२— झालरापाटन

३— असनावर

४— डूंगरी

५— समराई

धनराशि जो सहायतार्थ दी गई ४०००) रू०

हाथ दस्तकारी उद्योग

१— झालरापाटन

२— बिन्दावन

जनरलमैकनिकल वर्कशोप

१— झालावाड

धनराशि जो सहायतार्थ दी ग ५,०००) रू०

रंगाई उद्योग

१— झालावाड

२— झालरापाटन

३— कनवाडा

४— असनावर

हाथ पिसाई उद्योग

१— इकतासा

२— झालरापाटन

हाथ कताई उद्योग

१— झालावाड

२— असनावर

३— झालरापाटन

Page No.107

कुम्हारी उद्योग

१—	झालावाड	७—	बौंदा
२—	झालरापाटन	८—	बौरदा
३—	असनावर	९—	मंडावर
४—	खेरखेडा	१०—	समराई
५—	दुर्गापुरा	११—	मोतीपुरा
६—	पीपलोद	१२—	खानपुरिया

रूई ओटना उद्योग

१— झालरापाटन

२— झालावाड

३— असनावर

पीतल के बर्तन बनाना उद्योग

१— झालरापाटन

बांस की टोकरियां व चटाई उद्योग

१— झालावाड

२— कनवाडा

३— आनन्दा

४— बडौदिया

५— चूनामाटी

पिसाई व दाल मिलिंग उद्योग

धनराशि जो सहायतार्थ दी गई ४०००) रू०

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, २७ अप्रेल, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
८५०४	२०	से अन्तर्गत	के अन्तर्गत
८५०५	२०	केसे	केसेज़ में
८५००	१५	श्री पी० के० चौधरी	श्री पी० के चौधरी
८५१५	२२	श्री उपायध्यक्ष : मेजरफतेसिंह	श्री उपाध्यक्ष: मेजर श्री फतेहसिंह
८५१८	१२	ould be	should be
८५२२	८	सिद्धन्त शास्त्री	सिद्धान्त शास्त्री
८५२५	५	यूरा नहीं	पूरा नहीं
८५३०	अन्तिम से ४	श्री मोहन लाल सुखड़िया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
८५३२	१२	Mecanc	Mechanic
८४३३	१३	cases	case
,,	१४	on such	no such
,,	१५	Shri Mohd. saddig	Shri Mohammad SaddiqAli
,,	अन्तिम से२	उसने सम्बन्धित	उनसे सम्बन्धित
८५३५	अन्तिम	मत्सय	मत्स्य
८५३६	१२	की सूचित	को सूचित
८५४२	६	महोयद	महोदय
,,	२०	प्रोवाड	प्रोवाइड
८५४४	अन्तिम से६	inscure	insecure
,,	अन्तिम से४	thnigs	things
८५४५	१८	Govevment	Government
८५४८	७	againt	against
,,	६	Lone	Loan
८५५०	६	pereent	percent
८५५१	७	सिफरिश	सिफारिश

(२)

१	२	३	४
		Governmet	Government
८५५२	१५	आवेरहाल	ऑरव् हॉल्
,,	२४	सात	साथ
८५५३	अन्तिम से ३	डॉकमेन्ट	डॉकुमेन्ट
८५५७	२०	इन्टफियरेक्स	इन्टरफियरेन्स
८५५९	६	वे दी	दे दी
८५६४	२	कम्पेटेन्ट	कॉम्पीटेन्ट
८५६५	५	remedical	remedial
८५७२	१९	फकशन्स	फंक्शन्स
,,	अन्तिम से ५	प्रदिवेदन	प्रतिवेदन
८५७४	१	petiton	petition
८५७५	२७	Commitee	Committee
,,	२८	focusing	focussing
,,	३१	विधेयक, ५९	विधेयक, ५८
८५७८ से ८५८७	शीर्षक		
८५८१	१४	दुर्व्यय	अपव्यय
८५८३	१	Dr. Bahdur Singh	Dr. Bhadur Singh
८५८४	१२	वैष्णाव है	वैष्णव है
८५८७	५	में आपसे	मैं आपसे
८५८९	२२	(दूदू)	(उनियारा)
,,	अन्तिम से ४	डॉ० ब्रहादरसिंह	डॉ० बहादुरसिंह
८५९०	२	रातल	रसातल
८६०१	१७	vudget	budget
८६०२	११	treasures	treasurers
,,	२२	hey	They
,,	२३	dicision	decision
८६०३	अन्तिम से २	obout	about
८६०५	२३	tne	the
८६०६	१६	कॉटेम्पलेट	कांटेम्पलेट
८६०७	१३	कोन्ट्रावेन्शस	कॉन्ट्रावेन्शन्स

(२)

१	२	३	४
८६०८	२१	प्रोपटी	प्रोपर्टी
,,	२५	चूक	चैक
८६०६	२६	ट्रटस्ट	ट्रस्ट्स
८६१२	१४	आवश्वता	आवश्यकता
८६१४	५	सवास	इ दाल
८६१७	१	वज	बज्
८६२६	२७	दुर्व्यव्यवस्था	दुर्व्यवस्था
८६३६	६	Connat	cannot
८६४३	७	श्री सोहलाल भटनागर	श्री सोहनलाल भटनागर
,,	अन्तिम	मोडिफार्ड	मोडीफाई
८६५१	३१	worb	word
८६५२	२	श्री मुरलीधर व्पास	श्री मुरलीधर व्यास
,,	१६	Pascedure	Procedure
८६५३	४	एवाइड़	एवाइड
८६५४	प्रथमत :	(श्री श्रीभानसिह	(श्री भैरोंसिंह)
८६६८	३	मावनाओं	भावनाओं
८६७१	१	वैष्णवों	वैष्णवों
८६७६	२१	श्री दयाकु-ण विजय	श्री दयाकृष्ण विजय